भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर

2014 की प्रतिवेदन सं. 10

18 JUL 2014 को लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
मुख्य बातें	iii-v
अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन	1-18
• संघ सरकार के संसाधन	1
• प्रत्यक्ष करों का स्वरूप	1-2
• बोर्ड के कार्य एवं उत्तरदायित्व	2-3
• प्रत्यक्ष करों की वृद्धि - प्रवृत्तियाँ एवं रचना	3-5
• प्रत्यक्ष कर की बजटिंग	6
• प्रतिदायों पर ब्याज का गलत लेखांकन	7
• कर व्यय	7-9
• कर आधार का विस्तारण और गहनता	9-11
• निर्धारण से बचने वाली आय	11
• कर ऋण- असंग्रहीत मांग	11-12
• अभियोजन की प्रास्थिति	13
• संवीक्षा निर्धारणों का निपटान	13
• अपील मामलों के निपटान	13-14
• प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों का निपटान	14-15
• आयकर विभाग की नीतिगत योजना (2011-15)	15
• आयकर विभाग की आईटी पहलें	15-16
• आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता	17-18
अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव	19-25
• प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार	19
• प्रणालियों और क्रियाविधियों की जाँच और उनकी प्रभावोत्पादकता	19-20
• लेखापरीक्षा उत्पाद	20
• लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली	21
• त्रुटियों की घटना	21-22
• लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया	22
• स्थानीय लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया	22-23
• उच्च मूल्य वाले मामलों पर प्रतिक्रिया	23
• लेखापरीक्षा आपत्तियों का लंबन	24
• काल बाधित उपचारात्मक कार्रवाई	24
• अभिलेखों को उपलब्ध न कराना	25

अध्याय III: निगम कर से संबंधित निर्धारणों का विश्लेषण	**27-44**
◦ निर्धारणों की गुणवत्ता	27-33
◦ कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	33-40
◦ चूकों के कारण निर्धारण से छुटी हुई आय	40-43
◦ कर/ब्याज का अधिक प्रभार	43-44
अध्याय IV: आयकर और धनकर से संबंधित निर्धारणों का विश्लेषण	**45-56**
◦ निर्धारणों की गुणवत्ता	45-49
◦ कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	49-52
◦ चूकों के कारण निर्धारण से छुटी हुई आय	52-56
◦ कर/ब्याज का अधिक प्रभार	56
अध्याय V: आयकर विभाग में शिकायत निवारण तंत्र	**57-71**
परिशिष्ट	**73-136**

प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व विभाग-संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो 2012-13 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वो मामले भी, जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए गए थे; 2012-13 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहाँ आवश्यक समझा गया, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

मुख्य बातें

इस प्रतिवेदन में वित्तीय लेखाओं, विभागीय लेखाओं, विभागीय एमआईएस तथा अनुपालन लेखापरीक्षाओं के निष्कर्षों से लिए गए आँकड़ों का प्रयोग करते हुए प्रत्यक्ष करों में प्रवृत्तियों, संघटन और प्रणालीगत मुद्दों पर चर्चा की गई है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में संघ सरकार की सकल कर प्राप्तियाँ (जीटीआर) ₹ 10,36,460 करोड़ थी, जो जीडीपी के 10.25 *प्रतिशत* को दर्शाता है। सकल कर प्राप्तियों में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2008-09 में 55.16 *प्रतिशत* (₹ 3.34 लाख करोड़) से घटकर वित्तीय वर्ष 2012-13 में 53.93 *प्रतिशत* (₹ 5.59 लाख करोड़) हो गया।

प्रत्यक्ष कर के दो प्रमुख संघटक अर्थात निगम कर वित्तीय वर्ष 2008-09 में ₹ 2.13 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 3.56 लाख करोड़ और आयकर वित्तीय वर्ष 2008-09 में ₹ 1.06 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 1.97 लाख करोड़ हो गया।

वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कॉरपोरेट निर्धारितियों के लिए स्वैच्छिक अनुपालन में 83.1 *प्रतिशत* से 77.5 *प्रतिशत* तक की गिरावट आई थी। तथापि, इसमें गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के लिए 87.0 *प्रतिशत* से 92.4 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी।

हमने देखा कि प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण वित्तीय वर्ष 2009-10 और वित्तीय वर्ष 2010-11 में बजट प्राक्कलनों से अधिक था। संशोधित प्राक्कलन सभी वर्षों में यथार्थ पाए गए थे क्योंकि वास्तविक संगहणों और संशोधित प्राक्कलनों का अन्तर (-) 3.23 *प्रतिशत* से शून्य *प्रतिशत* के बीच था।

कर छूटों के कारण छोड़ा गया राजस्व पिछले वर्षों (वित्तीय वर्ष 2010-11 को छोड़कर) की तुलना में निरपवाद रूप से बढ़ रहा है, परन्तु जीडीपी, प्रत्यक्ष कर और जीटीआर की प्रतिशतता के रूप में कर व्यय घट रहा है।

असंग्रहीत मांग वित्तीय वर्ष 2008-09 में ₹ 2.01 लाख करोड़ से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 4.86 लाख करोड़ हो गई। विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में 96 *प्रतिशत* से अधिक कि असंग्रहीत मांग की वसूली मुश्किल है।

निपटान हेतु लम्बित संवीक्षा निर्धारण वित्तीय वर्ष 2011-12 में 4.1 लाख से घटकर वित्तीय वर्ष 2012-13 में 2.8 लाख हो गए। कुल 5.9 लाख संवीक्षा निर्धारण मामलों में से, विभाग ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में 3.1 लाख (51.9 *प्रतिशत*) मामलों का निपटान किया था।

सीआईटी (अपील) के पास लम्बित अपीलें वित्तीय वर्ष 2008-09 में 1.58 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2012-13 में 1.99 लाख हो गई। सीआईटी (अपील) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में केवल 85,049 अपीलों (29.9 *प्रतिशत*) का निपटान किया गया था। सीआईटी (अपील) के पास वित्तीय वर्ष 2012-13 में अपील मामलों में अवरूद्ध राशि ₹ 2.59 लाख करोड़ थी।

हमने देखा कि लम्बित प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों की संख्या वित्तीय वर्ष 2008-09 में 15.5 लाख से घटकर वित्तीय वर्ष 2012-13 में 11.2 लाख हो गई।

आयकर विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में 67.83 *प्रतिशत* लक्षित लेखापरीक्षाएं पूरी की।

आयकर विभाग ने हमारे द्वारा बताई गई निर्धारण की त्रुटियों को सुधारने के लिए उठाई गई मांग से वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 270.40 करोड़ की वसूली की।

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2011-12 में 2.33 लाख संवीक्षा निर्धारण पूरे किए जिनमें से हमने 2.15 लाख मामलों की जाँच की। लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारण में गलतियाँ 0.17 लाख थी जो औसतन 7.9 *प्रतिशत* थी।

इस प्रतिवेदन में मंत्रालय को जारी 459 उच्च मूल्य और महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा की गई है। इनमें से मंत्रालय ने 226 मामले (49 *प्रतिशत*) स्वीकार कर लिए। 12 मामलों में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की। 221 मामलों में हमें अभी फरवरी 2014 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लम्बित उत्तरों के संचय के परिणामस्वरूप 55,072 मामले इक्ट्ठे हो गए जिनमें 31 मार्च 2013 तक ₹ 55,202 करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 899.87 करोड़ के कर प्रभाव के 2,207 मामले उपचारी कार्रवाई हेतु कालबाधित हो गए।

हमने निगम कर से संबंधित 332 उच्च मूल्य वाले मामले बताए जिनमें ₹ 2,193.75 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हमने मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया नामत: निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 774.41 करोड़ (122 मामले) के कर प्रभाव शामिल थे, कर रियायतों/छूटों/ कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 1,005.48 करोड़ (146 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, चूक के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें ₹ 251.80 करोड़ (36 मामले) का कर प्रभाव शामिल था तथा कर/ब्याज का अधिप्रभार जिसमें ₹ 162.06 करोड़ (28 मामले) शामिल थे।

हमने आयकर से संबंधित 110 उच्च मूल्य मामले बताए जिनमें ₹ 171.87 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हमने मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया नामत: निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 50.78 करोड़ (38 मामले) के कर प्रभाव शामिल थे, कर रियायतों/छूटों/ कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 80.06 करोड़ (35 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, चूक के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें ₹ 27.22 करोड़ (30 मामले) का कर प्रभाव शामिल था तथा कर/ब्याज का अधिप्रभार जिसमें ₹ 13.81 करोड़ (सात मामले) शामिल थे। इसके अलावा, हमने धनकर से संबंधित ₹ 188.40 लाख के कर प्रभाव वाले 17 मामलों के बारे में भी बताया।

हमने पाया कि आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान निर्धारित अवधि में औसतन 59 *प्रतिशत* शिकायतों का निपटान किया। हमने 7,167 शिकायतों के दृष्टांत पाए जो 31 मार्च 2012 तक संबंधित एओ द्वारा निपटान हेतु लम्बित थे। 31 मार्च 2012 तक इन शिकायतों की लम्बन अवधि दो दिन से 10 वर्ष से अधिक तक थी जो 60 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक थी। शिकायतों के लम्बन से प्रणाली और प्रशासनिक तंत्र में विभिन्न खामियों का पता चलता है। आयकर विभाग में शिकायतों के निवारण की मानीटरिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण उचित नहीं था क्योंकि विहित रजिस्टर/ मासिक रिपोर्टिंग प्रणाली में कमी थी।

अध्याय I

प्रत्यक्ष कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

1.1.1 भारत सरकार के संसाधनों से संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार को प्राप्त सभी धन शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। तालिका 1.1 संघ सरकार की प्राप्तियों का सारांश प्रस्तुत करती है, जो वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 53,67,988.99 करोड़[1] है। इसमें से, इसकी स्वयं की प्राप्तियाँ ₹ 10,36,460.45 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित ₹ 13,99,951.05 करोड़ थीं।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन	**(₹ करोड़ में)**
क. कुल राजस्व प्राप्तियाँ	13,47,437.62
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	*5,58,989.47*
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	*4,77,470.98*
iii. सहायता अनुदान एवं अंशदान सहित गैर-कर प्राप्तियाँ	*3,10,977.17*
ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	25,889.80
ग. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	26,623.63
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	39,68,037.94
भारत सरकार की कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	**53,67,988.99**
टिप्पणी: कुल राजस्व प्राप्तियाँ में सीधे राज्यों को सौंपे गए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों का ₹ 2,91,546.61 करोड़ का हिस्सा शामिल है।	

1.2 प्रत्यक्ष करों का स्वरूप

1.2.1 संसद द्वारा उद्ग्रहीत प्रत्यक्ष करों में मुख्यत: शामिल हैं:

- कम्पनियों तथा व्यापारी संगठनों की आय पर उद्ग्रहीत **निगम कर**
- व्यक्तियों, कम्पनियों के अतिरिक्त, नामत: व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवारों (एचयुएफज), फर्मों, सहकारी समितियों, न्यासों, व्यष्टियों के निकायों, व्यक्ति संघों तथा किसी की आवासीय स्थिति के आधार पर प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की आय पर उद्ग्रहीत **आयकर।**

---

1 स्रोत: वित्तीय वर्ष 2012-13 के संघ वित्त लेखे। प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ और अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ वित्तीय वर्ष 2012-13 के संघ वित्त लेखों के आधार पर तैयार किए गये हैं।

1.2.2 अन्य प्रत्यक्ष करों में धनकर[2], प्रतिभूति लेनदेन कर[3] आदि शामिल है। इन में **फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, बैंकिग नगद लेनदेन कर, व्यय कर, ब्याज कर, होटल प्राप्तियाँ कर तथा सम्पदा शुल्क** भी शामिल हैं, जो सभी अब समाप्त कर दिए गए हैं।

1.2.3 तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन का एक आशुचित्र उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.2: प्रत्यक्ष कर प्रशासन					(₹ करोड़ में)
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1. प्रत्यक्ष कर संग्रहण	3,33,857	3,77,594	4,45,995	4,93,987	5,58,989
2. प्रभावी निर्धारिती (लाख में)	326.5	340.9	335.8	363.5	373.8
3. पूर्व निर्धारण संग्रहण	3,02,341	3,51,660	4,18,094	4,77,853	5,25,918
4. पश्च निर्धारण संग्रहण	56,188	73,053	95,804	1,01,646	1,11,014
5. पूर्ण हुए संवीक्षा निर्धारण (संख्या में)	5,38,505	4,29,585	4,55,212	3,69,320	3,08,398
6. लम्बित संवीक्षा निर्धारण (संख्या में)	4,15,262	4,41,035	3,91,983	4,05,487	2,85,363
7. लम्बित प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावे (लाख में)	15.5	19.4	19.5	12.5	11.2
8. प्रतिदाय	39,097	57,101	75,169	93,814	83,766
9. प्रतिदाय पर ब्याज	5,778	6,876	10,499	6,486	6,666
10. लम्बित मांग	2,01,276	2,29,032	2,91,629	4,08,418	4,86,180
11. सीआईटी (ए) के पास लम्बित अपीलें (संख्या में)	1,58,031	1,80,991	1,87,182	2,30,616	1,99,390
12. प्रमाणित लम्बित मांग	27,461	95,122	1,06,991	1,13,532	1,53,818
स्रोत: क्रसं. 1-संघ वित्त लेखे, क्रम सं. 2, 5, 6, 7, 9, 11 और 12-महानिदेशालय आयकर (लौजिस्टिक्स), क्रम सं. 3, 4 और 8-प्र. सीसीए, सीबीडीटी और क्रम सं. 10-आयकर निदेशालय (ओ एवं एमएस)।					

कर प्रशासन को विवरण *परिशिष्ट* 1 में दिया गया है।

1.3 बोर्ड के कार्य एवं उत्तरदायित्व

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। उसी प्रकार, यह आयकर विभाग (आईटीडी) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। आयकर विभाग प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण गौर संग्रहण से

2 निवल धन पर प्रभार्य कर में धनकर अधिनियम की धारा 2(ईए) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कुछ परिसम्पत्तियाँ शामिल हैं।

3 भारत में एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी गई और बेची गई करयोग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर। तथापि, निर्धारण वर्ष 2009-10 से धारा 88ई के अन्तर्गत कोई छूट अनुमत नहीं है।

संबंधित मामलों के साथ साथ कर अपवंचन, राजस्व आसूचना, कर आधार बढाने, कर दाताओं को सेवाएं प्रदान करने, शिकायत निवारण तंत्र के मामलों से संबंधित है। *परिशिष्ट* 2 में डीओआर/सीबीडीटी के प्रमुख कार्यों, भूमिका और उत्तरदायित्वों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है।

आईटीडी की कुल कर्मचारी संख्या 57,793[4] है। आयकर विभाग के आधिकारियों[5] की संस्वीकृत तथा कार्यरत संख्या 31 मार्च 2013 को क्रमश: 8,646 तथा 7,493 थी। सीबीडीटी, उसके सम्बद्ध कार्यालय और क्षेत्रीय संरचनाओं का संगठनात्मक ढाँचा *परिशिष्ट* 3 में दर्शाया गया है।

1.4 प्रत्यक्ष करों की वृद्धि - प्रवृत्तियाँ एवं रचना

1.4.1 निम्न तालिका 1.3 वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान प्रत्यक्ष कर (प्र. क.) की सापेक्षिक वृद्धि दर्शाती है। हमने पाया कि सकल कर प्राप्तियाँ[6] (जीटीआर) के प्रति प्रत्यक्ष करों का हिस्सा इस अवधि के दौरान 55.16 *प्रतिशत* से घटकर 53.93 *प्रतिशत* हो गया। तथापि, इसी अवधि के दौरान प्र. क. 67.43 *प्रतिशत* तक बढ गया। प्रत्यक्ष करों ने अभी भी एक प्रभावी स्थिति बनाए रखी जो देश में एक मजबूत प्रतीक तथा प्रगतिशील कर प्रणाली का सूचक है।

तालिका 1.3: प्रत्यक्ष कर की वृद्धि (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	जीटीआर	जीटीआर के *प्रतिशत* के रूप में प्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के *प्रतिशत* के रूप में प्रत्यक्ष कर
2008-09	3,33,857	6,05,298	55.16	56,30,063	5.93
2009-10	3,77,594	6,24,527	60.46	64,77,827	5.83
2010-11	4,45,995	7,93,307	56.22	77,95,314	5.72
2011-12	4,93,987	8,89,118	55.56	90,09,722	5.48
2012-13	5,58,989	10,36,460	53.93	1,01,13,281	5.53

स्रोत: प्र. क. और जीटीआर - संघ वित्त लेखे, जीडीपी - प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रेस नोट, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ), सांख्यिकी मंत्रालय। 7 फरवरी 2014 के प्रेस नोट से पता चलता है कि वर्ष 2011-12 के लिए मौजूदा कीमतों/बाजार कीमतों पर जीडीपी के लिए आँकड़े दूसरे संशोधित अनुमान हैं और वर्ष 2012-13 के लिए पहला संशोधित अनुमान हैं। आँकड़े आधार वर्ष 2004-05 के मौजूदा बाजार कीमतों पर आधारित हैं। आँकड़ों को सीएसओ द्वारा निरन्तर संशोधित किये जा रहे है ये आँकड़े और वृहद आर्थिक निष्पादन के साथ राजकोषीय निष्पादन की संकेतिय तुलना के लिए है।

4 इसको सरकार द्वारा 23.5.2013 को विभाग की संवर्ग पुनर्गठन के अनुमोदन के बाद 78,544 तक पुनरीक्षित कर दिया गया है।

5 सीसीआईटी/डीजीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, अतिरिक्त सीआईटी/डीआईटी, जेसीआईटी/जेडीआईटी, डीसीआईटी/डीडीआईटी, एसीआईटी/एडीआईटी तथा आईटीओज़।

6 इसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित हैं।

1.4.2 निम्न तालिका 1.4 वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान प्रत्यक्ष करों और अपने प्रमुख संघटकों जैसे निरपवाद रूप से निगम कर (सीटी) और आयकर (आईटी) में वृद्धि को दर्शाती है। इस अवधि के दौरान सीटी और आईटी की औसत दर क्रमश: 16.74 *प्रतिशत* और 21.39 *प्रतिशत* थी। *परिशिष्ट* 4 वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 के लिए कारपोरेट और गैर-कारपोरेट निर्धारितियों के लिए कराधान दर दर्शाता है।

तालिका 1.4: प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की ओर इसके मुख्य संघटकों की वृद्धि (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	पिछले वर्ष से *प्रतिशत* वृद्धि	सीटी	पिछले वर्ष से *प्रतिशत* वृद्धि	आईटी	पिछले वर्ष से *प्रतिशत* वृद्धि
2008-09	3,33,857	6.93	2,13,395	10.62	1,06,075	3.33
2009-10	3,77,594	13.10	2,44,725	14.68	1,22,417	15.41
2010-11	4,45,995	18.12	2,98,688	22.05	1,39,102	13.63
2011-12	4,93,987	10.76	3,22,816	8.08	1,64,525	18.28
2012-13	5,58,989	13.16	3,56,326	10.38	1,96,843	19.64

1.4.3 नीचे तालिका 1.5 और 1.6, निगम तथा आयकर दोनों के संबंध में विभिन्न तरीकों {स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, नियमित निर्धारण कर} के माध्यम से प्रत्यक्ष कर सग्रंहण की वृद्धि दर्शाती है। अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर तथा टीडीएस के माध्यम से संग्रहण, मोटे तौर पर प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन की डिग्री का सूचक है। नियमित निर्धारण विधि के माध्यम से किया गया कर संग्रहण निर्धारण पर होता है।

1.4.4 तालिका 1.5 दर्शाती है कि कुल कारपोरेट संग्रहण का अग्रिम कर वि.व. 2011-12 में 52.47 *प्रतिशत* से बढ़ कर वि.व. 2012-13 में 55.33 *प्रतिशत* हो गया। कुल कारपोरेट संग्रहण के टीडीएस में वि.व. 2011-12 में 23.10 *प्रतिशत* से वि.व. 2012-13 में 17.73 *प्रतिशत* की गिरावट आई। तथापि, कुल कारपोरेट संग्रहण का नियमित निर्धारण कर वि.व. 2011-12 में 10.05 *प्रतिशत* से बढ़ वि.व. 2012-13 में 12.82 *प्रतिशत* हो गया था।

तालिका 1.5: कॉरपोरेट निर्धारितियों का संग्रहण (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	नियमित निर्धारण कर	संग्रहण
2008-09	60,088	1,22,697	18,451	12,633	2,42,304
2009-10	60,850	1,48,791	20,159	24,995	2,88,162
2010-11	68,313	1,84,263	23,056	41,916	3,55,266
2011-12	91,974	2,08,886	13,632	40,030	3,98,116
2012-13	74,481	2,32,467	18,731	53,874	4,20,147

टिप्पणी: उपरोक्त आँकडे संबंधित वर्षों के दौरान प्र. सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त हुए थे। संग्रहण के आँकड़ो में अधिभार और उपकर सहित अन्य प्राप्तियाँ भी शामिल हैं।

1.4.5 तालिका 1.6 दर्शाती है कि टीडीएस संग्रहण वि.व. 2011-12 में कुल गैर-कॉरपोरेट संग्रहण के 58.83 *प्रतिशत* से बढ़ कर वि.व. 2012-13 में 62.81 *प्रतिशत* हो गया। अग्रिम कर वि.व. 2011-12 में कुल गैर-कॉरपोरेट संग्रहण के 23.51 *प्रतिशत* से घट कर वि.व. 2012-13 में 19.99 *प्रतिशत* हो गया। तथापि, नियमित निर्धारण कर वि.व. 2011-12 में कुल गैर-कॉरपोरेट संग्रहण के 6.33 *प्रतिशत* से घट कर वि.व. 2012-13 में 3.94 *प्रतिशत* हो गया।

तालिका 1.6: गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों का संग्रहण (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	नियमित निर्धारण कर	संग्रहण
2008-09	68,142	20,635	12,328	8,704	1,16,225
2009-10	84,885	24,626	12,349	8,279	1,36,551
2010-11	1,00,356	28,275	13,831	9,922	1,58,632
2011-12	1,06,705	42,640	14,016	11,482	1,81,383
2012-13	1,36,173	43,327	20,739	8,544	2,16,785

टिप्पणी: उपरोक्त आँकडे संबंधित वर्षों के दौरान प्र. सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त हुए थे। संग्रहण के आँकड़ो में अधिभार और उपकर सहित अन्य प्राप्तियाँ भी शामिल हैं।

1.4.6 नीचे चार्ट 1.1 और 1.2, वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 के दौरान कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के संबंध में पूर्व निर्धारण और पश्च निर्धारण संग्रहण दर्शाता है।

चार्ट 1.1 : कॉरपोरेट निर्धारितियों के लिए पूर्व और पश्च निर्धारण संग्रहण (*प्रतिशत* में)

चार्ट 1.2 : गैर कॉरपोरेट निर्धारितियों के लिए पूर्व और पश्च निर्धारण संग्रहण (*प्रतिशत* में)

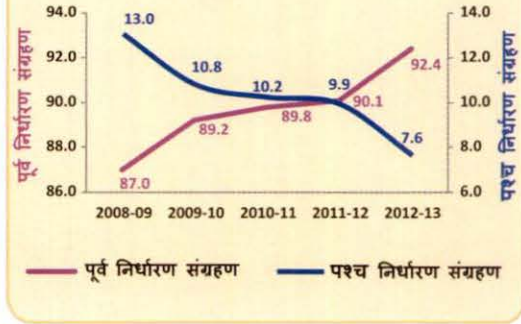

1.4.7 वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 के दौरान कॉरपोरेट निर्धारिती के संबंध में स्वैच्छिक अनुपालन से कुल संग्रहण में 83.1 *प्रतिशत* से 77.5 *प्रतिशत* की कमी आई। तथापि, इसी अवधि के दौरान गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के कुल संग्रहण में 87.0 *प्रतिशत* से 92.4 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

1.5 प्रत्यक्ष कर की बजटिंग

1.5.1 बजट सरकार की दूरदर्शिता एवं उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ (कर राजस्व और अन्य राजस्व) और इन राजस्वों से किए गए व्यय शामिल हैं। बजट प्राक्कलनों की तदनुरूपी वास्वतिक संग्रहण से तुलना राजकोषीय विवेक की गुणवत्ता का संकेतक है। चार्ट 1.3 बजट प्राक्कलनों (बीई), संशोधित प्राक्कलनों (आरई) तथा प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण दर्शाता है।

1.5.2 प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण वि.व. 2009-10 तथा वि.व. 2010-11 में बजट प्राक्कलनों से बढ़ गया था। बजट प्राक्कलनों से बढ़े हुए वास्तविक संग्रहण की सीमा वित्तीय वर्ष 2009-10 में 2.05 *प्रतिशत* से वित्तीय वर्ष 2010-11 में 3.72 *प्रतिशत* के बीच थी। संशोधित प्राक्कलन सभी वर्षों में उचित पाये गए थे क्योंकि वास्तविक संग्रहण में परिवर्तन संशोधित संग्रहणों के (-) 3.23 *प्रतिशत* से शून्य *प्रतिशत* के बीच रहा। निम्न तालिका 1.7 विवरण दर्शाती है।

चार्ट 1.3: बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और प्रत्यक्ष कर का वास्तविक संग्रहण (₹ करोड़ में)

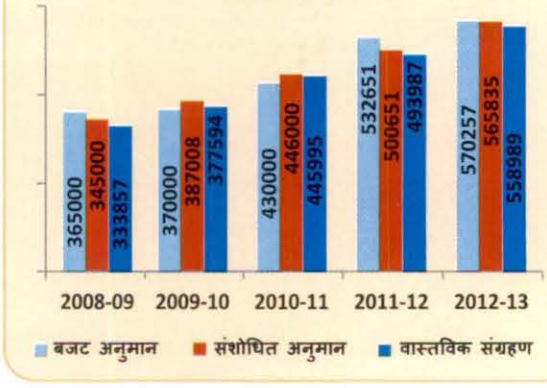

तालिका 1.7: वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक	वास्तविक माइनस बीई	वास्तविक माइनस आरई	बीई के *प्रतिशत* के रूप में अन्तर	आरई के *प्रतिशत* के रूप में अन्तर
2008-09	3,65,000	3,45,000	3,33,857	(-) 31,143	(-) 11,143	(-) 8.53	(-) 3.23
2009-10	3,70,000	3,87,008	3,77,594	7,594	(-) 9,414	2.05	(-) 2.43
2010-11	4,30,000	4,46,000	4,45,995	15,995	(-) 5	3.72	*Zero*
2011-12	5,32,651	5,00,651	4,93,987	(-) 38,664	(-) 6,664	(-) 7.26	(-) 1.33
2012-13	5,70,257	5,65,835	5,58,989	(-) 11,268	(-) 6,846	(-) 1.98	(-) 1.21

टिप्पणी: बीई ओर आरई आँकड़े संबंधित प्राप्ति बजट के अनुसार हैं और वास्वतिक संबंधित वित्तीय लेखाओं के अनुसार हैं।

1.6 प्रतिदायों पर ब्याज का गलत लेखांकन

1.6.1 ब्याज भुगतान[7] भारत की समेकित निधि पर एक प्रभार है और इसलिए यह उचित बजटीय तंत्र के माध्यम से देय है। तदनुसार, लघु शीर्ष "प्रतिदायों पर ब्याज" को मुख्य शीर्ष "2020-आय और व्यय पर करों का संग्रहण" के अधीन संचालित करना होता है। तथापि, वि.व. 2012-13 के लिए "प्रतिदाय पर ब्याज" के लिए कोई बजट प्रावधान बजट अनुमानों में नहीं किया गया था और प्रतिदायों पर ब्याज पर ₹ 6,666 करोड़ के व्यय को राजस्व में कटौती के रूप में माना गया था। प्रतिदाय पर ब्याज का राजस्व में कटौती के रूप में लेखांकन गलत है क्योंकि इस ब्याज को कभी भी संग्रहीत नहीं किया गया था।

पैराग्राफ[8] की जाँच करते समय पीएसी भी सीएजी के इस दृष्टिकोण से सहमत हुई कि ब्याज व्यय की एक मद है और इसे सकल कर संग्रहण से कम नहीं किया जाना चाहिए। पीएसी ने अपनी 96वीं रिपोर्ट (फरवरी 2014) में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग को संवैधानिक प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन करने हेतु जोर दिया। समिति ने यह भी इच्छा जताई कि "राजस्व विभाग क्रमश: अनुच्छेद 114, 115(1)(क) और 115(1)(ख) के अन्तर्गत कर प्रतिदायों पर ब्याज भुगतान के लिए प्रत्याशित या पूर्वव्यापी संसदीय अनुमोदन प्राप्त करें।"

1.7 कर व्यय

1.7.1 किसी कर प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्ययों की निधिपूर्ति हेतु आवश्यक राजस्वों को बढ़ाना हैं। बढ़ी हुई राजस्व की राशि काफी हद तक कर आधार और कर दरों से निर्धारित की जाती है। उपायों की श्रेणियाँ-विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियाँ, कमी, स्थगन और क्रेडिट, जो कर के स्तर और आबंटन को प्रभावित करते हैं, भी इसका एक कार्य है। इन उपायों को "कर अधिमान" कहा जाता है।

1.7.2 अन्य बातों के साथ-साथ आयकर अधिनियम, व्यष्ठियों द्वारा बचत को प्रोत्साहित करने के लिए कर अधिमानों, निर्यातों, संतुलित क्षेत्रीय विकास; संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन; वैज्ञानिक शोध और विकास; सहकारी क्षेत्र और पूँजी निवेश हेतु त्वरित मूल्यह्रास का प्रावधान करता है। इनमें से

---

7 हमने पहले 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2013 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में टिप्पणी की थी कि सरकार प्रतिदाय पर दिये गये ब्याज के लिए लेखांकन की गलत प्रक्रिया का पालन कर रही है।

8 संघ सरकार-संघ सरकार (सिविल) के लेखे 2011-12 की रिपोर्ट सं. 1 का पैराग्राफ सं. 4.1.1

अधिकतर कर लाभों को कारपोरेट और गैर-कारपोरेट दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

1.7.3 वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003, केन्द्र सरकार से जनहित में अपने वित्तीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और, यथा सम्भव, वार्षिक वित्तीय विवरण को तैयार करने और अनुदानों की मांग में गोपनीयता को न्यूनतम करने को सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों की अपेक्षा करता हैं। 13वें वित्त आयोग ने भी कर व्यय की गणना और इसके प्रकटन में अधिक पारदर्शी पद्धति अपनाने की सिफारिश की थी।

1.7.4 संघीय प्राप्ति बजट वि.व. 2005-06 से कर व्यय के विवरण को दर्शाता है जिसमें केवल कुछ प्रमुख करों का अनुमान लगाया जाता है। ये अनुमान हाल के वर्षों मे कारपोरेट और गैर कारपोरेट निर्धारितियों द्वारा इलैक्ट्रोनिक रूप से फाईल की गई विवरणियों पर आधारित हैं। कर छूटों के आधार पर छोड़ा गया राजस्व वर्षों से निश्चित (वि.व. 2010-11 को छोड़कर) रूप से बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में कर व्यय, प्रत्यक्ष कर और जीटीआर में गिरावट आ रही हैं जैसाकि तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: कर व्यय (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल कर व्यय	निम्नलिखित के *प्रतिशत* के रूप में कर व्यय		
		जीडीपी	डीटी	जीटीआर
2008-09	1,04,471	1.86	31.29	17.26
2009-10	1,18,023	1.82	31.26	18.90
2010-11	94,738	1.22	21.24	11.94
2011-12	1,01,140	1.12	20.47	11.38
2012-13	1,13,466	1.12	20.30	10.95

टिप्पणी: कर व्यय के आँकड़े प्राप्ति बजट के अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए छोड़े गए राजस्व के आँकड़े प्रक्षेपित है।

1.7.5 ऐसे छोड़े गए राजस्व के प्रभाव के परिणामों की निगरानी करने के लिए राजस्व विभाग में कोई तंत्र नहीं है। राजस्व विभाग ने कर बढ़ोतरी, जिसे बजट में दर्शाया गया था, के कारण छोड़े गए राजस्व का अनुमान लगाने का वार्षिक कार्य किया। राजस्व विभाग के अनुसार विशेष सैक्टर/क्षेत्र पर ऐसे छोड़े गए राजस्व के प्रभाव के परिणामों की निगरानी, संबंधित मंत्रालयों द्वारा की जानी है और वे उद्देश्यों की प्राप्तियों पर नियमित फीडबेक नहीं दे रहे हैं। यहाँ कर व्ययों की दक्षता और प्रभावकारिता की आवधिक रूप से जाँच/निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जोखिम शामिल है।

1.7.6 तथापि, वि.व. 2012-13 या पिछले वर्षों के दौरान आयकर विभाग की क्षेत्रीय संरचनाओं की लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने उन लाभार्थियों को कर छूटों के लाभों का अनियमित रूप से विस्तारण किया है जो इसके हकदार नहीं हैं। ब्यौरों को अध्याय III और IV में क्रमश: पैराग्राफ 3.3.1 और 4.3.1 में दिया गया है। इन मामलों में हमने कारपोरेट निर्धारितियों, जिन्होंने ₹ 1,005.48 करोड़ की अयोग्य रियायतों/ छूटों/कटौतियों को प्राप्त किया, से संबंधित 146 मामलों और नोन-कारपोरेट निर्धारितियों, जिन्होंने कुल ₹ 80.06 करोड़ का लाभ प्राप्त किया, के 35 मामलों को देखा।

1.7.7 प्रभावकारी कर दर (ईटीआर) सभी कर व्ययों को प्राप्त करने के बाद, कारपोरेट निर्धारितियों पर भार की दर है। कम्पनियों के लिए ईटीआर, प्राप्ति बजट 2013-14 में दर्शाए गए 32.44 *प्रतिशत* की सांविधिक कर दर के प्रति वि.व. 2011-12 में 22.85 *प्रतिशत* (वि.व. 2010-11 में 24.10 *प्रतिशत* से नीचे) थी।

1.8 कर आधार का विस्तारण और गहनता

1.8.1 विभाग के पास निर्धारिती आधार को बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्र मौजूद हैं, जिसमें सर्वेक्षण, दूसरे कर विभागों के साथ सूचना साझा करना और वार्षिक जानकारी विवरणियों में उपलब्ध तीसरे पक्ष की जानकारी शामिल है। स्वचलन ने भी क्रोस लिकिंग[9] को अधिक सरल बनाया है। इन तंत्रों में से अधिकतर निर्धारण अधिकारियों के स्तर पर उपलब्ध हैं। आयकर विभाग ने भी पिछले एक दशक के दौरान प्रमुख आईटी पहलों का उत्तरदायित्व लिया है जिनका कर आधार के विस्तारण और गहनता के लिए लाभ उठाया जा सकता था।

---

9 ई-टीडीएस से टीडीएस विवरणियों के गैर दाखिलकर्ता, बड़े निगमों और गैर-कॉरपोरेट कटौतीकर्ता द्वारा जमा टीडीएस के वार्षिक तुलनात्मक आँकड़ों, उनके द्वारा बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु टीएएन डॉटा का मिलान करना, पैन डॉटा आधार के साथ कर विवरणियों का मिलान और कटौतीदाता की विवरणी के साथ टीडीएस कटौतियों पर कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवरणी के मिलान संबंधी जानकारी।

1.8.2 निम्नलिखित तालिका 1.9 और 1.10 विभिन्न श्रेणियों में गैर-कारपोरेट और कारपोरेट निर्धारितियों के ब्यौरों को दर्शाती है।

तालिका 1.9: गैर-कॉरपोरेट निर्धारिती (आँकड़े लाख में)

वित्तीय वर्ष	क[10]	ख[11]	ख[12]	ग[13]	घ[14]	कुल
2008-09	278.36	31.15	10.93	2.67	0.12	323.23
2009-10	283.72	35.64	14.58	3.11	0.12	337.17
2010-11	271.29	38.36	17.78	4.49	0.12	332.04
2011-12	267.68	60.26	21.23	6.57	1.87	357.61
2012-13	276.13	58.21	23.94	6.59	3.00	367.87

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (संभार तन्त्र), शोध एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

तालिका 1.10: कॉरपोरेट निर्धारिती (आँकड़े लाख में)

वित्तीय वर्ष	क[15]	ख[16]	ख[17]	ग[13]	घ[14]	कुल	₹ 25 लाख से अधिक आय वाले निर्धारिती	31 मार्च तक आरओसी के अनुसार कार्यरत कम्पनियाँ
2008-09	1.67	0.59	0.48	0.51	0.03	3.28	0.07	7.50
2009-10	1.84	0.65	0.61	0.56	0.02	3.68	0.09	8.40
2010-11	1.69	0.76	0.67	0.62	0.02	3.76	0.22	7.20
2011-12	2.95	0.91	0.96	1.00	0.03	5.85	0.14	8.01
2012-13	3.05	0.97	0.83	1.02	0.03	5.90	0.14	8.84

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (संभार तन्त्र), शोध एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

1.8.3 गैर-कारपोरेट निर्धारितियों के आधार[18] की औसत वार्षिक वृद्धि वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 के दौरान कारपोरेट निर्धारितियों के आधार के संबंध में 19.97 *प्रतिशत* के प्रति समान अवधि के दौरान 3.45 *प्रतिशत* थी। श्रेणी 'ग' के गैर-कारपोरेट निर्धारितियों की संख्या वि.व. 2008-09 में 2.67 लाख से वि.व. 2012-13 में 6.59 लाख हो गई थी। तथापि, कारपोरेट निर्धारितियों की संख्या में समान अवधि के दौरान 0.51 लाख से 1.02 लाख तक बढ़ोतरी हुई। ₹ 25 लाख से अधिक की आय वाले कारपोरेट निर्धारितियों की संख्या वि.व. 2010-11 में 0.22 लाख से वि.व. 2012-13 में 0.14 लाख तक कम हुई। कारपोरेट निर्धारितियों की

10 श्रेणी "क" निर्धारिती- ₹ दो लाख से नीचे आय/हानि का निर्धारण।

11 श्रेणी "ख" निर्धारिती (कम आय समूह) -₹ दो लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ पांच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण।

12 श्रेणी "ख" निर्धारिती- ₹ पॉच लाख और उससे अधिक लेकिन ₹ 10 लाख से कम और इससे अधिक आय/हानि का निर्धारण।

13 श्रेणी "ग" निर्धारिती- ₹ 10 लाख और इससे अधिक की आय/ हानि के साथ निर्धारण।

14 श्रेणी "घ" निर्धारिती-तालाशी और जब्ती निर्धारण।

15 श्रेणी "क" निर्धारिती-₹ 50,000 से कम आय/हानि का निर्धारण।

16 श्रेणी "ख" निर्धारिती (कम आय समूह)- ₹ 50,000 और अधिक परंतु ₹ पाँच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण।

17 श्रेणी "ख" निर्धारिती (उच्च आय समूह)- ₹ पांच लाख और उससे अधिक परंतु ₹ 10.00 लाख से कम आय/हानि का निर्धारण।

18 स्रोत: निदेशालय आयकर (विधिक एवं शोध), शोध एवं सांख्यिकी विंग

संख्या (5.90 लाख) कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसीज़)[19] में पंजीकृत कम्पनियों की संख्या (8.84 लाख) से भिन्न है। विभाग इन भिन्नताओं में सांमजस्य स्थापित करने में विफल रहा।

1.9 निर्धारण से बचने वाली आय

1.9.1 कोई सुदृढ़ कर प्रशासन प्रणाली निर्धारितियों द्वारा कर के अपवंचन को रोकने, राजस्व के सर्वोत्तम हित में कर प्राप्तियों के निर्धारण हेतु सकारात्मक उपाय करने के लिए लक्षित होती है और यह कर मुक्त या कम कर देने वाले निर्धारितियों को इसकी परिधि में लाने के लिए कर आधार को विस्तारित और सघन करने का प्रयास करती है। वि.व. 2012-13 की हमारी अनुपालन रिपोर्ट में हमने कई मामले देखें, जहां विभाग की तरफ से ऐसे प्रयासों में कमी पाई गई थी।

1.9.2 हमने कारपोरेट निर्धारितियों, जिनकी आय का ₹ 251.80 करोड़ के कर प्रभाव के साथ निर्धारण नहीं/कम निर्धारण हुआ था, के 36 मामले और गैर-कारपोरेट निर्धारितियों, जिनकी आय का ₹ 29.10 करोड़ के कर प्रभाव के साथ निर्धारण नहीं/कम निर्धारण हुआ था, के 47 मामले सूचित किए हैं। ब्यौरों को अध्याय III और IV में क्रमश: पैराग्राफ 3.4.1 और 4.4.1 में दिया गया है। इसके अलावा, हमने अनुपालन लेखापरीक्षा में ₹ 1,118.14 करोड़ (पैराग्राफ 2.5.4, परिशिष्ट 8 देखें) के कर प्रभाव के साथ वि.व. 2012-13 के दौरान टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में चूक के 1,103 मामलें देखे, जो कर निर्धारण से बचने वाली आय की जाँच करने में विफलता को दर्शाता है।

1.10 कर ऋण-असंग्रहीत मांग

1.10.1 बकाया मांग के संग्रहण और वसूली पर बल देने हेतु अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद अर्थात निर्धारितियों की चल एवं अचल सम्पतियों की कुर्की और बिक्री, निर्धारितियों की सम्पतियों और कारावास के प्रबंधन के लिए प्राप्तिकर्ता की नियुक्ति, असंग्रहीत मांग[20] बढ़ रही है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत वसूली की शक्तियों के कार्यान्वयन के बावजूद कर मांग लम्बी अवधि तक वसूली नहीं जाती है। निम्नलिखित तालिका 1.11 वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 की अवधि के दौरान लम्बित असंग्रहीत मांग के रूझान को दर्शाती है।

---

19 स्रोत: कारपोरेट अफेयर मंत्रालय (आर एण्ड ए डिविजन)

20 स्रोत: सीएपी-I

तालिका 1.11: अंसग्रहीत मांग की स्थिति (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	पिछले वर्षो के लंबित संग्रहण की मांग	वर्तमान वर्ष की लंबित संग्रहण की मांग	कुल लंबित मांग	वसूली हेतु दुष्कर मांग (*प्रतिशत* में)
2008-09	93,344	1,07,932	2,01,276	1,87,575 (93.19)
2009-10	1,81,612	47,420	2,29,032	2,12,758 (92.89)
2010-11	2,02,859	88,770	2,91,629	2,71,143 (92.98)
2011-12	2,65,040	1,43,378	4,08,418	3,87,614 (94.91)
2012-13	4,09,456	76,724	4,86,180	4,66,854 (96.02)

स्रोत: मार्च 2013 माह के लिए विश्लेषण सहित सीएपी। मांग एवं संग्रहण विवरण।

सीबीडीटी ने विभिन्न कारणों, अर्थात वसूली के लिए अपर्याप्त परिसम्पत्तियों, परिसमापन/बीआईएफआर के तहत मामलें, निर्धारितियों का पता न लगना, विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा स्थगित मांग आदि जिनके कारण मांग की वसूली दुष्कर बन गई, को आरोपित किया (मार्च 2014)। वसूले न गए राजस्व की स्थिति को प्रत्येक मामलों में कारणों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से निगरानी की जाती है और वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संग्रहणों की सम्भावना का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है।

1.10.2 कुल लंबित मांग में से विभाग ने दर्शाया कि वि.व. 2012-13 में 96 *प्रतिशत* से अधिक वसूली के लिए कठिन है। वर्ष के अन्त में लंबित मांग वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 के दौरान दो गुना से अधिक बढ़ गई थी।

सीबीडीटी ने बताया (मार्च 2014) कि बढ़ोतरी को निवल कर संग्रहण, निर्धारितियों की संख्या, समान अवधि के दौरान किए गए निर्धारणों और विभिन्न स्तरों पर दीर्घकालीन मुकद्दमों के संदर्भ में देखा जाये।

1.10.3 कर भुगतान में चूकों को कर वसूली अधिकारियों (टीआरओज़) को भेजा जाता है जो निर्धारितियों से बकाया देय राशि की मात्रा और राशि की वसूली को शुरू करने के विस्तृत विवरण वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप बनाते हैं। वसूली तंत्र त्रुटिपूर्ण है क्योंकि संग्रहीत किए जाने से रह गई प्रमाणित मांग वि.व. 2008-09 में ₹ 0.27 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 2012-13 में ₹ 1.54 लाख करोड़ हो गई थी।

सीबीडीटी ने बताया (मार्च 2014) कि श्रमबल की कमी के साथ अधिक समय लगने वाली प्रक्रियाओं के कारण मांग की वसूली के लिए टीआरओ द्वारा किए गए प्रयासों ने तत्काल परिणाम नहीं दिए।

1.11 अभियोजन की प्रास्थिति

निम्न तालिका 1.12, वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 की अवधि के दौरान शुरू किए गए अभियोजनों की प्रास्थिति, निर्णित मामलों अर्थात अभिशंसित, संयोजित और विमुक्त को दर्शाती है।

तालिका 1.12: अभियोजन मामलों की प्रास्थिति (संख्या)

वित्तीय वर्ष	शुरू किए गए अभियोजन	निर्णित मामलें	अभिशंसित	संयोजित	विमुक्त (*प्रतिशत* में)
2008-09	162	146	14	13	119 (81.51)
2009-10	312	599	32	291	276 (46.08)
2010-11	244	356	51	83	222 (62.36)
2011-12	209	593	14	397	182 (30.69)
2012-13	267	164	15	96	53 (32.32)

स्रोत: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बार्ड

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अभियोजन मामलों में विमुक्तियों में वि.व. 2008-09 में 81.51 *प्रतिशत* से वि.व. 2012-13 में 32.32 *प्रतिशत* तक की तीव्रता से गिरावट आई। तथापि, अभिशंसा के मामलों में वि.व. 2008-09 में 14 से वि.व. 2010-11 में 51 तक की बढ़ोतरी हुई और वि.व. 2012-13 में 15 तक की तीव्र गिरावट आई। इसके अलावा, 31 मार्च 2013 तक बकाया अभियोजन मामलों की कुल संख्या 3,182 थी।

1.12 संवीक्षा निर्धारणों का निपटान

1.12.1 चार्ट 1.4 वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 के दौरान संवीक्षा निर्धारणों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाता है। निपटान हेतु लंबित निर्धारण वि.व. 2011-12 में 4.1 लाख से घटकर वि.व. 2012-13 में 2.8 लाख तक हो गए।

चार्ट 1.4: संवीक्षा निर्धारणों का निपटान

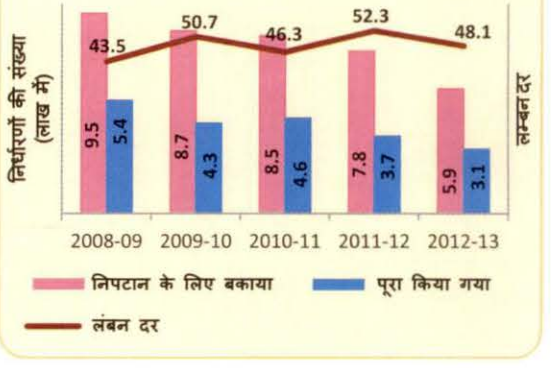

1.13 अपील मामलों के निपटान

1.13.1 निम्न तालिका 1.13 वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 के दौरान सीआईटी(अपील) के समक्ष अपील के मामलों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है। सीआईटी(ए) में लंबित अपीलों में वि.व. 2011-12 में 75.3 *प्रतिशत* से वि.व. 2012-13 में 70.1 *प्रतिशत* तक की कमी आई।

अपील मामलों में अवरूद्ध राशि में भी वि.व. 2008-09 में ₹ 1.99 लाख करोड़ से वि.व. 2012-13 में ₹ 2.6 लाख करोड़ (भारत सरकार के संशोधित राजस्व घाटा के 66.3 *प्रतिशत* के बराबर) तक की बढ़ोतरी हुई।

तालिका 1.13: सीआईटी (ए) द्वारा अपील मामलों का निपटान (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु बकाया अपीलें	निपटाई गई अपीलें	लबित अपीलें	प्रतिशतता में लम्बन	अपीलों में अवरूद्ध राशि
	(संख्या लाख में)				
2008-09	2.24	0.66	1.58	70.4	1,99,101
2009-10	2.61	0.80	1.81	69.4	2,20,148
2010-11	2.58	0.70	1.88	72.6	1,98,088[21]
2011-12	3.06	0.76	2.30	75.3	2,42,182
2012-13	2.84	0.85	1.99	70.1	2,59,556

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (संभार तंत्र), शोध एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

1.13.2 उच्चतर स्तरों (आईटीएटी/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय) पर अपीलों में अवरूद्ध राशि 31 मार्च 2012 को 65,803 मामलों में ₹ 1.63 लाख करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2013 को 69,714 मामलों में 1.52 लाख करोड़ थी।

1.14 प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों का निपटान

1.14.1 निम्न तालिका 1.14 वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 के दौरान प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों के निपटान एवं लम्बन की प्रवृति को दर्शाती है। निपटान के लिए लंबित प्रत्यक्ष प्रतिदायों की संख्या में वि.व. 2011-12 में 12.5 लाख से वि.व. 2012-13 में 11.2 लाख तक की गिरावट आई।

तालिका 1.14: प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों का निपटान (संख्या लाख में)

वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु बकाया प्रत्यक्ष प्रतिदाय	निपटान किए गए प्रत्यक्ष प्रतिदाय	लंबित प्रत्यक्ष प्रतिदाय	प्रतिशतता में लम्बन
2008-09	42.2	26.7	15.5	36.7
2009-10	48.0	28.6	19.4	40.4
2010-11	59.9	40.4	19.5	32.6
2011-12	52.8	40.3	12.5	23.7
2012-13	38.8	27.6	11.2	28.8

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (संभार तंत्र), शोध एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

21 विभाग ने आरम्भ में ₹ 2,93,548 करोड़ के रूप में आँकडों की सूचना दी। तदनन्तर, संसद में 2011-12 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 27 के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, सीबीडीटी ने ₹ 1,98,088 करोड़ के रूप में इस आँकड़े की सूचना (मार्च 2014) दी।

1.14.2 सरकार ने 2012-13 में ₹ 83,766 करोड़ का प्रतिदाय किया जिसमें ब्याज के ₹ 6,666 करोड़ (8.0 *प्रतिशत*) शामिल हैं। 2011-12 में प्रतिदायों पर किया गया ब्याज भुगतान ₹ 6,486 करोड़ था (प्रतिदाय की गई राशि ₹ 93,814 करोड़ का 6.9 *प्रतिशत*)।

1.15 आयकर विभाग की नीतिगत योजना (2011-15)

1.15.1 विभाग ने 2011-15 के दौरान मापयोग्य लक्ष्यों और कार्यकलापों के साथ परिदृश्य 2020 नामक नीतिगत योजना तैयार की। अन्य बातों के साथ-साथ कार्रवाई योग्य बिन्दुओं में कर आधार का आँकलन और राजस्व पूर्वानुमान मॉडल को विकसित करना, कर नि:सरण पर अध्ययन शुरू करना, शोध यूनिट की स्थापना करना, डाटा वेयरहाऊस और व्यापार आसूचना मॉडल विकसित करना, अन्तर्राष्ट्रीय कराधान एवं निगरानी में पहल करना शामिल है।

1.15.2 प्रधानमंत्री ने सितम्बर 2009 में भारत में सभी सरकारी मंत्रालयों/ विभागों के लिए "निष्पादन निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली" (पीएमईएस) हेतु नए तंत्र का अनुमोदन किया। इस प्रणाली के तहत् प्रत्येक केन्द्र सरकार/ विभाग से परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (आएफडी) तैयार करना अपेक्षित है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में उच्च सशक्त समिति ने आरएफडी प्रणाली के चरण III में राजस्व विभाग के अन्तर्गत जवाबदेही तंत्रों को शामिल करने का निर्णय लिया (मार्च 2011)। तदनुसार, आयकर विभाग ने वि.व. 2012-13 के लिए अपने आरएफडी तैयार की। आरएफडी में सीबीडीटी ने करदाता सेवाओं के लिए करदाता की सेवा को बढ़ाने और आईटी समर्थ सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु आयकर विभाग में आयकरदाताओं के साथ बेहतर सम्प्रेषण, बेहतर प्रबंधन और मानव संसाधनों के विकास पर फोकस करने का विचार किया है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सीबीडीटी ने मौजूदा रिक्तियों को भरने, उचित प्रशिक्षण प्रदान करने, बेहतर अवसंरचना का सृजन करने और करदाताओं को शिक्षित करने का प्रस्ताव रखा है।

1.16 आयकर विभाग की आईटी पहलें

1.16.1 प्रभावी योजना के सहित कर आधार को भी विस्तारित करने के प्रति कर प्रशासन की दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार और प्रबंधन को विश्वसनीय और समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के मद्देनजर आयकर विभाग (आईटीडी) ने 1980 के दशक के प्रारम्भ में कम्प्यूटीकरण आरंभ किया जिसने विशिष्ट कार्यात्मर्कताओं को लक्षित किया। 1993 तक, आयकर

विभाग के पास व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम (सीसीपी) के तहत् अधिक विस्तृत सीमा कम्प्यूटीकरण रोड मैप था। आयकर विभाग ने समय-समय पर निर्धारिती सूचना प्रणाली (एआईएस), निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी), ऑन-लाईन कर लेखांकन प्रणाली (ओलटास), इलैक्ट्रोनिक्स कर कटौती प्रणाली (ई-टीडीएस), व्यक्तिगत चालू खाता लेखांकन प्रणाली (इरला), कम्प्यूटर सहायता संवीक्षा प्रणाली (सीएएसएस) और आयकर विभाग के कार्यकारी क्षेत्रों के लिए कार्यान्वयन सूचना प्रणाली (ईआईएस) जैसे अधिक आईसीटी अनुप्रयोग प्रारम्भ किए हैं। इसके अतिरिक्त, पे रोल प्रणाली (पीएएस), श्रमबल प्रबंधन प्रणाली (एमएमएस), न्यायिक संदर्भ प्रणाली (जेआरएस), वित्तीय संसाधन प्रणाली (एफआरएस), प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) जैसे बहुत से दूसरे आंतरिक प्रबंधन और हाऊसकीपींग मॉड्यूल भी कार्यरत हैं।

1.16.2 आयकर विभाग ने समस्त भारत की ई-फाईल्ड विवरणियों और कर्नाटक तथा गोवा की पेपर विवरणियों को संसाधित करने के लिए बैंगलूरू में एक केन्द्रीय संसाधन केंद्र (सीपीसी) स्थापित किया था। इस सीपीसी ने अक्टूबर 2009 में परिचालन शुरू किया। आयकर विभाग ने पुणे (महाराष्ट्र), मानेसर (हरियाणा) में प्रत्यक्ष आईटीआरज़ के संसाधन हेतु दो अतिरिक्त सीपीसीज और गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में टीडीएस विवरणियों के संसाधन हेतु एक सीपीसी को शुरू करने की योजना बनाई।

1.16.3 हमने आयकर विभाग में आईटी अनुप्रयोगों से संबंधित 2012-13 की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 23 में आयकर विभाग के अनुप्रयोगों (एएसटी, ओलटास, ई-टीडीएस एवं इरला) के चार मॉड्यूलों पर टिप्पणी की थी। पीएसी ने भी 2013-14 के दौरान इस रिपोर्ट पर चर्चा की थी। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित हैं।

1.16.4 विभाग ने आयकर कारोबार अनुप्रयोग (आईटीबीए) नाम वाली एक अलग से परियोजना का उत्तदायित्व लिया है जिसके साथ इसने विद्यमान आयकर अनुप्रयोगों की नई संरचना और रूपरेखा में पुन: लिखने की योजना बनाई है। यह परियोजना प्रत्यात्मक स्तर पर है और इसके अप्रैल 2015 तक पूरे होने की संभावना है। एएसटी प्रणाली में संवीक्षा आदेशों की अपलोडिंग के प्रति विभाग की पहल को वि.व. 2011-12 से अनिवार्य बना दी गई थी। अब, सभी एओज़ के लिए केवल एएसटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से संवीक्षा निर्धारणों के आदेशों को पारित करना अपेक्षित है।

1.17 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

1.17.1 आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह आश्वासन प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के सही कार्यान्वयन द्वारा मांग/प्रतिदाय सही ढंग से संसोधित किए जा रहे हैं।

1.17.2 विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के उद्देश्यात्मक सैटअप और प्रभाव रखने के लिए जून 2007 में एक नई आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली प्रारम्भ की, जबकि निर्धारण कार्य और लेखापरीक्षा कार्य विभिन्न विशेषीकृत विंग को दिए गए। प्रत्येक सीआईटी (लेखापरीक्षा) के अन्तर्गत एक अतिरिक्त सीआईटी होना चाहिए जो उच्च स्तरीय मामलों की आन्तरिक लेखापरीक्षा और उप/सहायक सीआईटी की अध्यक्षता में विशेष लेखापरीक्षा पार्टी (एसएपी) और आईटीओज़ की अध्यक्षता में आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टी (आईएपी) के लेखापरीक्षाकार्य के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रत्येक अतिरिक्त सीआईटी, एसएपी और आईएपी द्वारा एक वर्ष में लेखापरीक्षा किए गए मामलों की न्यूनतम संख्या क्रमश: 50,300 और 1,300 (600 निगमित मामलें और 700 गैर-निगमित मामलें) होने चाहिए।

1.17.3 आंतरिक लेखापरीक्षा विंग की कार्यक्षमता के आधार पर वि.व. 2012-13 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा 2,65,200 मामलों की लेखापरीक्षा की गई थी। इनमें से 67.83 *प्रतिशत* लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 1,79,872 मामले पूरे किए गए। तालिका 1.15 वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 तक प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए उठाई गई, निपटाई गई और लम्बित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण दर्शाती है:

तालिका 1.15: जोड़े गए, निपटान किए गए और लंबित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के दौरान जमा		वर्ष के दौरान निपटान किए गए		वर्ष के दौरान लम्बन	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2008-09	9,068	1,951.64	2,866	334.47	21,299	3,404.15
2009-10	14,577	1,224.81	6,434	657.58	29,442	3,971.37
2010-11	13,494	5,466.88	7,996	921.85	34,940	8,516.40
2011-12	13,771	1,879.85	14,148	1,118.49	34,563	9,277.76
2012-13	18,275	4,135.48	16,626	2,736.12	36,212	10,677.12

स्रोत: निदेशालय आयकर (आयकर एवं लेखापरीक्षा), नई दिल्ली

1.17.4 आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों का लम्बन पिछले पाँच वर्षों के दौरान 1.7 गुणा से अधिक है। आंतरिक लेखापरीक्षा पर विभागीय प्रतिक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में निर्धारण अधिकारी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत मुख्य निष्कर्षों[22] में ₹ 13,268.29 करोड़ के कर प्रभाव वाले 16,549 मामलों में से ₹ 2,709.98 करोड़ (20.42 *प्रतिशत*) के कर प्रभाव वाले केवल 4,351 मामलों (26.24 *प्रतिशत*) पर कार्रवाई की गई थी। वित्तीय वर्ष 2008-09 में ₹ 3,404.2 करोड़ के कर प्रभाव वाले 21,299 मामलों में से वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 10,677.1 करोड़ के कर प्रभाव वाले 36,212 मामलों की कुल लम्बन वृद्धि हुई।

1.17.5 इसके अतिरिक्त, हमे आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व में की गई लेखापरीक्षा में निर्धारणों में कई कमियों का पता लगा। वित्तीय वर्ष 2012-13 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित 3,872 निर्धारणों में हमने गलतियों को इंगित किया जिनका उनके द्वारा पता नहीं लगाया गया था। यह आंतरिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता की ओर संकेत करता है।

1.17.6 इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल 459 पैराग्राफों में से आंतरिक लेखापरीक्षा ने 51 मामलों (11.1 *प्रतिशत*) की लेखापरीक्षा की लेकिन ऐसी गलतियों को नहीं खोजा जो आंतरिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता की तरफ संकेत करती है।

22 आयकर में एक लाख और दूसरे करों में 30,000 से अधिक पर लेखापरीक्षा आपत्ति

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार

2.1.1 सी एण्ड एजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 16, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य की सरकारों और विधानसभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों (राजस्व और पूँजी दोनों) की लेखापरीक्षा करने और स्वयं की संतुष्टि के लिए कि नियमों और क्रियाविधियों को राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिए बनाया गया है और उनका विधिवत पालन किया जा रहा है, का प्राधिकार प्रदान करती है। लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 में प्राप्ति लेखापरीक्षा हेतु निम्नवत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है:

2.2 प्रणालियों और क्रियाविधियों की जाँच और उनकी प्रभावोत्पादकता

2.2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में निम्नवत के बारे में प्रणालियों एवं क्रियाविधियों और उनकी क्षमता की जाँच को शामिल किया जाता है:

क. संभावित कर निर्धारितियों की पहचान, कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ कर अपवंचन का पता लगाना और रोकना;

ख. अन्य समान मामलों की समीक्षा सहित, यदि आवश्यक हो, धोखे, चूक या गलती के माध्यम से राजस्व की हानि की तुरन्त जाँच;

ग. शास्तियों के उदग्रहण और अभियोग चलाने सहित विवेकाधिकार शक्तियों को उपयुक्त रूप से प्रयोग करना;

घ. विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त कार्यवाही;

ङ. कोई योजना जिसे समय -समय पर सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जाए;

च. राजस्व प्रशासन को सुदृढ करने या सुधारने के लिए आरंभ किये गये कोई उपाय;

छ. राशि जो बकाया में हो, बकाया के अभिलेखों का रख-रखाव और बकाया राशियों की वसूली हेतु की गई कार्रवाई ;

ज. समुचित सावधानी से दावों का अनुसरण करना और उपयुक्त औचित्य और उचित प्राधिकार के अलावा उन्हें न तो परित्यक्त किया गया है, और न ही कम किया गया है;

झ. अन्य गौण और निर्धारण रहित कार्यों जिनमें विभाग द्वारा किया गया व्यय शामिल है;

ञ. लक्ष्यों की प्राप्ति, प्राप्तियों का लेखांकन और रिपोर्टिंग और उनका लेखा अभिलेखों के साथ प्रति सत्यापन और समाधान; प्रतिदायों, कटौतियों, ड्रा बैक, छूटों और कमियों की राशियों के संबंध में यह देखना कि उनका सही ढंग से निर्धारण और लेखांकन किया गया हैं; और

ट. कोई भी अन्य मामला जिसे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अवधारित किया जाए।

2.3 लेखापरीक्षा उत्पाद

2.3.1 लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 के नियम 205 के अनुसरण में, हम संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट और आवधिक निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्टें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार करते हैं। भारत के सी एण्ड एजी के पास लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 के नियम 205 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के स्वरूप, विषय-वस्तु और प्रस्तुतीकरण के समय के निर्धारण का प्राधिकार है।

2.3.2 इस अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मंत्रालय[23] को जारी किए गए 459 उच्च मूल्य और महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई है। *परिशिष्ट* 5 में ऐसे मामलों का ब्यौरा दर्शाया गया है। तालिका 2.1 में ऐसे मामलों[24] का वर्गवार ब्यौरा दर्शाया गया है। हमने कुछ महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा अध्याय III और IV में की है।

तालिका 2.1: उच्च मूल्य वाली गलतियों के मामलों के श्रेणी-वार ब्यौरे (₹ करोड़ में)

श्रेणी	नि. कर		आ. कर		योग	
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	122	774.41	38	50.78	160	825.19
ख. कर रियायतें/छूटों/ कटौतियों का प्रबंधन	146	1,005.48	35	80.06	181	1,085.54
ग. चूकों के कारण निर्धारण से बच गई आय	36	251.80	47*	29.10	83	280.90
घ. कर/ब्याज का अधि प्रभार	28	162.06	7	13.81	35	175.87
योग	**332**	**2,193.75**	**127***	**173.75**	**459**	**2,367.50**

* ₹ 1.88 करोड़ के कर प्रभाव के धन के कम निर्धारण के 17 मामलों सहित

23 *वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड*

24 *उप-श्रेणीवार ब्यौरे परिशिष्ट 6 में हैं।*

2.4 लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली

2.4.1 हमारे द्वारा इंगित करने पर आईटीडी ने निर्धारिणों में त्रुटियों में सुधार करने पर मांग को उठाने से विगत पांच वर्षों में ₹ 2734.63 करोड़ की वसूली की। इसमें वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 270.4 करोड़ की वसूली भी शामिल है। नीचे दिया गया चार्ट 2.1 वि.व. 2011-12 में वसूली में अचानक बढ़ोतरी दर्शाता है जो वि.व. 2012-13 में घट गई।

चार्ट 2.1: वसूली की प्रवृत्ति

2.5 त्रुटियों की घटना

2.5.1 आईटीडी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 में 2,32,610 संवीक्षा निर्धारण पूरे किये जिनमें से हमने 2,15,224 मामलों की चांज की। लेखापरीक्षा में की गई जाँच में निर्धारण में 17,028 मामलों में त्रुटियाँ थीं जो औसतन 7.9 *प्रतिशत* थीं (*परिशिष्ट* 7) जो पिछले साल के औसत (6.1 *प्रतिशत*) से अधिक थी।

2.5.2 नीचे दी गई तालिका 2.2 में वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान निर्धारण में त्रुटियों का ब्यौरा दिर्शाया गया है।

तालिका 2.2: निर्धारणों में त्रुटियों का कर वार ब्यौरा (₹ करोड़ में)

श्रेणी	मामले	कर प्रभाव
क. निगम कर और आयकर	16,865	12,599
ख. धनकर	1,072	28
ग. अन्य प्रत्यक्ष कर	372	47
जोड़	**18,309**[25]	**12,674**

टिपप्णी: उपरोक्त सभी निष्कर्ष और उसके बाद के सभी निष्कर्ष चयनित निर्धारिणों की लेखापरीक्षा पर एक मात्र रूप से आधारित हैं।

25 वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पूर्ण हुए और वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षित संवीक्षा निर्धारिणों के संबंध में पैराग्राफ 2.5.1 में त्रुटियों के साथ निर्धारिणों की संख्या दर्शाइे गई है। तालिका 2.2 में दिए गए 18,309 मामले वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षित सभी मामलों से संबंधित है जिसमें पहले पूरे हुए निर्धारण भी शामिल हैं।

2.5.3 ₹ 23,663 करोड़ के कर प्रभाव वाले 17,028 मामलों में से ₹ 1,106 करोड़ के कर प्रभाव वाले 2,462 मामले अधिक निर्धारण से संबंधित थे।

2.5.4 नीचे दी गई तालिका 2.3 निगम कर और आयकर से संबंधित कम निर्धारण के वर्ग वार ब्यौरे दर्शाती है। *परिशिष्ट* 8 उनके तहत् उप-श्रेणियों के संबंध में ब्यौरे दर्शाता है।

तालिका 2.3: त्रुटियों का श्रेणी-वार ब्यौरा		(₹ करोड़ में)
श्रेणी	**मामले**	**कर प्रभाव**
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	4,527	2,407
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रबंधन	6,906	7,299
ग. चूकों के कारण निर्धारण से बच गई आय	2,620	2,148
घ. अन्य	2,812	745
जोड़	**16,865**	**12,599**

2.6 लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

2.6.1 हमने लेखापरीक्षा के विभिन्न स्तरों पर लेखा परीक्षित इकाइयों से प्रतिक्रियाऐं प्राप्त की। स्थानीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर, हमने आईटीडी को टिप्पणियों हेतु स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएआर) जारी की। इसके अतिरिक्त, इनमें से महत्वपूर्ण और अधिक मूल्य वाले मामलों को हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को जारी किए।

2.6.2 सीबीडीटी ने अनुदेश (2006) जारी किये कि एलएआर के उत्तर छः सप्ताह के अंदर दिये जाने चाहिए। निर्धारण अधिकारियों (एओज) को मांगों में त्रुटियाँ सही करने के लिए दो महीनों में उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ करनी अपेक्षित है ताकि ऐसा न हो कि वे कालबाधित हो जाएं जिसके कारण राजस्व की हानि हो।

2.7 स्थानीय लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

2.7.1 नीचे दी गई तालिका 2.4 वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 के दौरान जारी मामलों के संबंध में प्राप्त उत्तरों और स्वीकृत अभ्युक्तियों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 2.4: स्थानीय लेखापरीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया						
वित्तीय वर्ष	की गई अभ्युक्तियाँ	प्राप्त किये गये उत्तर		उत्तर प्राप्त नहीं हुए	स्वीकृत मामलों का %	उत्तर प्राप्त न होने का %
		स्वीकृत मामले	अस्वीकृत मामले			
2008-09	19,631	4,898	5,892	8,841	25.0	45.0
2009-10	19,227	2,927	3,919	12,381	15.2	64.4
2010-11	20,130	4,354	3,568	12,208	21.6	60.7
2011-12	19,624	3,945	2,971	12,708	20.1	64.8
2012-13	18,548	3,343[26]	4,124	11,081	18.0	59.7

2.8 उच्च मूल्य वाले मामलों पर प्रतिक्रिया

2.8.1 हमने उच्च मूल्य वाले मामलों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनके समावेश से पूर्व मंत्रालय को उन पर टिप्पणियाँ देने के लिए छः सप्ताह दिये। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गए 459 उच्च मूल्य वाले मामलों में से, मंत्रालय ने 226 मामले (49 *प्रतिशत*) स्वीकार किये। जबकि 12 मामले स्वीकार नहीं किये एवं 221 मामलों में फरवरी 2014 तक उत्तर नहीं दिया।

2.8.2 तालिका 2.5 में 390 मामलों में की गई उपचारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 2.5: की गई कार्रवाई का ब्यौरा						(₹ करोड़ में)
श्रेणी	कार्रवाई पूरी की गई और वसूली गई राशि		कार्रवाई पूरी की गई परंतु वसूली अभी बाकी है		केवल कार्रवाई प्रारंभ की गई	
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव
क. निगम कर	2	2.12	251	1,338.88	14	85.92
ख. आयकर	3	2.60	96	155.51	8	6.29
ग. धनकर	1	0.01	13	1.74	2	0.11
जोड़	**6**	**4.73**	**360**	**1,496.13**	**24**	**92.32**

2.8.3 अध्याय III और IV में क्रमशः निगम कर, आयकर और धनकर के संबंध में निर्धारणों में त्रुटियों का ब्यौरा दर्शाया गया है।

26 1,453-स्वीकृत मामले और उपचारात्मक कार्रवाई की गई; 1,890-स्वीकृत मामले परंतु उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

2.9 लेखापरीक्षा आपत्तियों का लंबन

2.9.1 प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तरों के लंबन में अभिवृद्धि के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2013 तक ₹ 55,202.1 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 55,072 मामले जमा हो गए थे। नीचे दी गई तालिका 2.6 अभ्युक्तियों के लंबन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 2.6: बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के ब्यौरे (₹ करोड़ में)

अवधि	नि. कर		आ. कर		आ. कर		जोड़	
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव
मार्च 2009 तक	3,253	5,687	4,554	1,220	822	32.7	8,629	6,939.7
2009-10	2,983	4,643	3,612	4,249	653	21.8	7,248	8,913.8
2010-11	4,161	7,600	5,405	2,410	843	185.3	10,409	10,195.3
2011-12	4,495	15,036	7,337	2,070	740	44.0	12,572	17,150.0
2012-13	5,350	8,824	9,584	3,074	1,280	105.3	16,214	12,003.3
जोड़	**20,242**	**41,790**	**30,492**	**13,023**	**4,338**	**389.1**	**55,072**	**55,202.1**

2.10 कालबाधित उपचारात्मक कार्रवाई

2.10.1 नीचे दी गई तालिका 2.7 वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 के दौरान कालबाधित मामलों का ब्यौरा दर्शाती है।

तालिका 2.7: कालबाधित मामलों का ब्यौरा (₹ करोड़ में)

प्रतिवेदन का वर्ष	मामले	कर प्रभाव
2008-09	16,557	5,613
2009-10	5,644	2,869
2010-11	7,942	5,335
2011-12	3,907	1,083
2012-13	2,207	899.87

2.10.2 वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, ₹ 899.87 करोड़ के कर प्रभाव वाले 2,207 मामले उपचारात्मक कार्रवाई हेतु कालबाधित हो गए थे। *परिशिष्ट 9* ऐसे मामलों का ब्यौरा दर्शाता है।

2.11 अभिलेखों को उपलब्ध न कराना

2.11.1 हमने करों के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी जाँच सुनिश्चित करने के मद्देनजर और यह जाँचने के लिए कि नियमावलियों और क्रियाविधियों का अनुपालन किया जा रहा है, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 16 के अंतर्गत निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा की। आईटीडी के लिए यह आवश्यक है कि वह लेखापरीक्षा को अविलंब अभिलेख उपलब्ध कराये और सुसंगत सूचना प्रस्तुत करें।

2.11.2 आईटीडी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान माँगे गए 3,23,688 अभिलेखों में से 47,600 अभिलेख (14.7 *प्रतिशत*) उपलब्ध नहीं कराये। इनमें से, छः राज्यों से संबंधित 486 अभिलेख विगत तीन या अधिक क्रमानुगत लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। तालिका 2.8 राज्य-वार ब्यौरा दर्शाती है।

तालिका 2.8: तीन या अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को उपलब्ध न कराये गये अभिलेख

राज्य		उपलब्ध न कराये गये अभिलेख
क.	आंध्र प्रदेश	87
ख.	कर्नाटक	239
ग.	मध्य प्रदेश	48
घ.	महाराष्ट्र	8
ङ.	ओडिशा	101
च.	तमिलनाडु	3
	जोड़	**486**

अध्याय III: निगम कर से संबंधित निर्धारणों का विश्लेषण

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 अध्याय III में मंत्रालय को जुलाई और नवम्बर 2013 के बीच जारी ₹ 2,193.75 करोड़ (₹ 2031.69 करोड़ के कम प्रभार के 304 मामले और ₹ 162.06 करोड़ के अतिप्रभार[27] वाले 28 मामले) के कर प्रभाव के साथ निगम कर से संबंधित उच्च मूल्य के 332 मामलों पर चर्चा की गई है। तालिका 3.1 में त्रुटियों की व्यापक श्रेणियों और उनके कर प्रभाव का विवरण दर्शाया गया है:

तालिका सं. 3.1: त्रुटियों की श्रेणी और कर प्रभाव (₹ करोड़ में)

श्रेणी		मामले	कर प्रभाव
क.	निर्धारणों की गुणवत्ता	122	774.41
ख.	कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	146	1,005.48
ग.	चूकों के कारण निर्धारणों से छूटी आय	36	251.80
घ.	कर/ब्याज का अतिप्रभार	28	162.06
जोड़		**332**	**2,193.75**

3.1.2 प्रत्येक व्यापक श्रेणी के अन्तर्गत, हम समान प्रकृति की गलतियों को उजागर करने के उद्देश्य से उप-श्रेणी दर्शाते हैं। प्रत्येक उप-श्रेणी अधिनियम के प्रावधानों का हलावा देते हुए एक प्रस्तावना के साथ शुरू होती है, बाद में महत्वपूर्ण मामले(लों) का वर्णन किया जाता है।

3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

3.2.1 निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारणों में त्रुटियाँ की। गलत निर्धारणों के इन मामलों से आयकर विभाग में आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। तालिका 3.2 उन त्रुटियों की उप-श्रेणी दर्शाती है जिनसे निर्धारणों की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

---

27 सही ऑकडें अपनाने में त्रुटियों, आय की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों, कर/ब्याज इत्यादि में गलत दरें लगाने के कारण अतिप्रभार लगाया गया।

तालिका 3.2: निर्धारण की गुणवन्ता में त्रुटियों का विवरण				(₹ करोड़ में)
उप श्रेणी		मामले	कर प्रभाव	राज्य
क.	आय और कर की सं. गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	61	585.88	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
ख.	ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियाँ	34	57.81	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
ग.	अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	10	37.35	दिल्ली, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
घ.	कर और अधिभार लगाने में गलत दर का प्रयोग	7	9.40	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
ङ.	अपीलीय आदेश का पालन करते समय निर्धारणों में गलतियाँ	10	83.97	गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखण्ड
जोड़		**122**	**774.41**	

3.2.2 आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हम ऐसे पाँच निदर्शी मामलें नीचे दे रहे हैं:

धारा 143(3) निर्धारण अधिकारियों द्वारा आय का सही तरीके से मूल्यांकन और निर्धारण करने का प्रावधान करती है। विभिन्न प्रकार के दावों और लेखाओं, रिकार्डों और विवरणों के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के निर्धारण की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत रूप से जाँच की जानी अपेक्षित है। सीबीडीटी ने भी इस संबंध में समय समय पर अनुदेश जारी किए हैं।

3.2.2.1 सीआईटी-V प्रभार, दिल्ली में, निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2009-10 के लिए **एनटीपीसी लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय एओ ने दिसम्बर 2011 में ₹ 6462.11 करोड़ की आय पर संवीक्षा के बाद 'वेतन संशोधन हेतु प्रावधान' के कारण ₹ 534.20 करोड़ की कटौती को अस्वीकृत किया परन्तु इसे ₹ 5.34 करोड़ के रूप में स्वीकार किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 528.86 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 179.75 करोड़ के कर का कम उदग्रहण अन्तर्ग्रस्त था।

3.2.2.2 सीआईटी-I कोल्हापुर प्रभार, महाराष्ट्र में एओ ने दिसम्बर 2009 में शून्य आय पर संवीक्षा के बाद नि.व. 2007-08 हेतु **दी सागँली बैंक लिमिटेड**

का निर्धारण पूरा किया एवं ₹ 388.37 करोड़ के व्यापार घाटे तथा अनावशोषित मूल्यह्रास को अग्रेनीत करने की अनुमति दी। कर की गणना करते समय, एओ ने ₹ 129.15 करोड़ के सही आँकडे के स्थान पर व्यापार घाटे तथा अनवशोषित मूल्यह्रास की राशि को गलती से ₹ 388.37 करोड़ अपनाया, जो निर्धारिती द्वारा फाइल की गई आय की विवरणी में दर्शायी गई थी। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 259.22 करोड़ के व्यापार घाटे तथा अनवशोषित मूल्यह्रास का गलत अग्रेनयन हुआ जिसमें ₹ 87.25 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी ने धारा 154 के तहत गलती को संशोधित किया (मार्च 2012)।

3.2.2.3 सीआईटी-VII मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, दिसम्बर 2009 में ₹ 75.43 करोड़ के घाटे पर संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2007-08 के लिए **टाटा टेली सर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड** के निर्धारण को पूरा करते समय एओ ने अग्रेनीत हानियों का समंजन करने से पहले ₹ 100.05 करोड़ की व्यापार आय को गलत रूप से कारबार हानि के रूप में अपनाया तथा ₹ 24.62 करोड़ अननुमत किये परन्तु इसे वापस व्यापार आय में नहीं जोड़ा। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 124.67 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 67.35 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा धारा 154/155 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की (मार्च 2013)।

3.2.2.4 सीआईटी-VII मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, अक्टूबर 2011 में ₹ 162.27 करोड़ की आय पर संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2007-08 हेतु **सीमेन्स इन्फोर्मेशन सिस्टम लिमिटेड** के मामले में करयोग्य आय की गणना करते समय एओ ने धारा 10ए के तहत ₹ 140.01 करोड़ की कटौती अननुमत की परन्तु इसे ₹ 14.01 करोड़ अपनाया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 126 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 65.74 करोड़ के कर का कम उदग्रहण शामिल था। आईटीडी ने गलती स्वीकार की एवं धारा 154 के तहत गलती में संशोधन (सितम्बर 2012) किया।

3.2.2.5 सीआईटी-II बडोदा प्रभार, गुजरात में, दिसम्बर 2010 में ₹ 2.59 करोड़ के घाटे पर संवीक्षा के पश्चात नि.व. 2008-09 हेतु **उत्तर गुजरात बिज कम्पनी लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय ऐओ ने ₹ 11.96 करोड़ की घनात्मक आय को (-) ₹ 11.96 करोड़ अपनाया और ₹ 9.37 करोड़ वापस जोड़े। घनात्मक आय को नकारात्मक आय के रूप में गलत अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 21.33 करोड़ तक आय का कम निर्धारण तथा ₹ 2.59 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ जिसमें ₹9.65 करोड़ का घनात्मक कर प्रभाव तथा ₹ 0.88 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी ने धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्यवाही की (मार्च 2013)।

3.2.3 ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियाँ

हम पाँच निदर्शी मामले नीचे दे रहे है:

अधिनियम में सरकार द्वारा निर्धारितियों द्वारा की गई विभिन्न चूकों के लिए समय समय पर निर्धारित दरों पर ब्याज लगाने का प्रावधान है।

3.2.3.1 सीआईटी-I (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) प्रभार, दिल्ली में, एओ ने अक्टूबर 2011 में ₹ 1,043.75 करोड़ की आय पर संवीक्षा के पश्चात् नि. व. 2007-08 हेतु **एरिक्सन रेडियो सिस्टम एबी** के मामले में कर माँग की गणना करते समय धारा 234बी के तहत ₹ 92.16 करोड़ की सही राशि के स्थान पर गलती से ₹ 87.0 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण किया। इस गलती के परिणामस्वरूप 5.16 करोड़ के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत गलती का संशोधन (दिसम्बर 2012) किया।

3.2.3.2 सीआईटी-I इन्दौर प्रभार, मध्य प्रदेश में, नि.व. 2003-04 से नि.व. 2009-10 के लिए क्रमश: ₹ 3.05 करोड़, ₹ 4.85 करोड़, ₹ 6.53 करोड़, ₹ 15.22 करोड़, ₹ 35.22 करोड़, ₹ 39.76 करोड़ तथा ₹ 93.03 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2010 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के तहत **जूम डेवेलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड** का तलाशी निर्धारण पूरा करते समय एओ ने विवणियों को फाइल करने में ग्यारह महीने के विलम्ब के लिए धारा 153ए के तहत जारी किए गए नोटिस की प्रतिक्रिया में धारा 234ए के तहत ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234ए के तहत ₹ 4.56 के ब्याज का उदग्रहण नही हुआ। *आईटीडी ने धारा 154 के तहत गलती का संशोधन किया (दिसम्बर 2012)।*

3.2.3.3 डीआईटी-I (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) प्रभार, दिल्ली में, सितम्बर 2011 में ₹ 339.17 करोड़ की आय पर संवीक्षा के पश्चात् नि. व. 2008-09 हेतु **हुवई टेक्नोलॉजीज कम्पनी लिमिटेड** के मामले में कर माँग की गणना करते समय एओ ने धारा 234बी के तहत ₹ 8.47 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 4.23 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 4.24 करोड़ के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। *आईटीडी ने धारा 154 के तहत गलती में संशोधन (सितम्बर 2012) किया।*

3.2.3.4 सीआईटी-IV मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, फरवरी 2012 में ₹ 397.83 करोड़ की आय पर धारा 144सी के साथ पठित संवीक्षा के पश्चात् नि. व. 2008-09 के लिए **सीएलएसए इण्डिया लिमिटेड** के मामले में कर माँग की गणना करते समय एओ ने धारा 234बी के तहत अप्रैल 2008 से फरवरी 2012 तक की अवधि के लिए ₹ 6.49 करोड़ की सही राशि के स्थान पर अप्रैल 2008 से अगस्त 2009 तक की अवधि के लिए ₹ 2.88 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया। इस गलती के परिणामस्वरूप धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 3.62 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने गलती स्वीकार की एवं धारा 154 के तहत गलती संशोधित की (मई 2012)।

3.2.3.5 सीआईटी-एलटीयू चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, फरवरी 2012 में नि.व. 2008-09 के लिए ₹ 73.32 करोड़ की आय पर (दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात् मूल रूप से में ₹ 74.75 करोड़ की आय पर निर्धारित की गई) **चोलामण्डल एमएस जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड** का संशोधित निर्धारण पूरा करते समय एओ ने धारा 234बी के तहत् अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2011 तक की अवधि के लिए उदग्रहणीय ₹ 9.11 करोड़ के स्थान पर अप्रैल 2009 से दिसम्बर 2011 तक की अवधि के लिए ₹ 6.68 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234बी के तहत ₹ 2.43 करोड़ के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत गलती को संशोधित किया (अक्टूबर 2012)।

3.2.4 अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज

हम ऐसे दो निदर्शी मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं:

यदि निर्धारिती को अधिक प्रतिदाय किया गया है तो धारा 234डी प्रतिदाय पर ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान करती है।

3.2.4.1 सीआईटी कोच्ची प्रभार, केरल में, एओ ने नि.व. 2009-10 के लिए दिसम्बर 2011 में ₹ 1,101,62 करोड़ की आय पर संवीक्षा के पश्चात् **दी फेडरल बैंक लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय, नवम्बर 2010 से दिसम्बर 2011 तक की अवधि के लिए ₹ 180.87 करोड़ के अधिक प्रतिदाय पर ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234डी के तहत ₹ 12.66 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण नही हुआ। आईटीडी ने गलती स्वीकार (जनवरी 2013) की एवं सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ की।

3.2.4.2 सीआईटी-III मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने नि.व. 2002-03 हेतु **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** के मामले में अपीलीय आदेश को लागू करते समय 31 मार्च 2003 से 25 फरवरी 2005 तक की अवधि के लिए ₹ 85.45 करोड़ के अधिक प्रतिदाय पर ब्याज का उद्ग्रहण नही किया गया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234डी के तहत् ₹ 11.64 करोड़ के ब्याज उद्ग्रहण नहीं हुआ। आईटीडी ने गलती स्वीकार की तथा धारा 154 के तहत गलती को संशोधित किया (फरवरी 2013)।

3.2.5 अपीलीय आदेशों का पालन करते समय निर्धारण में त्रुटियाँ

हम ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दे रहे है:

धारा 254 के अन्तर्गत एक व्यथित निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध सीआइटी (अपील) को अपील कर सकता है, तो वह अपीलीय आदेश में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा। इसके अतिरिक्त, तथ्य और विधि के प्रश्न पर भी आइटीएटी को अपील की अनुमति दी जाती है। एक अपीलीय आदेश के कार्यान्वयन में किसी भी गलती के परिणामस्वरूप आय का कम निर्धारण/अधिक निर्धारण हो सकता है।

3.2.5.1 सीआईटी एलटीयू मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने नि.व. 2008-09 हेतु **इन्डस्ट्रियल डेवेलेपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड** के मामले में फरवरी 2012 में अपीलीय आदेश को लागू करते समय बही लाभ की संगणना में निवेश पर मूल्यह्रास, गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों तथा मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधानों से संबंधित ₹ 538.61 करोड़ को वापस नहीं जोड़ा था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 538.61 करोड़ तक बही लाभ का कम

निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 61.02 करोड़ के कर का कम उदग्रहण शामिल था। आईटीडी ने गलती के संशोधन हेतु धारा 148 के तहत् नोटिस जारी किया (मार्च 2013)।

3.2.5.2 सीआईटी ॥-मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में नि.व. 2009-10 (दिसम्बर 2011 में पूरे हुए संवीक्षा निर्धारण के तहत् मूलरूप से ₹ 5,060.94 करोड़ पर निर्धारण किया गया) हेतु एचडी एफसी बैंक लिमिटेड के मामले में फरवरी 2012 में अपीलीय आदेश को लागू करते समय एओ ने अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के प्रति ₹ 1,696.74 करोड़ की कटौती की स्वीकृति के पश्चात् कर योग्य आय ₹ 3,137.02 करोड़ कम कर दी। फरवरी 2013 में अपीलीय आदेश को लागू करते हुए आदेश में संशोधनकरते समय, एओ ने नि.व. 2009-10 हेतु उपरोक्त कटौती की गणना करते समय निर्धारिती द्वारा माने गए ₹ 222.89 करोड़ के प्रति संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के कारण ₹ 246.24 करोड़ के कटौती की स्वीकृति दी। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 23.35 करोड़ तक आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 7.92 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी ने धारा 154 के तहत गलती स्वीकार की एवं संशोधित की (मार्च 2013)।

3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

3.3.1 अधिनियम में अध्याय VI-ए के अन्तर्गत और इसके सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत व्यय के कुछ वर्गों के लिए निर्धारिती को कुल आय की संगणना में रियायतें/छूटें/कटौतियाँ अनुमत की गई हैं। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने उन लाभार्थियों को अनियमित रूप से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ दिए थे जो इनके हकदार नहीं थे। ये मामले आईटीडी की ओर से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन में कमजोरियों के बारे में बताता है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तालिका 3.3 उप-श्रेणियों को दर्शाता है जिससे कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है।

तालिका 3.3: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन के तहत गलतियों की उपश्रेणियाँ			(₹ करोड़ में)
उप श्रेणियाँ	संख्या	कर प्रभाव	राज्य
क. मूल्य ह्रास/करोबार हानियों/पूँजीगत हानियों को अनुमत करने में अनियमितताएं	66	268.05	*आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़ यूटी, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल*
ख. अनियमित छूट/ कटौतियाँ/रियायत/राहत	36	338.42	*आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल*
ग. करोबार व्यय की गलत अनुमति	44	399.01	*आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल*
कुल	146	1,005.48	

3.3.2 मूल्यह्रास और कारोबार/पूँजीगत हानियों के समंजन और अग्रेनयन की अनुमति में अनियमिततायें

हमने नीचे ऐसे चार निदर्शी मामले दिए है:

धारा 32(2)(बी) में उस निर्धारण वर्ष से आठ निर्धारण वर्षों तक अनावशोषित मूल्यह्रास के अग्रेनीत और सामंजन का प्रावधान है जिसके लिए तथाकथित भत्ते की पहली बार गणना की गई थी।

3.3.2.1 दिल्ली, सीआईटी-। प्रभार में एओ ने अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 443.19 के बुक प्रॉफिट और लीज रेंट इक्वलाइजेशन प्रभार के संबंध में ₹ 121.67 करोड़ अनुमत न करने के बाद ₹ 125.83 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए नवंबर 2011 में निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए **भारती इंफ्राटेल लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया । निर्धारिती ने अपनी संगणना सीट में ₹ 247.50 करोड़ की हानि निर्धारित की जिसमें ₹ 157.27 करोड़ का पिछला अग्रेनीत अनवशोषित मूल्यह्रास और चालू वर्ष की ₹ 90.23 करोड़ की हानि शामिल थी। एओ ने इसे स्वीकार किया और मौजूदा ₹ 90.23 करोड़ के बजाए ₹ 247.50 करोड़ माना। एओ ने ₹ 31.44 करोड़ के अनवशोषित के उपयुक्त सेट ऑफ को अनुमत करते हुए 'शून्य' आय के बजाए ₹ 125.83 करोड़ की हानि निर्धारित की। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 125.83 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ और ₹ 53.45 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाले ₹ 31.44 करोड़ की अनवशोषित मूल्यह्रास का गलत

अग्रेनयन हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति मान ली और सुधारात्मक कार्रवाई की (जनवरी 2013)।

धारा 73(4) में निर्धारण वर्ष जिसके लिए पहली बार हानि की गणना की गई थी, से संबंधित आगामी चार निर्धारण वर्षों तक अन्य काल्पनिक करोबार से आय तथा लाभ के प्रति काल्पनिक हानि अग्रेनीत करने तथा सेट-ऑफ करने का प्रावधान है।

3.3.2.2 गुजरात, सीआईटी-I। अहमदाबाद प्रभार में एओ ने अग्रेनीत सेट-ऑफ और अनवशोषित मूल्यह्रास का संभजन अनुमत करते हुए शून्य आय पर दिसम्बर 2008 में संवीक्षा के पश्चात् निधारण वर्ष 2006-07 के लिए **अदानी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2006-07 में काल्पनिक करोबार से अर्जित उपलब्ध लाभ के प्रति निर्धारण वर्ष 2001-02 से संबंधित ₹ 9.54 करोड़ की अग्रेनीत काल्पनिक हानि का सेट-ऑफ किया और ₹ 80.16 करोड़ की काल्पनिक हानि अग्रेनीत की। जैसाकि काल्पनिक हानि चार नि.व. (इस मामले में नि.व. 2005-06 तक) अग्रेनीत करने और सैट-आफ करने योग्य नहीं है, ₹ 9.54 करोड़ का सेट-आफ और ₹ 8.16 करोड़ का अग्रेनयन सही नहीं है। इस गलती के कारण ब्याज सहित ₹ 4.28 करोड़ का घनात्मक कर प्रभाव और ₹ 26.98 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सामने आया। आईटीडी ने धारा 263 के पठित धारा 143(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की (सितम्बर 2011)।

धारा 72(3) में निर्धारण वर्ष जिसके लिए पहली बार हानि की गणना की गई थी, से संबंधित आठ आगामी निर्धारण वर्षों तक कारोबारी हानि के निर्धारण और सेट-ऑफ करने का प्रावधान है।

3.3.2.3 पश्चिम बंगाल सीआईटी-IV कोलकाता प्रभार में, एओ ने कारोबार से आय शीर्ष के तहत ₹ 66.40 करोड़ की हानि पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए **जेसीटी लिमिटेड** का निर्धारण करते समय निर्धारण वर्ष 2001-02 से संबंधित ₹ 42.02 करोड़ के कारोबारी हानि अग्रेनीत करने की अनुमत दी। इस गलती के कारण ₹ 14.28 करोड़ के संभावित कर वाले ₹ 42.02 करोड़ की कारोबार हानि की अग्रेनीत करने की गलत अनुमति दी गई। आईटीडी ने धारा 154 के तहत गलती सुधार ली (जून 2012)।

धारा 32(1)(ii ए) में प्रभावी निर्धारित दरों पर 31 मार्च 2005 के बाद अधिग्रहीत और स्थापित नई मशीन अथवा संयंत्र (जहाज और एयरक्राफ्ट्स के अलावा) पर किसी वस्तु अथवा समान के उत्पादन अथवा विनिर्माण के कारोबार से जुड़े निर्धारिती को अतिरिक्त मूल्यह्रास का प्रावधान है।

3.3.2.4 तमिलनाडु सीआईटी-I चेन्नई प्रभार में एओ ने जुलाई 2009 एवं फरवरी 2010 में क्रमश: ₹ 95.35 करोड़ और ₹ 123.77 करोड़ आय पर, निर्धारण वर्ष 2006-07 और निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए **मै. कस्तूरी एण्ड सन्स लिमिटेड** की संवीक्षा निर्धारण में संशोधन किया और संबंधित निर्धारण वर्षों में नए संयंत्र और मशीनरी पर ₹ 4.36 करोड़ और ₹ 13.39 करोड़ का अतिरिक्त मूल्यह्रास अनुमत किया। चूंकि निर्धारिती किसी वस्तु या सामान के उत्पादन या विनिर्माण के कारोबार से नहीं जुड़ा था, वह अतिरिक्त मूल्यह्रास का पात्र नहीं था। इस गलती के कारण ₹ 5.98 करोड़ के कर की कम उगाही हुई। आईटीडी ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारिण वर्ष 2006-07 के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की (दिसम्बर 2011) और धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ की।

3.3.3 अनियमित छूट/कटौतियाँ/रियायत/राहत

हमने नीचे दो निदर्शी मामले दिए है:

धारा 10 ए में वस्तुओं या सामानों अथवा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से अर्जित आय और लाभ पर औद्योगिक उपक्रमों को कटौती का प्रावधान है, बशर्ते वे निर्धारित शर्तें पूरा करते हों। इसके अलावा, धारा 92सी(4) के प्रावधान के अनुसार यदि आर्म्स लेंथ मूल्य (Arm's length price) के कारण कुल आय में वृद्धि होती है, बढ़ी हुई आय के संबंध में धारा 10ए के तहत कोई कटौती अनुमत नहीं की जाएगी।

3.3.3.1 महाराष्ट्र सीआईटी-II, मुबई प्रभार में एओ ने निर्धारिती द्वारा ₹ 658.70 करोड़ के दावे के प्रति धारा 10ए के तहत ₹ 578.70 करोड़ की कटौती अनुमत करने के बाद ₹ 128.05 करोड़ की आय पर फरवरी 2011 में संवीक्षा के पश्चात् निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए **टेक महिंद्रा लिमिटेड** का निर्धारण पुरा किया। निर्धारिती ने ब्रिटिश कम्युनिकेशन पीएलसी को ₹ 524.94 करोड़ की छूट का अग्रिम भुगतान किया और इसको लाभ और हानि खाते से डेबिट कर लिया। एओ ने मामले को ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर (टीपीओ) के पास भेज दिया जिसने पहुंच वाले मूल्य[28] (एएलपी) के तहत छूट

28 आर्म्स लेंथ मूल्य ''एक ऐसा मूल्य है जो अनियंत्रित स्थिति में एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज़ के अलावा व्यक्तियों के बीच लेनदेन में लागू किया जाना था या लागू किया जाता है'' [आयकर अधिनियम की धारा 92 एफ (II)]

भुगतान के समायोजन की सिफारिश की। एओ ने टीपीओ का आदेश मान लिया लेकिन इस आधार पर कुछ नहीं कहा कि छूट भुगतान की कथित राशि को निर्धारिती ने पहले ही अनुमत नहीं किया था। निर्धारिती ने अपनी गणना में अपवाद वाले मदों से पहले जैसे-टीपीओ द्वारा मना कर दिए गए विशेष छूट के अग्रिम भुगतान के लिए बढ़े हुए लाभ पर धारा 10ए के तहत कटौती का दावा किया था। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 153.95 करोड़ के कर की कम उगाही वाले ₹ 457.36 करोड़ की अधिक कटौती की अनुमति दी गई। आईटीडी ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2013)।

3.3.3.2 तमिलनाडु सीआईटी-III, चेन्नई प्रभार में एओ ने हैदराबाद की XIUS यूनिट के संबंध में धारा 10ए के तहत दिसम्बर 2008, फरवरी 2009 और दिसम्बर 2011 में क्रमश: ₹ 8.24 करोड़, ₹ 35.8 करोड़ और ₹ 8.94 करोड़ की कटौती अनुमत करते हुए संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए **मेगा सॉफ्ट लिमिटेड** का निर्धारण किया। हालांकि निर्धारण वर्ष 2005-06 (जनवरी 2008) में पारित संशोधन आदेशों के अनुसार हैदराबाद की XIUS यूनिट एक गैर- एसटीपीआई यूनिट थी। अत: निर्धारिती धारा 10ए के तहत कटौती का दावा करने का पात्र नहीं था। इसको अनुमति देने की चूक के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 में क्रमश: ₹ 2.77 करोड़, ₹ 12.05 करोड़ और ₹ 2.36 करोड़ के कर की कम उगाही वाले ₹ 8.24 करोड़ ₹ 35.08 करोड़ और ₹ 8.94 करोड़ की अधिक कटौती की अनुमती दी गई। आईटीडी ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2013) और धारा 148 के तहत निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की।

3.3.4 कारोबार व्यय की गलत अनुमति

हमने नीचे पाँच ऐसे निदर्शी मामले दिए हैं:

धारा 43 बी में कुछ व्यय के प्रति केवल तब कटौती दी जा सकती है जब पिछले वर्ष में आय का रिटर्न फाइल करने की निर्धारित तिथि तक इसका वास्तव में भुगतान किया गया हो।

3.3.4.1 पश्चिम बंगाल, सीआईटी-III कोलकाता प्रभार में एओ ने ₹ 22.9 करोड़ की आय पर जनवरी 2010 में निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए **आईटीसी लिमिटेड** के संवीक्षा निर्धारण में संशोधनकरते समय लाभ और

हानि खाते में पहली बार किए गए दावे और तत्पश्चात वास्तविक भुगतान के आधार पर धारा 43बी के तहत क्लोजिंग स्टॉक पर आरोपित उत्पाद शुल्क से संबंधित ₹ 270.07 करोड़ की दोहरी कटौती अनुमत की। इस गलती के कारण ₹ 135.11 करोड़ के कर की कम उगाही हुई। आईटीडी ने गलती सुधार ली (मार्च 2013)।

3.3.4.2 राजस्थान सीआईटी, उदयपुर प्रभार में एओ ने ₹ 4899.57 करोड़ पर दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए **हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड** का निर्धारण करते समय अदा किए उत्पाद शुल्क के लिए ₹ 71.18 करोड़[29] के डेबिट शेष की कटौती अनुमत की। चूंकि ये राशियाँ पीएलए या सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से अदा उत्पाद शुल्क की देयता के समायोजन के पश्चात् अग्रिम भुगतान की तरह थी, एओ को इसे अनुमत नहीं करना चाहिए था। इस गलती के कारण ₹ 24.19 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 71.18 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया कि निर्धारिती ने भुगतान के आधार पर धारा 43बी के तहत कटौती का दावा किया और दोहरी कटौती रोकने के लिए आय की गणना में बाद के वर्ष में इसको वापस जोड़ दिया। उत्तर इस आधार पर तर्कसंगत नहीं है कि धारा 43 बी इस मामले में लागू नहीं थी, क्योंकि निर्धारिती ने "नेट बेसिस" लेखांकन प्रणाली अपनायी था।

धारा 37(1) में कारोबार या व्यवसाय की आय और लाभ शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना करते समय कारोबार व्यय की अनुमति का प्रावधान है। धारा 40(ए)(ia) में निर्धारिती द्वारा किए गए है और लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित, किसी भी व्यय जिस पर स्रोत से कर की कटौती नहीं की गई हो, को अनुमति न देने का प्रावधान है।

3.3.4.3 आंध्र प्रदेश सीआईटी-III, हैदराबाद प्रभार में एओ ने ₹ 63.49 करोड़ की आय पर नवम्बर 2008 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए **वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड** का अंतिम रूप से निर्धारण करते समय असाधारण व्यय[30] के प्रति ₹ 43.89 करोड़ अनुमत किया जिस पर बाहरी निविदागत निर्माताओं (ओसीएमज़) को भुगतान किए जाने का दावा किया गया था। चूंकि ₹ 12.69 करोड़ ब्याज की राशि का वास्तव में (ओसीएमज़) भुगतान नहीं किया गया था और ओसीएमज़ को अदा किए गए

---

29 पूंजीगत माल पर अदा उत्पाद शुल्क के संबंध में ₹ 48.40 करोड़, पीएलए के माध्यम से अदा किए गए उत्पाद शुल्क के संबंध में ₹ 10.58 करोड़ और आरजी 23 ए एवं सी के माध्यम से अदा किए गए उत्पाद शुल्क के संबंध में ₹ 12.20 करोड़।

30 ₹ 43.89 करोड़ के असाधारण व्यय में ₹ 31.20 करोड़ का उत्पाद शुल्क तथा ₹ 12.69 करोड़ का ब्याज शामिल था जिसकी ओसीएमज़ को क्षतिपूर्ति की गई थी।

₹ 31.20 करोड़ की राशि पर स्रोत से कर की कटौती नहीं की गई थी, दोनों दावों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 19.35 करोड़ के कर के कम उगाही वाली ₹ 43.89 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की (जून 2011)।

धारा 195 में निर्धारित दरों पर अप्रवासी या एक विदेशी कम्पनी को ब्याज के भुगतान या किसी अन्य राशि के भुगतान से स्रोत पर कटौती का प्रावधान है। धारा 44 बी में अप्रवासी निर्धारिती के शिपिंग कारोबार की आय और लाभ की गणना करने का प्रावधान है।

3.3.4.4 तमिलनाडु सीआईटी-।।।, चेन्नई प्रभार में एओ ने ₹14.86 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए **पुमपुहार शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड** का निर्धारण करते हुए 'चार्टर हायर पेमेंट्स' के लिए निर्धारण वर्ष 2007-08 और निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए क्रमश: ₹ 305.51 करोड़ और ₹ 440.79 करोड़ की कटौती अनुमत किया। चूंकि 'विदेशी मुद्रा में चार्टर हायर पेमेन्टस' के प्रति निर्धारण वर्ष 2007-08 और निर्धारण वर्ष 2008-09 से संबंधित ₹ 23.47 करोड़ की राशि पर धारा 195 के तहत कर की कटौती नहीं की गई, दोनों भुगतानों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, धारा 44 बी के तहत डीम्ड आय के रूप में ₹ 1.76 करोड़ (₹ 23.47 करोड़ का 7.5 *प्रतिशत*) और ₹ 1.77 करोड़ (₹ 23.62 करोड़ का 7.5 *प्रतिशत*) कर लगाया जाना चाहिए था। इस चूक के कारण ₹ 17.38 करोड़ कर की कम उगाही हुई। आईटीडी ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2013)।

धारा 36(1)(viii) में एक विनिर्दिष्ट सत्व द्वारा गठित और अनुरक्षित विशेष रिजर्व के संबंध में, बैंकिंग कम्पनी के रूप में एक निर्धारिती को भारत में बुनियादी सुविधा के औद्योगिक या कृषि संबंधी विकास के लिए दीर्घकालिक कारोबार से होने वाले लाभ से 20 *प्रतिशत* तक की राशि की कटौती का प्रावधान है।

3.3.4.5 कर्नाटक सीआईटी, मैंगलोर प्रभार में एओ ने अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के तहत ₹ 118.20 करोड़ की कटौती अनुमत करते हुए ₹ 1592.96 करोड़ की आय पर फरवरी 2012 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए **कोर्पोरेशन बैंक** का निर्धारण पूरा किया। चूंकि निर्धारिती के पास वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 78.0 करोड़ का विशेष रिजर्व सृजित था, यह केवल सृजित रिजर्व तक कटौती का पात्र था। अधिक कटौती अनुमत करने के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 16.81 करोड़ के कर की कम उगाही

वाली ₹ 40.20 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति मान ली (मार्च 2013) और सुधारात्मक कार्रवाई की।

3.4 चूकों के कारण निर्धारण से छुटी हुई आय

3.4.1 अधिनियम में प्रावधान है कि किसी पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति की आय में किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न, वस्तुत: प्राप्त अथवा उदभूत अथवा प्राप्त अथवा उदभूत के रूप में मान्य आय शामिल होगी। हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने कुल आय का निर्धारण नहीं किया/कम निर्धारण किया जिस पर कर लगाया जाना था। तालिका 3.4 निर्धारण से बचने वाली आय की उप श्रेणियाँ दर्शाती है।

तालिका 3.4: चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय के तहत गलतियों की उप-श्रेणियाँ (₹ करोड़ में)

	उप-श्रेणियाँ	संख्या	टीई	राज्य
क.	विशेष प्रावधान के तहत अनिर्धारित /कम निर्धारित आय	17	94.78	*आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल*
ख.	सामान्य प्रावधान के तहत अनिर्धारित/कम निर्धारित आय	15	136.80	*दिल्ली, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल*
ग.	पूँजीगत आय का गलत वर्गीकरण और गणना	4	20.22	कर्नाटक और महाराष्ट्र
कुल		**36**	**251.80**	

3.4.2 विशेष प्रावधानों के तहत अनिर्धारित/कम निर्धारित आय

हमने नीचे ऐसे दो निदर्शी मामले दर्शाए हैं:

धारा 115 जेबी में बुक प्रॉफिट की निर्धारित प्रतिशतता पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की उगाही का प्रावधान है, यदि सामान्य प्रावधानों के तहत देय कर एमएटी से कम हो। वित्त अधिनियम 2009 के अनुसार, पूर्वव्यापी धारा में संशोधनकर दिया गया है कि परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी का प्रावधान बुक प्रॉफिट की गणना करते समय वापस जोड़ा जाएगा।

3.4.2.1 महाराष्ट्र सीआईटी-II, मुम्बई प्रभार में एओ ने सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 51.28 की आय पर तथा विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 170.89 करोड़ के बुक प्रॉफिट पर मार्च 2010 में निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए **देना बैंक** के निर्धारण को संशोधित किया (शुरूआत में सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 689.54 करोड़ की आय पर तथा विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 594.53 करोड़

के बुक प्रॉफिट पर दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के पश्चात संपन्न)। बुक प्रॉफिट की गणना करते समय एओ ने गैर निष्पादन परिसम्पत्तियों, मानक परिसम्पत्तियों के निवेश में कमी, भिन्न कर देयता और प्रीमियम पर ऋणमुक्ति जैसी विभिन्न परिसम्पत्तियों के मूल्य में कमी के प्रति आहरित कुल ₹ 498.58 करोड़ के प्रावधानों को वापस नही जोड़ा। इस गलती के कारण धारा 243डी के तहत ब्याज सहित ₹ 57.50 करोड़ के कर की कम उगाही हुई। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया (अगस्त 2010)।

3.4.2.2 पश्चिम बंगाल सीआईटी-II कोलकाता प्रभार में एओ ने अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 239.75 करोड़ की आय पर निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय 'असमाप्त जोखिम हेतु रिजर्व' के लिए ₹ 87.79 करोड़ का दावा अनुमत नहीं किया, लेकिन इसको बुक प्रॉफिट में नहीं जोड़ा। इस गलती के कारण ₹ 12.64 करोड़ के कर की कम उगाही हुई। आईटीडी ने धारा 147 और 251 के तहत गलती सुधार ली (मार्च 2013)।

3.4.3 सामान्य प्रावधानों के तहत अनिर्धारित/कम निर्धारित आय

हमने नीचे दो ऐसे निदर्शी मामले दिए हैं:

धारा 5 में प्रावधान है कि किसी पिछले वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय में किसी भी स्रोत से ली गई समस्त आय, जो प्राप्त होती है या प्राप्त हुई मानी जाती है अथवा जो ऐसे पिछले वर्षों के दौरान अर्जित होती है या प्राप्त होती है, शामिल होगी जब तक कि वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर से विशेष रूप से छूट प्राप्त न हो।

3.4.3.1 तमिलनाडु सीआईटी एलटीयू, चेन्नई प्रभार में एओ ने ₹ 1427.71 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए **नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन** का निर्धारण करते समय बकाया बिलों के भुगतान में विलम्ब के लिए विद्युत बोर्ड से वसूली योग्य ₹ 118 करोड़ की अधिभार आय का निर्धारण नहीं किया। निर्धारिती शीघ्र भुगतान करने के लिए तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) को प्रोत्साहन दे रहा था जिसका व्यय के रूप में दावा किया गया था। इसी प्रकार, शीघ्र भुगतान को प्रभावित करने के लिए विद्युत बोर्ड से वसूलीयोग्य अधिभार को आय के रूप में माना जाए। ₹ 118 करोड़ के अधिभार आय का निर्धारण करने में चूक के कारण ₹ 39.72 करोड़ के कर की कम उगाही हुई। आईटीडी ने गलती स्वीकार की और धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत सुधार किया (मार्च 2013)।

धारा 145 में प्रावधान है कि एक निर्धारिती की कारोबार या व्यवसाय से आय की गणना निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अपनायी जाने वाली लेखांकन पद्धति के अनुसार की जाएगी।

3.4.3.2 ओड़िशा सीआईटी, सम्बलपुर प्रभार में एओ ने ₹ 2,778.87 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए **महानदी कोलफील्ड्स** का निर्धारण किया जिसका बाद में मार्च 2012 में ₹ 2,763.73 की आय पर धारा 154 के तहत सुधार किया गया। लेखाओं पर टिप्पणियों के अनुसार प्रत्येक खदान के लिए क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन लागत अथवा शुद्ध वसूलीयोग्य जो भी कम हो, पर किया गया था। कर लेखापरीक्षक द्वारा 'समेकित ग्रुप के रूप में कच्चे कोयले के मूल्य' के रूप में प्रमाणित ₹ 466.89 करोड़ के बजाए ₹ 414.41 करोड़ पर कच्चे कोयले के क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन किया गया था। निर्धारिती के एकल सत्व होने के कारण एक समान लेखांकन प्रणाली इसके सभी खदानों पर लागू होती थी। इस गलती के कारण ₹ 17.84 करोड़ के कर की कम उगाही वाले ₹ 52.48 करोड़ की क्लोजिंग स्टॉक का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (अक्टूबर 2011)।

3.4.4 पूँजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना

हमने नीचे एक निदर्शी मामला दिया है:

धारा 50 बी में पूँजीगत अभिलाभ (बिक्री प्रतिफल से घटाएं उपक्रम का निवल मूल्य) के रूप में एकमुश्त बिक्री से उदभूत लाभ या किसी लाभ की करदेयता का प्रावधान है। अभिलाभ की प्रकृति उपक्रम की स्वामित्व अवधि (दीर्घकालिक, यदि उपक्रम का स्वामित्व 36 महीनों से अधिक रहता है) द्वारा निर्धारित की जाती है।

3.4.4.1 महाराष्ट्र सीआईटी, सेंट्रल-II, मुम्बई प्रभार में एओ ने अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 4.06 करोड़ के बुक प्रॉफिट और सामान्य प्रावधानों के तहत शून्य आय पर दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए **ऑरिकन इंटरप्राइजेज़ लिमिटेड** का निर्धारण किया। निर्धारिती ने ₹ 10 प्रति सहायक यूनिट के अंकित मूल्य वाले ₹ 29.50 लाख की पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयरों के बदले में अपनी सहायक यूनिट, ओरिएंटल कंटेनर्स लिमिटेड(पूर्व में ऑरिकन पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के रूप में ज्ञात) को एकमुश्त बिक्री के तहत अपना डिवीजन स्थानांतरित कर दिया। खाता बहियों के अनुसार इक्विटी शेयरों का मूल्य ₹ 27.62 करोड़ था और पैकेजिंग डिवीजन का निवल मूल्य ₹ (-)24.40 करोड़[31] था। दीर्घकालिक पूँजीगत

31 (-) ₹ 24.40 करोड़ = ₹ 127.40 करोड़ - (-) ₹ 151.80 करोड़

अभिलाभ (एलटीसीजी)की गणना करते समय एओ ने ₹ 27.62 करोड के बजाए ₹ 2.95 करोड़ का पूरा मूल्य स्वीकार कर लिया और 52.02 करोड़ (₹ 27.62 करोड़ (-) ₹ 24.40 करोड़) के बजाए ₹ 2.95 करोड़ एलटीसीजी आँकलित किया। इसके कारण ₹ 11.01 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 49.06 करोड़ द्वारा एलटीसीजी की कम गणना हुई। आईटीडी ने एलटीसीजी के तहत (-) ₹ 24.40 करोड़ वापस जोड़ते हुए धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2013)। हालांकि ₹ 27.62 करोड़ के प्रदत्त इक्विटी शेयरों का मानाने की कार्रवाई लंबित है जैसा कि बैंलेंस शीट में दर्शाया गया था।

3.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

3.5.1 हमनें देखा कि आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एओ ने ₹ 162.06 करोड़ के कर के अधिक प्रभार वाले 28 मामलों में आय का अधिक निर्धारण किया। हमनें नीचे दो ऐसे निदर्शी मामले दिए हैं:

धारा 143(3) में प्रावधान है कि एओ को आय का सही निर्धारण और मूल्यांकन करना चाहिए। रिटर्न के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों, अभिलेखों, लेखाओं के साथ संवीक्षा निर्धारणों में विभिन्न प्रकार के दावों की विस्तार से जाँच की जानी चाहिए।

3.5.1.1 पश्चिम बंगाल सीआईटी, आसनसोल में एओ ने ₹ 894.67 करोड़ की अग्रेनीत हानि का मुजरा अनुमत करते हुए दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए **ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड** का शून्य आय पर निर्धारण किया। निर्धारिती ने छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान के कारण ₹ 1.05 करोड़ की प्रदत्त देयता का दावा किया और छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान की अप्रदत्त देयता के लिए ₹ 122.35 करोड़ वापस जोड़ दिए। हालांकि निर्धारिती की करयोग्य आय की गणना करते हुए एओ ने दुबारा ₹ 123.40 करोड़ की प्रावधान राशि को वापस जोड़ दिया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 41.94 करोड़ का संभावित अधिक कर लगाया गया।

धारा 234 बी में प्रावधान है कि यदि एक निर्धारिती ने कर का अग्रिम भुगतान करना है और यदि उसने ऐसे कर का भुगतान नहीं किया या यदि उसके द्वारा भुगतान किया गया कर निर्धारित कर के 90 *प्रतिशत* से कम हो तो वह 1 *प्रतिशत* प्रतिमाह या महीने के भाग की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

3.5.1.2 दिल्ली सीआईटी, एलटीयू प्रभार में एओ ने ₹ 892.02 करोड़ की आय पर नवम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए **महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड** के निर्धारण की गणना करते समय, निर्धारिती के क्रेडिट पर ₹ 165 करोड़ के अग्रिम कर और ₹ 152.75 करोड़ के टीडीएस पर ध्यान दिये बिना धारा 234बी के तहत ₹ 22.81 करोड़ ब्याज की वसूली की। चूंकि निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर के 90 *प्रतिशत* से अधिक है, धारा 234 बी के तहत ब्याज नहीं वसूला जा सकता। इस गलती के कारण ₹ 22.81 करोड़ का अधिक ब्याज लगाया गया। आईटीडी ने धारा 154 के तहत गलती सुधार ली (दिसम्बर 2012)।

अध्याय IV: आयकर और धनकर से संबंधित निर्धारणों का विश्लेषण

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 अध्याय IV में जून और नवम्बर 2013 के बीच मंत्रालय को जारी ₹ 171.87 करोड़ के कर प्रभाव वाले आयकर से संबंधित 110 उच्च मूल्य वाले मामलों (₹ 158.06 करोड़ के अधिक प्रभार वाले 103 मामलों और ₹ 13.81 करोड़ के अधिक प्रभार[32] वाले सात मामलों) की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.88 करोड़ की सम्पत्ति कर वाली राशि के कम निर्धारण से संबंधित 17 मामलों की चर्चा इस अध्याय में की गई है। तालिका 4.1 बड़ी गलतियों और उनके कर प्रभाव का विवरण दर्शाती है:

तालिका सं. 4.1: गलतियाँ और कर प्रभाव की श्रेणी (₹ करोड़ में)

श्रेणी		मामले	कर प्रभाव
क.	निर्धारणों की गुणवत्ता	38	50.78
ख.	कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	35	80.06
ग.	चूकों के कारण निर्धारण से बच गई आय, और	47*	29.10
घ.	अधिक कर/ब्याज-अन्य	7	13.81
कुल		**127**	**173.75**

* ₹ 1.88 करोड़ के कर प्रभाव वाले सम्पत्ति के कम निर्धारण के 17 मामले।

4.1.2 प्रत्येक बड़ी श्रेणियों के तहत हमनें समान प्रकृति की गलतियों को दर्शाने के लिए उप-श्रेणियाँ इंगित की हैं। प्रत्येक उप श्रेणियाँ अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए महत्वपूर्ण मामलों के उदाहरण द्वारा शुरू होती है।

4.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

4.2.1 अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद एओ ने निर्धारणों में गलतियाँ की। गलत निर्धारण के ये मामले आईटीडी की आंतरिक नियंत्रण में कमजोरी को दर्शाते हैं जिसके सुधार किये जाने की आवश्यकता है। तालिका 4.2 गलतियों की उप श्रेणियाँ दर्शाती है जिसने निर्धारण की गुणवत्ता पर प्रभाव डाला।

32 अधिक प्रभार सही आँकड़े लेने में चूक, आय की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों, कर /ब्याज की गलत दर लगाना और पूँजीगत आय में गलत गणना है।

तालिका 4.2: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणी	**मामले**	**टीई**	**राज्य**
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	3	0.59	गुजरात, हरियाणा और पंजाब
ख. कर, अधिप्रभार आदि की दरों का गलत प्रयोग	4	1.13	आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र
ग. ब्याज उद्ग्रहण में त्रुटियाँ	27	46.08	बिहार, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल,
घ. अपीलीय आदेशों के लागू करते समय निर्धारण में त्रुटियाँ	4	2.98	गुजरात और महाराष्ट्र
कुल	**38**	**50.78**	

4.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दर्शाया है:

अधिनियम दर्शाता है कि एओ द्वारा कर या प्रतिदाय की उचित राशि, जैसा भी मामला हो निर्धारण और निश्चित करने में कुल आय या हानि का उचित निर्धारण किया जाना आवश्यक होता है।

4.2.2.1 हरियाणा सीआईटी-फरीदाबाद प्रभार में, एओ ने ₹ 66.44 लाख की आय पर नवम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2006-07 के लिए **छाया सिन्हा** की व्यक्तिगत रूप से निर्धारण पूरा किया। हालांकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि एक अंकगणितीय त्रुटि के कारण, ₹ 39.18 लाख के स्थान पर ₹ 12.71 लाख की कर देयता का निर्धारण किया गया था। इस त्रुटि के कारण ₹ 26.47 लाख के आयकर का कम प्रभार हुआ।

4.2.3 कर और अधिप्रभार की दरों को गलत लागू करना

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दर्शाया है:

अधिप्रभार सहित आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट प्रासंगिक दरों पर प्रभारित किया जाएगा।

4.2.3.1 महाराष्ट्र, एडीआईटी (आईटी) 2(2) मुंबई प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2010 में 10 *प्रतिशत* के स्थान पर 2.5 *प्रतिशत* की दर कर पर उद्ग्रहित अधिप्रभार की संवीक्षा के बाद एओ 2007-08 के लिए **विर्जिनिया रिटायरमेंट सिस्टम** का निर्धारण पूरा किया। इस त्रुटि के कारण ब्याज सहित ₹ 40.32 लाख की कम मांग की गई। *आईटीडी ने धारा 154 (जून 2011) के अंतर्गत त्रुटि को स्वीकार किया और सुधार किया।*

4.2.4 ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियाँ

हमने कुछ निदर्शी मामले नीचे दर्शाये हैं:

धारा 234ए(1) के अंतर्गत व्याख्या 3 के अनुसार, जहां आय की रिटर्न प्रस्तुत नहीं की है और निर्धारण धारा 147 या धारा 153ए के अंतर्गत पहली बार किया गया है, तो निर्धारण नियमित निर्धारण के रूप में माना जाएगा, निर्धारिती रिटर्न फाईलिंग हेतु निर्धारित तिथि के तुरंत बाद की तिथि और धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण के पूरा करने की तिथि पर समाप्त होनेपर आरंभ अवधि में समाविष्ट प्रत्येक महीने या महीने के किसी भाग के लिए विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है।

4.2.4.1 मध्य प्रदेश सीआईटी ग्वालियर प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2010 में धारा 143(3)/153ए के अंतर्गत नि.व. 2003-04 से 2008-09 के लिए **चिरौंजी लाल शिवहरे** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने 153ए के अंतर्गत जारी नोटिस में उल्लिखित तिथि के प्रति पांच महीनों की देरी से आयकर रिटर्न फाइल की और नि.व. 2005-06 में अग्रिम कर की अदायगी में चूक की। इसके साथ-साथ नि.व. 2008-09 में विभाग ने भी कर की गणना के लिए गलत आँकडे स्वीकार किये। इन सभी त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 21.54 करोड़ के कर और ब्याज का कम उद्ग्रहण किया गया। *आईटीडी ने सभी निर्धारण वर्षों के लिए धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि सुधार ली (जनवरी 2012)।*

4.2.4.2 दिल्ली, सीआईटी केंद्रीय II प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2011 में 143(3)/153ए के अंतर्गत नि.व. 2005-06 से 2009-10 के लिए **मनोज कुमार** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने 153ए के अंतर जारी किये गये नोटिस में उल्लिखित तिथि के प्रति साढे चार महीने की देरी से अपना आयकर रिटर्न फाइल किया परंतु विभाग ने रिटर्न फाइलिंग में विलंब के लिए

धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। इस चूक के कारण ₹6.06 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण किया गया। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतगर्त त्रुटि में सुधार किया (सितम्बर2012)।*

4.2.4.3 पंजाब, सीआईटी मोहली प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2008-09 के लिए **द डिफैंस सर्विसेज़ कॉपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने 30 सितम्बर 2008 की निर्धारित तिथि के प्रति 30 मार्च 2009 को अपनी आयकर रिटर्न फाइल की; जबकि आईटीडी ने रिटर्न की फाइलिंग में विलम्ब हेतु धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज उद्ग्रहित नहीं किया। इस त्रुटि के कारण ₹ 3.64 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण किया गया। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (जून 2011)।*

4.2.5 अपीलीय आदेशों को लागू करते हुए निर्धारण में त्रुटियाँ

हमने दो निदर्शी मामले नीचे दर्शाये है:

अधिनियम दर्शाता है कि कोई असंतुष्ट निर्धारिती निर्धारण अधिकारी, जो अपीलीय आदेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा, के आदेश के विरूद्ध आयकर (अपील)/आईटीएटी/उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त को अपील कर सकता है।

4.2.5.1 महाराष्ट्र, सीआईटी औरंगाबाद प्रभार में, एओ ने मार्च 2006 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत नि.व. 1999-2000 के लिए **मै. भाऊराव चवाण सहकारी सकर कारखाना लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। आईटीडी ने आईटीएटी के स्वीकृति आदेश को लागू करते समय केन डेवलेपमेंट व्यय और वसंतदादा सुगर इंस्टीटयूट (वीएसआई) कांट्रीब्यूशन के प्रति अधिक मूल्यह्रास और दोहरी कटौती की। इस त्रुटि के कारण ₹ 56.03 लाख के कर का कम उद्ग्रहण किया गया। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (अगस्त 2012)।*

4.2.5.2 गुजरात, सीआईटी केंद्रीय-I प्रभार में, एओ ने ₹ 18.23 करोड़ की राशि पर दिसम्बर 2008 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2006-07 हेतु **श्रेयान्स एस शाह** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने सामान्य दरों पर कर लगाये जाने के लिए व्यापारिक आय के रूप में समझी जाने वाली आय हेतु ₹ 17.02 करोड़ के कमअवधि पूँजीगत लाभ (एसटीसीजी) के निर्धारण के प्रति एक अपील फाइल की और सीआईटी (ए) ने अपने आदेश (अक्तूबर 2009) में

निर्णय लिया कि एसटीसीजी के रूप में ₹ 16.77 करोड़ और शेष ₹ 24.96 लाख को बिजेनस आय के रूप में कर लगाया जा सकता है। हालांकि, सीआईटी आदेश को लागू करते समय, ₹ 257.02 लाख कर के स्थान पर केवल ₹ 201.81 लाख का कर प्रभारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 55.21 लाख के कर का कम उद्ग्रहण किया गया। *आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (सितम्बर 2011)।*

4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

4.3.1 अधिनियम अध्याय VI-ए और अपने प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत व्यय की विभिन्न श्रेणियों के लिए कुल आय गणना में निर्धारिती को रियायतें/छूटें/कटौतियाँ प्रदान करता है। हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने लाभार्थी जो इसके पात्र नहीं थे; को कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ अनियमित रूप से प्रदान किये। ये मामले आईटीडी की तरफ से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के संचालन में दोष को दर्शाते हैं जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तालिका 4.3 उप-श्रेणियाँ दर्शाती है जिन्होंने रियायतों/छूटों/कटौतियों के संचालन को प्रभावित किया।

तालिका 4.3: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के संचालन के अंतर्गत त्रुटियों की उप-श्रेणियाँ (₹ करोड़ में)

	उप-श्रेणियाँ	सं.	टीई	राज्य
क.	व्यक्तियों को दिये गये अनियमित छूट/कटौतियाँ/राहत	1	0.52	तमिलनाडू
ख.	ट्रस्ट/फर्म/सोसाइटी/एओपी को दिये गये अनियमित छूट/कटौतियाँ/राहत	3	1.96	कर्नाटक, महाराष्ट्र और पंजाब
ग.	बिजनेस व्यय की गलत अनुमति	13	17.48	असम, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु
घ.	मूल्यह्रास/बिजनेस हानियों/पूँजीगत हानियों की अनुमति मे अनियमितताएं	18	60.10	बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश
	कुल	**35**	**80.06**	

4.3.2 ट्रस्ट/फर्म/सोसाईटी/एओपी को अनियमित छूटें/कटौतियाँ/रियायतें

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दर्शाया है:

धारा 143(3) दर्शाती है कि एओ को सही आय निश्चित और निर्धारित करनी होती है। सीबीडीटी ने इस संबंध में समय-समय पर निर्देश भी जारी किये हैं।

4.3.2.1 महाराष्ट्र, सीआई-I पुणे प्रभार में, एओ ने ₹ 25.73 करोड़ की हानि पर दिसम्बर 2007 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2005-06 हेतु **जनता सहकारी बैंक लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया और उक्त को ही दिसम्बर 2010 में धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 6.63 करोड़ की हानि पर संशोधित किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने पी/एल खाते में ''सुरक्षाओं के बिक्री पर हानि के निवेश पर मूल्य ह्रास'' के संबंध में ₹ 5.15 करोड़ डेबिट किये और धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत आदेश पारित करते समय उक्त व्यय पुन: स्वीकृत किये। इस त्रुटि के कारण ₹ 1.58 करोड़ के संभावित कर प्रभाव के समान एक राशि द्वारा आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि स्वीकार की और उसमें सुधार किया (मार्च 2012)।

4.3.3 बिजनेस व्यय की गलत स्वीकृति

हमने तीन निदर्शी मामले नीचे दर्शाये है:

अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) दर्शाती है कि किसी अनुसूचित बैंक या गैर-अनुसूचित बैंक या कोओपरेटिव बैंक (प्राथमिक कृषि कोपरेटिव सोसाईटी/कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) द्वारा किये गये अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किसी प्रावधान के संबंध में, कुल आय का साढे सात *प्रतिशत* से अधिक की राशि और ऐसे बैंक की ग्रामीण शाखाओं[33] द्वारा दिये गये औसत अग्रिमों के औसत के दस *प्रतिशत* से कम राशि कटौती के रूप में स्वीकृत की जाएगी।

4.3.3.1 तमिलनाडु, सीआईटी-I सलेम प्रभार में, एओ ने क्रमश: दिसम्बर 2009 और दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2007-08 और नि.व. 2008-09 हेतु **सलेम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को. बैंक लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। नि.व. 2007-08 और नि.व. 2008-09 के लिए एओ ने ''देय ब्याज हेतु सुरक्षित'' के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत ₹ 5.68 करोड़ की कटौती स्वीकृत की और नि.व. 2008-09 हेतु अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए लेखों में किये गये प्रावधान की सीमा तक सीमित नहीं किया। ''देय

33 ग्रामीण शाखा का अर्थ अनुसूचित बैंक की ऐसी शाखा से है जो ऐसे स्थान पर स्थित है जहां की जनसंख्या विगत पूर्ववर्ती जनगणना, जिसके प्रासंगिक आकड़े विगत वर्ष के प्रथम दिन से पहले प्रकाशित हुए हैं, के अनुसार 10 हजार से अधिक नहीं है।

ब्याज हेतु सुरक्षित'' की अयोग्य राशि सहित कटौती की अधिक स्वीकृति और अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए बनाये गये प्रावधानों के अनुसार सीमित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 5.56 करोड़[34] के कर प्रभाव सहित ₹ 16.44 करोड़[35] का कम निर्धारण किया गया।

4.3.3.2 तमिलनाडु में, सीआईटी-II मदुरै प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2012 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2008-09 हेतु **तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया और अशोध्य और संदिग्ध ऋणों और अन्य प्रावधानों के प्रावधान हेतु ₹ 8.17 करोड़ की राशि धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती स्वीकृत की। चूँकि निर्धारिती के पास कोई ग्रामीण शाखा नहीं थी, इसलिए उक्त बताई गई धारा के अंतर्गत कटौती हेतु पात्र नहीं था और कुल आय का केवल 7.5 *प्रतिशत* अर्थात ₹ 0.39 करोड़ कटौती के रूप में स्वीकृत किया जाना अपेक्षित था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 4.72 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया और ₹ 2.64 करोड़[36] कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 3.07 करोड़ की अधिक हानि को आगे ले जाया गया।

4.3.3.3 कर्नाटक, सीआईटी-हुबली प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2008-09 हेतु **द कर्नाटक सेंट्रल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और 2001 की जनगणना के अनुसार दस हजार से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर स्थित तीन शाखाओं द्वारा दिये गये अग्रिमों के संबंध में कटौती स्वीकृत की गई थी। इस त्रुटि के कारण ब्याज के साथ ₹ 58.16 लाख कर कम उद्ग्रहण सहित ₹ 1.39 करोड़ की अधिक कटौती स्वीकृत की गई। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 148 के अंतर्गत प्रारंभिक उपचारात्मक कार्रवाई की।*

4.3.4 मूल्यह्रास/बिजनेस हानियों/पूँजीगत हानियों की अनुमति में अनियमितता

हम नीचे ऐसे दो निदर्शी मामले दे रहे हैं:

धारा 72 आगामी आठ निर्धारण वर्षा के लाभों और प्राप्तियों के प्रति किसी निर्धारण वर्ष की निवल हानि को आगे ले जाने और सेट-ऑफ करना दर्शाती है।

4.3.4.1 बिहार, सीआईटी-I भागलपुर प्रभार में, एओ ने ₹ 27.28 करोड़ के आगे लाई गई हानियों के छोड़ने के बाद शून्य आय पर दिसम्बर 2010 में

34 नि. व. 2007-08 के लिए ₹ 5.69 करोड़ और नि.व. 2008-09 हेतु ₹ 10.75 करोड़

35 नि. व. 2007-08 के लिए ₹ 1.91 करोड़ और नि.व. 2008-09 हेतु ₹ 3.65 करोड़

36 सकारात्मक कर प्रभाव ₹ 1.60 करोड़ और संभावित कर प्रभाव ₹ 1.04 करोड़

संवीक्षा के बाद नि. व. 2008-09 हेतु कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि नि.व. 2007-08 से नि.व. 2008-09 में लाने वाली कोई हानियाँ नहीं थी। इस गलती के कारण ब्याज सहित ₹ 10.56 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 27.28 करोड़ की हानियों की अनियमित रूप से छोड़ दिया गया। *आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (जुलाई 2012)।*

4.3.4.2 गुजरात, सीआईटी-बड़ौदा प्रभार में, एओ ने ₹ 13.89 लाख की आय पर नवम्बर 2008 में नि.व. 2006-07 हेतु पैट्रोफिल्स कॉ-ऑपरेटिव लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया। एओ ने नि.व. 1997-98 और पूर्व वर्षों अर्थात् आठ वर्षों की अनुमत अवधि के बाद से संबंधित ₹ 65.90 करोड़ की बिजनेस हानि को आगे ले जाना गलत रूप से स्वीकृत किया। इस गलती के परिणामस्वरूप इस सीमा तक बिजनेस हानि के आगे ले जाने की स्वीकृति दी जिसके कारण ₹ 22.18 करोड़ के संभावित कर प्रभाव का कम उद्ग्रहण किया गया। *आईटीडी ने धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत नवम्बर 2011 में त्रुटि में सुधार किया।*

4.3.4.3 केरल, सीआईटी-त्रिवेंद्रम प्रभार में, एओ ने नि.व. 2007-08 और 2008-09 से संबंधित ₹ 16.29 करोड़ के आगे ले गए नुक्सान को सेटिंग ऑफ करने के पश्चात् ₹ 9.23 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2009-10 हेतु केरल स्टेट कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया। हालांकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा के अनुसार नि.व. 2009-10 हेतु केवल ₹ 63.51 लाख की कुल हानि छोड़े जाने हेतु उपलब्ध थी और इसलिए ₹ 6.43 करोड़ कर प्रभाव सहित ₹ 15.65 करोड़ की हानियों को सेट आफ किया गया था।

4.4 चूकों के कारण निर्धारण से छूटी हुई आय

4.4.1 अधिनियम दर्शाता है कि किसी पिछले वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय किसी भी स्रोत से प्राप्त, वास्तविक रूप से प्राप्त या संचित या प्राप्त या संचित मानी गई सभी आय शामिल होंगी। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने कर के अंतर्गत ऑफर की जाने वाली अपेक्षित कुल आय का निर्धारण नहीं किया या कम निर्धारण किया। टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों को लागू करने में भी चूकें थीं, जिसके कारण वो कर से छूट गई। तालिका 4.4 उन उप-श्रेणियों को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारण से आय छूट गई।

तालिका 4.4: चूकों के कारण निर्धारण से छूटी हुई आय के अंतर्गत त्रुटियों की उप-श्रेणियाँ (₹ करोड़ में)			
उप-श्रेणियाँ	सं.	टीई	राज्य
क. पूँजीगत लाभों का गलत वर्गीकरण और गणना	7	7.62	दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु
ख. आय की गलत गणना	19	18.31	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
ग. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधान लागू करने में चूकें	4	1.29	दिल्ली, छत्तीसगढ, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
घ. धनकर का उद्ग्रहण न करना/कम उद्ग्रहण करना	17	1.88	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
कुल	**47**	**29.10**	

4.4.2 पूँजीगत लाभों का गलत वर्गीकरण

हम नीचे दो निदर्शी मामले दे रहे हैं:

धारा 4 दर्शाती है कि सभी आयकर और कुल आय की गणना के प्रभार के उद्देश्य हेतु; विनिर्दिष्ट आय के शीर्षों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध होंगी।

4.4.2.1 महाराष्ट्र, सीआईटी-अंतर्राष्ट्रीय कराधान मुंबई प्रभार में, एओ ने ₹ 65.75 लाख की आय पर सितम्बर 2009 में नि.व. 2007-08 हेतु **ओपनहेमर डेवलेपिंग मार्केट्स फंड** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने लघु अवधि पूँजीगत हानि को सट्टे बाजी हानि के रूप में लिया और उक्त सट्टे बाजी लाभों के स्थान पर लघु अवधि पूँजीगत लाभ के प्रति समायोजित किया। सट्टे बाजी हानि के रूप में हानि को लेने की चूक और उक्त को ही पूँजीगत लाभ के प्रति सेट आफ की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 52.05 लाख के कर के कम उद्ग्रहण के साथ पूँजीगत लाभ का कम निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (फरवरी 2011)।*

अधिनियम की धारा 2(14)(iii) के साथ पठित धारा 45 के अंतर्गत, पूँजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से प्राप्त कोई लाभ और प्राप्ति पूँजीगत लाभों के अंतर्गत आयकर के लिए आदेय होगी।

4.4.2.2 तमिलनाडु, सीआईटी चेन्नै प्रभार में, एओ ने ₹ 13.13 लाख की आय पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2009-10 हेतु अर्जुन

पार्थसारथी का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने अन्य के साथ-साथ 27.23 एकड़ भूमि बेची और ₹ 22.91 करोड़ का संचित दीर्घावधि एवं लघु अवधि पूँजीगत लाभ कमाया और तत्पश्चात इसे कृषि भूमि के रूप में दिखाकर छूट का दावा किया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि अगस्त 2008 में संयुक्त निदेशक, टाऊन और कंट्री प्लानिंग, चेन्नै द्वारा जारी आदेशों के अनुसार गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि उपयोग का परिवर्तन अनुमोदित था। अत: उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण पर पूँजीगत लाभ कर से निर्धारिती द्वारा छूट कृषि से गैर-कृषि भूमि के वर्गीकरण में एक परिवर्तन है, के दावे का उद्देश्य निरस्त किया जाना और इसी प्रकार कर उद्ग्रहित किया जाना अपेक्षित था। इस चूक के कारण लघु और दीर्घावधि पूँजीगत लाभ से छूट मिलने के कारण ₹ 5.86 करोड़ का कर उद्ग्रहण नहीं किया जा सका। *आईटीडी ने धारा 263 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (मार्च 2013)।*

4.4.3 आय की गलत गणना

हम नीचे ऐसे तीन निदर्शी मामले दे रहे हैं:

धारा 143(3) दर्शाती है कि एओ को सही ढंग से आय निश्चित और निर्धारित करनी होती है। लेखे, रिकार्ड और रिटर्न के साथ सभी दस्तावेजों के साथ दावों की विभिन्न श्रेणियों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत जाँच करनी आवश्यक है। सीबीडीटी ने भी इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किये हैं।

4.4.3.1 दिल्ली, सीआईटी-I केंद्रीय प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2004-05 से 2006-07 हेतु **देवीदास गर्ग** का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर की अनुचित रूप से गणना की गई है और इन वर्षों के दौरान कृषि आय को लागू दरों में निर्धारित करने के उद्देश्य से नहीं लिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ कर का कम उद्ग्रहण किया गया। *आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (दिसम्बर 2012)।*

4.4.3.2 महाराष्ट्र, डीसीआईटी अहमदनगर प्रभार में, एओ ने जून 2009 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2007-08 के लिए **गणेश सहकारी सकर कारखाना लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। एओ ने निर्धारिती द्वारा फाइल की गई संशोधित रिटर्न और बाद में ₹ 45.77 लाख और जोड़ने के बाद ₹ 10.11 करोड़ आय के स्थान पर ₹ 4.80 करोड़ की निवल हानि स्वीकार की, आय ₹ 10.56 करोड़ के लाभ के स्थान पर ₹ 4.34 करोड़ की हानि तक पहुँच गई थी। इस त्रुटि के कारण ₹ 4.56 करोड़ का कम उद्ग्रहण किया गया।

आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (सितम्बर 2010)।

4.4.3.3 महाराष्ट्र, सीआईटी-XII प्रभार में, एओ ने ₹ 5.75 करोड़ के 'बिजनेस से आय' शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति ₹ 4.59 करोड़ की लघु अवधि पूँजीगत हानि का सेट आफ स्वीकृत करके ₹ 1.17 करोड़ की आय पर नवम्बर 2008 में नि.व. 2006-07 हेतु **मै. एलएंडटी हॉचटिफ सीबर्ड ज्वाईंट वेंचर** का निर्धारण पूरा किया। इस त्रुटि के कारण ₹ 1.86 करोड़ कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 4.59 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की (दिसम्बर 2011)।*

4.4.4 टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों को लागू करने में चूकें

धारा 40(ए)(आईए) दर्शाती है कि जहां टीडीएस में कटौती नहीं की गई है वहां भुगतानों के प्रति व्यय में कटौती अनुमत नहीं होगी।

4.4.4.1 दिल्ली, सीआईटी-IX प्रभार में, एओ ने नि.व. 2006-07 हेतु **आशीष कोहली** का निर्धारण पूरा करते समय मई 2008 में ₹ 8.85 लाख की आय पर फेबरीकेशन, डाईंग और प्रिंटिंग और कमीशन व्यय, जिस पर भुगतान करते समय कर की कटौती नहीं की गई थी, के लिए निर्धारिती द्वारा किये गये ₹ 133.20 लाख राशि वाले व्यय को अस्वीकृत नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप ब्याज सहित ₹ 58.81 लाख के कर प्रभाव के समान राशि की आय का कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने धारा 144/148 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (मार्च 2013)।*

4.4.5 धनकर का उद्ग्रहण न करना/कम उद्ग्रहण

₹ 1.88 करोड़ कर प्रभाव सहित धनकर के 17 मामले जून 2013 से नवम्बर 2013 के दौरान मंत्रालय को भेजे गये थे। हमने पाया कि एओ ने आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इन मामलों में सीबीडीटी के निर्देशों[37] का अनुपालन नहीं किया। एक ऐसा निदर्शी मामला नीचे दर्शाया जा रहा है:

4.4.5.1 आंध्र प्रदेश, सीआईटी-I हैदराबाद प्रभार में, **एम रविंद्र** के अधीन परिसंपत्तियाँ (नकद, कार और शहरी भूमि) थी जो धनकर अधिनियम के अनुसार धनकर के अंतर्गत आती थी परंतु नि.व. 2008-09 और

37 नवम्बर 1973, अप्रैल 1979 और सितम्बर 1984 में एओ को सीबीडीटी के निदेश जारी किये गये।

नि. व. 2009-10 हेतु धनकर की रिटर्न फाइल नहीं की गई। आईटीडी ने भी उपरोक्त हेतु कार्रवाई की पहल नहीं की। इस त्रुटि के कारण ₹ 87.97 लाख के धन-कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और नि.व. 2008-09 हेतु त्रुटि में सुधार किया (जनवरी 2013)।

4.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

4.5.1 हमने पाया कि चंडीगढ, दिल्ली, मध्य प्रदेश और पंजाब में ₹ 13.81 करोड़ के कर/ब्याज के अधिक प्रभार सहित सात मामलों में आय का अधिक निर्धारण किया गया था। हम नीचे ऐसे दो मामले दे रहे हैं:

4.5.2 मध्य प्रदेश सीआईटी ग्वालियर प्रभार में, एओ ने ₹ 2.40 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2010 में धारा 143(3)/153ए के अंतर्गत नि.व. 2008-09 हेतु **नवीन शिवहरे** का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि एओ निर्धारिती आय पर ₹ 1.12 करोड़ की सही राशि की अपेक्षा ₹ 10.10 करोड़ के निवल कर उद्ग्रहित किये। इस त्रुटि के कारण ₹ 8.98 करोड़ के कर का अधिक प्रभार किया गया। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि का सुधार किया (जनवरी 2012)।*

4.5.3 मध्य प्रदेश, सीआईटी ग्वालियर प्रभार में, एओ ने ₹ 81.48 करोड़ आय पर दिसम्बर 2009 में धारा 143(3)/153ए के अंतर्गत नि.व. 2005-06 हेतु द ग्वालियर सीटिजन साख सहकारिता मर्यादित का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि ब्याज सहित कर ₹ 46.93 करोड़ की सही राशि की अपेक्षा ₹ 50.22 करोड़ उद्ग्रहण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.29 करोड़ का अधिक प्रभार किया गया। *आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि का सुधार किया (मई 2011)।*

अध्याय V: आयकर विभाग में शिकायत निवारण तंत्र

5.1 प्रस्तावना

आयकर विभाग (आईटीडी) ने निर्धारितियों की शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने हेतु 2003 में शिकायत निवारण तंत्र प्रारम्भ किया। कार्यालय प्रक्रियाओं की नियमावली (एमओपी)[38] में मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीआईटी) के कार्यालयों में क्षेत्रीय शिकायत सेल के गठन की संभावना पर ध्यान दिया जाता है तथा जनता से प्राप्त शिकायत याचिका के निपटान हेतु प्रक्रियाएं वर्णित है।

निर्धारितियों की शिकायतें (i) प्रतिदाय की मंजूरी में विलम्ब, ब्याज, कम भुगतान, (ii) परिशोधन पर विलम्ब अथवा पूर्व भुगतान करों के समन्य, (iii) खोज तथा सर्वेक्षण अथवा मूल्यांकन प्रक्रियाओं के दौरान उत्पीड़न, (iv) सुनवाई के समय पर अधिकारियों का अभद्र व्यवहार आदि जैसे कई कारणों से उत्पन्न होती है। आईटीडी ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ व्यापक शिकायत निवारण तंत्र बनाया है:

क. प्रत्येक लोक शिकायत का शीघ्र निपटान;

ख. लोकतांत्रिक ढांचे में एक करदाता के अधिकारों तथा गरिमा की रक्षा करना;

ग. चयनित मामलों में चूककर्ता व्यक्ति के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही करके विभाग के अधिकारियों तथा स्टाफ के उत्तरदायित्व के उच्चतर मानक लागू करना;

घ. प्रणाली में उपयुक्त परिवर्तनों को प्रभावित करने के विचार से जनता से प्राप्त फीडबैक के माध्यम से प्रणाली के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना;

ङ. अधिकारियों तथा स्टॉफ के बारे मे बेहत्तर जानकारी प्राप्त करना;

च. जनता की शिकायत को विभाग के सतर्कता तंत्र के कार्य करने हेतु एक इनपुट के रूप में उपयोग करना;

इस प्रकार, शिकायतों का निपटान करना आईटीडी का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो जनता को अधिक प्रभावित करता है तथा जिस पर अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

---

38 आयकर विभाग, खण्ड I, 2003 की कार्यालय प्रक्रियाओं की नियमावली का अध्याय 14

5.2 संगठनात्मक ढांचा

आईटीडी में, शिकायत सेल के पदानुक्रम बनाए गए है जो निम्नानुसार है:

क. केन्द्रीय शिकायत सेल प्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष केन्द्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर (सीबीडीटी) के अन्तर्गत है तथा शिकायत निदेशक नामत: निदेशक पद के एक अधिकारी द्वारा अध्यक्षित है।

ख. क्षेत्रीय शिकायत सेल: सीसीआईटी अथवा डीजीआईटी के अन्तर्गत

ग. शिकायत सेल: अन्य स्थान के सीआईटी अथवा डीआईटी के अन्तर्गत

एमओपी में वर्णित लिखित शिकायतो के लिए प्रक्रियाओं के अलावा, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग के केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रशासन प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)[39] एक पोर्टल है जिसके माध्यम से ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त की जाती है तथा इन्हें सीबीडीटी द्वारा मॉनीटर तथा नियंत्रित किया जाता हैं। पोर्टल आईटीडी को ऑनलाइन दायर शिकायत याचिका के निपटान की सुविधा प्रदान करता है तथा याचिका की स्थिति को जानने के लिए याचिकाकर्ता को मंजूरी देता है तथा आईटीडी को एक अनुस्मारक देने की भी सुविधा देता है।

केन्द्रीय सरकार ने दिशा-निर्देश भी जारी किए है अर्थात् 1 मई 2010 से प्रभावी "आयकर लोकपाल दिशा-निर्देश 2010"। लोकपाल आईटीडी के अधिकार क्षेत्र से स्वतंत्र है।

5.3 नागरिक चार्टर

आयकर विभाग ने कर दाताओं हेतु निम्नलिखित प्रतिबद्धताओं की घोषणा को निर्धारित करते हुए जुलाई 2010 में अपना नागरिक चार्टर जारी किया:

क. जनता से प्राप्त सभी शिकायतों को संबंधित निर्धारण अधिकारी (एओज) द्वारा शिकायत की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए।

ख. आगामी उच्चतर प्राधिकार के समक्ष दायर निवारण न की कई याचिका पर प्राप्ति के 15 कार्य दिवसों के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

ग. कर दाता निवारण न हुई शिकायतों के मामलें में आयकर लोकपाल के पास जा सकता है।

39 http://pgportal.gov.in/

5.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा उद्देश्य दो माह की अनुबंधित अवधि के भीतर प्रत्येक जन शिकायत के निवारण में आईटीडी की मुस्तैदी का आँकलन तथा शिकायतों के लबंन की स्थिति के साथ-साथ शिकायत याचिका की प्राप्ति तथा निपटान की स्थिति की जाँच करना है। हमने यह भी जाँच की कि क्या आईटीडी में उपयुक्त मॉनीटरिंग तथा रिपोर्टिंग प्रणाली विद्यमान है। यह संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली उद्देश्यात्मकता के आँकलन हेतु अभीष्ट है कि आईटीडी के शिकायत निवारण तंत्र ने अपने उद्देश्यों को किस स्तर तक प्राप्त किया है।

5.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

हमने वि.व. 2010-11 तथा वि.व. 2011-12 के दौरान आईटीडी द्वारा प्राप्त तथा निपटान की गई शिकायतों के साथ-साथ शिकायत सेल में 31 मार्च 2012 तक शिकायतों के लबंन की जाँच करने हेतु अप्रैल से अक्तूबर 2013 के दौरान एक अध्ययन किया। आईटीडी की 114 सीसीआईटी, 356 सीआईटी तथा
3,828 मूल्यांकन यूनिटों में से, हमने अध्ययन हेतु 67 सीसीआईटी, 149 सीआईटी तथा 1,160 निर्धारण यूनिटों में कार्यरत शिकायत सेलो का चयन किया जैसाकि *परिशिष्ट 10* में दर्शाया गया है।

5.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

आईटीडी उद्देश्यों के संदर्भ में लेखापरीक्षा निष्कर्ष आगामी पैराग्राफों में वर्णित है:

5.6.1 विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर उच्चतर मानको की जवाबदेही लागू करना

जवाबदेही को रिकार्ड के उपयुक्त दस्तावेजो की मौजूदगी तथा अच्छी तरह से परिभाषित मॉनीटरिंग तंत्र से लागू किया जा सकता है। इस प्रकार, लेखापरीक्षा उपलब्ध कराए गए रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेजों के आधार पर जाँच की। हमने वि.व. 2010-11 तथा वि.व. 2011-12 हेतु प्राप्त आनलाइन एवं मैन्युअल शिकायतों तथा 47 तथा 52 सीसीआईटी/सीआईटी/डीआईटी(ई) से उनके निपटान से संबंधित आँकडे एकत्रित किए जैसाकि *परिशिष्ट 11 तथा 12* में दर्शाया गया। इस संदर्भ में निष्कर्ष निम्नानुसार है।

5.6.1.1 रिकार्ड का खराब रख-रखाव

हमें शिकायत सेल में रिकार्ड के रख-रखाव न होने/अनुचित रख-रखाव के कारण पूर्ण सूचना[40] प्राप्त नहीं हुई। हमने पाया कि अधिकतर शिकायत सेल में रिकॉर्ड में शिकायतों की प्राप्ति की तिथि नहीं दर्शायी गई जिसके कारण शिकायतों के निपटान में लिया गया वास्तविक समय निकाला नहीं जा सका। दिल्ली, इंदौर तथा भोपाल में प्राप्त ऑनलाइन शिकायतों तथा मैन्युअल शिकायतों के वर्गीकरण को पृथक रूप से नहीं बनाया गया था।

सीबीडीटी ने कहा (फरवरी 2014) कि सीसीआईटी जयपुर व अहमदाबाद ठीक से रजिस्टर बना रहे है। सीसीआईटी पंचकुला में, कुछ मामलों मे शिकायतों की प्राप्ति की तिथि वर्णित नहीं की गई है तथा इस कमी को वि.व. 2011-12 से दूर किया गया है। यह भी कहा गया कि सीसीआईटी (सीसीए), नई दिल्ली के तहत सीआईटी (हेल्पलाइन) मैन्युअल शिकायतों के संदर्भ में सीआईटी-वार रजिस्टर बना रही है। ये रजिस्टर शिकायतों की प्राप्ति की तिथि को पूर्ण रूप से वर्णित करते है। ऑनलाइन शिकायतों के संदर्भ में मैन्युअल रजिस्टर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्येक याचिका तथा स्थिति ऑनलाइन है।

यह कहा जाता है कि व्यापक उत्तर देने के बजाय, सीबीडीटी ने रिपोर्ट में वर्णित 47/52 स्टेशनों में से केवल चार के बारे में स्पष्टीकरण किया है। इसके अलावा, हमने देखा कि यद्यपि सीसीआईटी अहमदाबाद रजिस्टर का रख-रखाव कर रहा था, तथापि यह एमओपी में निर्धारित फार्मेट में नहीं था। इसके अतिरिक्त, रजिस्टरों का मासिक रूप से समापन नहीं किया गया तथा उपयुक्त स्तर पर मॉनीटरिंग नहीं की गई। सीआईटी (हेल्पलाइन) दिल्ली के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि लेखापरीक्षा अवलोकन सीआईटी कार्यालयों से संबंधित है तथा क्षेत्रीय शिकायत सेल से संबंधित नहीं है। लेखापरीक्षा का मत है कि सीबीडीटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राप्त शिकायते लिखित हो तथा उनको उचित प्रकार से मॉनीटर किया जाए।

---

40 मुम्बई में, 15 सीसीआईटी में से केवल 3 सीसीआईटी के संदर्भ में शिकायतों की स्थिति दी गई है। अन्य 12 सीसीआईटी के संदर्भ में, लेखापरीक्षा को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

5.6.1.2 निर्धारित फोर्म में शिकायत रजिस्टर का रख-रखाव न होना

एमओपी के अध्याय 14 के पैराग्राफ 2.4.1 के अनुसार, प्रत्येक शिकायत सेल तथा प्रत्येक एओ द्वारा उसमें (एमओपी के परिशिष्ट 1) निर्धारित प्रोफॉर्मा में एक शिकायत रजिस्टर बनाया जाना है।

हमने देखा कि 60 चयनित शिकायत सेलों में से 45 ने शिकायत रजिस्टर नहीं बनाया/अनुपयुक्त रूप में बनाया। तथापि, सभी शिकायत सेलों में संबंधित अधिकारी द्वारा नियमित अन्तराल पर शिकायत रजिस्टर की मॉनीटरिंग नहीं की जा रही थी।

सीबीडीटी ने कहा (फरवरी 2014) कि

1. *ऑनलाइन शिकायतों के लिए, सीपीजीआरएएमएस सभी आवश्यक रिपोर्ट बनाता है इसलिए शिकायतों के निपटान तथा मॉनीटरिंग के लिए कोई पृथक रजिस्टर बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रणाली के तहत निर्मित विभिन्न रिपोर्ट प्रत्येक शिकायत के समयवार, सीसीआईटी वार प्राप्ति/लबंन/निपटान के साथ-साथ सम्पूर्ण रूप में विभाग को संभालती है।*
2. *लिखित शिकायत के लिए, केन्द्रीय शिकायत सेल के पास डी-बेस सॉफ्टवेयर है जिस पर प्राप्त की गई लिखित शिकायतों का विवरण बनाया जाता है। शिकायतों की समय-वार विचाराधीनता पर सीसीआईटी वार विचाराधीनता सूची और समेकित रिपोर्ट भी इस सिस्टम पर प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार, केन्द्रीय शिकायत सेल में लिखित शिकायतों के लिए कोई पृथक रजिस्टर नहीं बनाया जाता है। तथापि, लिखित शिकायतों के निपटान के लिए सॉफ्टवेयर पुराना हो गया है (यह 1985 में स्थापित किया गया था) और केन्द्रीय शिकायत सेल की आवश्यकताओं के अनुरूप सॉफ्टवेयर के अद्यतित संस्करण द्वारा सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए आवेदन डीजीआईटी (सिस्टम) के विचाराधीन है।*
3. *सीसीआईटी, जयपुर उचित रूप में रजिस्टरों का रख-रखाव कर रहा है। सीसीआईटी, पचंकुला ने निर्धारित रूप में रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं किया है लेकिन यह सारी आवश्यक जानकारी रखता है जो शिकायत याचिका के निवारण के लिए आवश्यक है। सीसीआईटी-1 अहमदाबाद ने 01/04/2013 से उचित फोर्मेट में शिकायत रजिस्टरों का रख-रखाव*

किया है। सीआईटी (हेल्पलाइन) दिल्ली नियमित आधार पर शिकायतों के निपटान का अनुरक्षण और मॉनीटरिंग कर रही है।

लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण यह है कि

1. यद्यपि रजिस्टरों का अनुरक्षण ऑनलाइन शिकायतों के लिए अपेक्षित नहीं है क्योंकि इनकी मॉनीटरिंग सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से की जाती है, शिकायतों के निवारण की मॉनीटरिंग की कोई रिपोर्ट लेखापरीक्षा को नहीं दिखाई गई। इसके अतिरिक्त, वि.व. 2011-12 के दौरान इक्तालीस *प्रतिशत* तक निर्धारित अवधि से अधिक देखी गई शिकायतो की विचाराधीनता बताती है कि शिकायतो के निवारण की उचित मॉनीटरिंग नहीं की जा रही है।
2. लिखित शिकायतों के लिए अनुरक्षित 1985 में स्थापित डी-बेस सॉफ्टवेयर जो अब पुराना हो चुका है, के संबंध में अद्यतन के लिए तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है जिससे कि आवश्यक रजिस्टर अनुरक्षित किए जा सके/रिपोर्ट बनाई जा सके।
3. सीबीडीटी का उत्तर केवल उपरोक्त कुछ स्टेशनों से संबंधित है। तथापि, लेखापरीक्षा ने सीआईटी (हेल्पलाइन) दिल्ली द्वारा बताई गई स्थिति को स्वीकार नहीं किया है। सीबीडीटी ने फरवरी 2013 में लेखापरीक्षा को सूचना दी कि प्राप्त की गई शिकायतों तथा उनकी वर्तमान स्थिति अर्थात् कोड वार सहित मामला वार निपटान/लंबन सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन/लिखित शिकायतो के संबंध में नहीं बनाया जा सकता। इसके अतिरिक्त, सॉफ्टवेयर सीसीआईटी वार ब्रेक अप नहीं कर सकता।

5.6.1.3 निर्धारित फोर्मेट में द्विमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करना

एमओपी अध्याय 14 के पैराग्राफ 2.4.2 व 2.4.3 के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा सीबीडीटी के नियंत्रण के अधीन (एमओपी का अनुबंध-II) एक द्विमासिक रिपोर्ट बाह्य शिकायत सेल द्वारा क्षेत्रीय शिकायत सेल को भेजी जानी चाहिए। और फिर क्षेत्रीय शिकायत सेल द्वारा केन्द्रीय शिकायत सेल को भेजी जानी चाहिए।

सीसीआईटी-बडौदा, राजकोट और सूरत में रिपोर्ट नियमित रूप से संबंधित सेलों को प्रस्तुत की जा रही थी। तथापि 57 शिकायत सेलो ने यह दर्शाने के लिए कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की कि अपेक्षित द्विमासिक रिपोर्ट निर्धारित फोर्मेट में भेजी जा रही थी।

सीबीडीटी ने कहा (फरवरी 2014) कि

1. *द्विमासिक रिपोर्ट का प्रोफार्मा वर्ष 1988 में निर्धारित किया गया और वर्तमान में कोई क्षेत्रीय संरचना इस निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्टें नहीं भेज रही है। प्राप्त/निपटान की गई शिकायतों की स्थिति सीसीआईटी द्वारा संबंधित जोनल सदस्यों को अपने मासिक डीओ पत्रों में प्रस्तुत की जा रही है। अपनी तरफ से केन्द्रीय शिकायत सेल संबंधित सीसीआईटी को लंबित शिकायतों की सूची भेजकर शिकायतों के निपटान की मॉनीटरिंग कर रहा है और समय-समय पर उनसे निवारण रिपोर्ट प्राप्त कर रहा है। तथापि, अब केन्द्रीय शिकायत सेल प्रत्येक सीसीआईटी से मासिक आधार पर समेकित रिपोर्ट प्राप्त कर रहा है।*
2. *सीसीआईटी जयपुर और सीसीआईटी-1 अहमदाबाद में मासिक प्रगति रिपोर्टें बोर्ड को भेजी जाती है। तथापि सीसीआईटी पंचकुला, सीसीआईटी चेन्नई और सीसीआईटी (सीसीए) दिल्ली में निर्धारित प्रोफॉर्मा में कोई द्विमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रही है। सीसीआईटी चेन्नई ने कहा है कि बाह्य क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा द्विमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की पद्धति आरम्भ की जाएगी।*

लेखापरीक्षा ने रिकॉर्ड से प्रमाणित किया कि सीसीआईटी, जयपुर में जून 2013 माह तक मासिक प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजी गई। इन्हें जुलाई 2013 से प्रभावी रूप में भेजा जा रहा है। इसी प्रकार, लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण है कि प्रक्रियाओं की नियमावली (एमओपी) का आगे विकास तथा अन्य अच्छी पद्धतियों के संदर्भ में संशोधित किया जाना चाहिए। मॉनीटरिंग के लिए डीओ पत्र आदि जैसे वैकल्पिक तंत्र के विकास के बावजूद, शिकायतों के निपटान को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह लगभग 60 *प्रतिशत* है।

5.6.1.4 विभिन्न श्रेणियों में शिकायतों का पृथक्करण न होना

एमओपी के अध्याय 14 के पैरा 2.4.2 के अनुसार, प्रत्येक शिकायत का विभिन्न श्रेणियों में पृथक्करण किया जाना चाहिए जैसाकि एमओपी के अनुबंध-।। में दर्शाया गया। हमने देखा कि अधिकतर शिकायत सेलो में शिकायतों के विवरण के रख-रखाव न होने/अनुपयुक्त रख-रखाव के कारण एमओपी के अनुसार शिकायतों का श्रेणियों में पृथक्करण नहीं किया गया। इसके अलावा, हमने देखा कि जहां पर भी रिकॉर्ड का रख-रखाव किया गया

वहां पर 80 *प्रतिशत* से अधिक शिकायतें 'प्रतिदाय/ब्याज अथवा कम भुगतान की स्वीकृति में विलम्ब' की श्रेणी से संबंधित थी। तथापि, छह शिकायत सेलो[41] में 50 *प्रतिशत* से अधिक शिकायतें 'प्रशासनिक कार्यप्रणाली, व्यक्तिगत दावों के निपटान आदि से संबंधित शिकायत' की श्रेणी की है।

सीबीडीटी ने कहा (फरवरी 2014) की ऑनलाइन शिकायतों को स्वत: वर्गीकृत किया जाता है जबकि लिखित शिकायतों के लिए इसे हस्त्य रूप से किया जाता है। तथापि, लिखित शिकायतों के लिए समर्पित सॉफ्टवेयर के उन्नयन तथा इसके लिए प्रस्ताव की आवश्यकता विचाराधीन है।

लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण है कि सॉफ्टवेयर के उन्नयन के अलावा, उपयुक्त रूप से एमओपी को संशोधित करने हेतु कार्रवाई भी अपेक्षित है।

5.6.2 प्रत्येक जन शिकायत का तत्काल निवारण

शिकायत निवारण तंत्र का प्रमुख कार्य सभी प्राप्त शिकायतों का प्रभावी ढंग से तथा शीघ्रता से निवारण करना है। तत्काल निवारण आईटीडी को संवेदनशीलता से करदाताओं की वास्तविक समस्याओं से अवगत कराता है; उसके कारण उनकी साख सुनिश्चित होती है। तत्काल निवारण के लिए शिकायतों का तीव्रता से निपटान आवश्यक है जो याचिकाकर्ता को भी स्वीकार्य होना चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान, विभाग द्वारा तय मापदण्ड के अनुसार हमारा ध्यान शिकायतों के निपटान पर केन्द्रीय था। वि.व. 2011-12 के लिए केन्द्रीय कार्रवाई योजना तथा आईटीडी के नागरिक चार्टर के अनुसार, जनता से प्राप्त सभी शिकायतों का शिकायतों की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर संबंधित एओ द्वारा निपटान किया जाना चाहिए।

5.6.2.1 शिकायतों के निपटान में अनुबंधित अवधि से अधिक विलम्ब

हमने देखा कि आईटीडी ने ऑनलाइन तथा हस्त्य शिकायतों सहित वि.व. 2010-11 तथा वि.व. 2011-12 के दौरान क्रमश: 17,956 तथा 27,401 शिकायतें प्राप्त की। इनमें से, आईटीडी निर्धारित अवधि के अन्दर केवल 10,337 व 16,096 शिकायतों का निपटान कर सका। वि.व. 2011-12 के दौरान निर्धारित अवधि के अन्दर शिकायतों के निपटान की औसत दर 59 प्रतिशत थी।

---

41 कानपुर, बरेली, इलाहाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ तथा देहरादून

हमने देखा कि केवल 18[42] स्टेशनों में, इन वर्षों के दौरान निर्धारित अवधि के अन्दर शिकायतों का निपटान 60 *प्रतिशत* से अधिक था। आठ[43] स्टेशनों में, निपटान की दर केवल 3.8 से 22.5 के बीच थी। यद्यपि, वि.व. 2010-11 की तुलना में वि.व. 2011-12 में निपटान की औसत दर में थोड़ी वृद्धि (55 से 59 *प्रतिशत*) थी तथापि, शिकायतों के लंबन ने 7,619 से 11,305 तक वृद्धि की है। निर्धारित अवधि के अन्दर शिकायतों का निपटान अठारह स्टेशनों को छोड़कर संतोषजनक नहीं था।

सीबीडीटी ने कहा (फरवरी 2014) कि

1. *विभाग में प्राप्त अधिकतम शिकायतें प्रतिदाय तथा परिशोधन मामलों से संबधित है जिन्हें अन्ततः निर्धारण अधिकारी (एओ) के स्तर पर देखा जाना है तथा निपटाया जाना है तथा शिकायत को उस स्तर पर पहुंचने में काफी समय लगता है। तथापि इसने उनके द्वारा प्राप्त शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई हेतु क्षेत्र संरचनाओं को जागरूक करने के प्रयास किए है।*

2. *सीसीआईटी जयपुर में, शिकायतों के समय पर निपटान के लिए प्रयास किए जा रहे है। सीसीआईटी-। अहमदाबाद में, सामान्य तौर पर शिकायतों का उचित अवधि के अन्दर निपटान किया जाता है। उनके अनुसार, कुछ मामलों में विलम्ब उन कारणों की वजह से अपरिहार्य है जो सम्पूर्ण रूप से संबंधित एओ के नियंत्रण में नहीं है तथा जिनमें याचिकाकर्ता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।*

लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 मार्च 2012 तक (परिशिष्ट 13) 7,167 लंबित शिकायतों में से 3,732 शिकायतें (52 *प्रतिशत*) एक वर्ष से ज्यादा के लिए लंबित है। इन मामलों में अधिकतम विलम्ब 11 वर्ष तक बताया गया। इसलिए, सीबीडीटी का तुरन्त कार्रवाई के लिए संवेदनशील क्षेत्र संरचनाओं के संबंध में उत्तर विश्वसनीय नहीं है।

---

42 चंड़ीगढ़, लुधियाना, रायपुर, जलपायगुडी, ओडिशा, संभलपुर, भोपाल, इन्दौर, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, बैंगलोर, पुदुचेरी, मदुरै, कोट्टयम, कोझीकोड, अजमेर एवं जोधपुर

43 इलाहाबाद, कानपुर, गुवाहटी, शिलांग, गाजियाबाद, लखनऊ, अमृतसर, बरेली

5.6.2.2 एओज के गलत क्षेत्राधिकार में शिकायत के अग्रेषण के कारण विलम्ब

हमने ऐसे मामले देखे जहां शिकायते उस एओज के नाम पर थी जो उससे संबंधित नहीं था जिसके कारण संबंधित एओज द्वारा शिकायतों के निपटान में अधिक समय लिया गया। तालिका 5.1 वि.व. 2011-12 के दौरान एओज के गलत क्षेत्राधिकार को प्रतिदाय की मंजूरी की वजह से शिकायतों के अग्रेषण के कारण विलम्ब को दर्शाती है।

तालिका 5.1: गलत/असंबंधित एओ को शिकायत के अग्रेषण का वर्णन

सीसीआईटी	याचिकाकर्ता का नाम, नि.व.	शिकायत सेल में प्राप्ति की तिथि	गलत एओ को सम्बोधन की तिथि	सही एओ से अंतिम निपटान की तिथि	विलम्ब दिनों में
सीसीआईटी-बैंगलोर	संजीव कुमार, नि.व. 2008-09	06 सितबर 11	13 सितबर 11	20 अगस्त 13	652
सीसीआईटी-बैंगलोर	स्वाति पैकेजिंग प्रा. लि., नि.व. 2008-09	09 जनवरी 12	01 फरवरी 12	01 अगस्त 12	143
सीसीआईटी-बैंगलोर	एन.के. बालसुब्रमण्यम, नि.व. 2008-09	13 जलाई 11	28 जलाई 11	03 फरवरी 12	145
सीसीआईटी-बैंगलोर	इत्तीना हेल्थ केयर प्रा.लि., नि.व. 2007-08 तथा 2008-09	19 मार्च 12	20 मार्च 12	08 अगस्त 12	81
सीसीआईटी-बैंगलोर	हयूमन इन्टरफेस कन्सल्टिंगप्रा.लि., नि.व. 2009-10	31 जनवरी 12	02 फरवरी 12	09 अप्रैल 12	09

उपरोक्त मामलों के लिए सीबीडीटी का उत्तर निम्नानुसार है (फरवरी 2014):

1. *संजीव कुमार: शिकायत सेल ने सही एओ को शिकायत याचिका भेजने में सितम्बर 2011 से अगस्त 2013 (23 माह) का समय लिया। शिकायत सेल ने मॉनीटरिंग के लिए मामला अपर सीआईटी, सीआईटी तथा सीसीआईटी के स्तर पर अग्रेषित किया।*

2. *स्वाति पैकेजिंग प्रा. लि.: निर्धारिती की आय ₹ एक लाख से कम थी, एसीआईटी सी 12(3) ने छह माह के पश्चात् अगस्त 2012 मे सही एओ (आईटीओ डब्ल्यू 12(2)) को शिकायत याचिका अग्रेषित की।*

3. *शेष तीन मामलों में गलत एओ द्वारा सही एओ को शिकायत याचिका भेजने में लिए गए समय के लिए पैन के 5वें पत्र अथवा अन्यथा द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को कारण बताया गया।*

लेखापरीक्षा का मत है कि सीबीडीटी द्वारा परिगणित ऐसे विलम्ब के लिए कारण प्रशासनिक प्रकार का है तथा इन्हें उचित तंत्र के साथ कम किया जा सकता था।

5.6.2.3 शिकायतों के निपटान में लिए गए समय का समय-वार विश्लेशण

हम 37 सीसीआईटी/सीआईटी में दो माह की निर्धारित अवधि से अधिक में निपटाई गई केवल 3,941 शिकायतों का विश्लेषण कर सके जैसाकि *परिशिष्ट 14* में दर्शाया गया। 3,941 शिकायतों में से 376 शिकायतें ऐसी थी जहां आईटीडी ने निर्धारित अवधि से एक वर्ष अधिक में मामलें का निपटान किया जबकि 92 शिकायतों में यह अवधि दो वर्ष से अधिक थी।

सीबीडीटी ने कहा (फरवरी 2014) कि विलम्ब का कारण यह था कि अपेक्षित जानकारी को निर्धारिती द्वारा या किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया जिसके अभाव में शिकायत याचिका का निवारण संभव नहीं हो सकता।

लेखापरीक्षा का मत है कि शिकायतों के निवारण के लिए आईटीडी द्वारा स्वयं निर्धारित 60 दिनों की समय-सीमा का इसके प्रशासनिक तंत्र को व्यवस्थित करके कठारेता से पालन किया जाना चाहिए।

5.6.2.4 31 मार्च 2012 तक शिकायतों का लंबन

31 मार्च 2012 तक शिकायतों के लंबन को 52 सीसीआईटी/सीआईटीज में लंबित 11,305 शिकायतों के प्रति 43 सीसीआईटी/सीआईटीज (परिशिष्ट 15) में 10,816 शिकायतों के लिए विश्लेषित किया गया जैसाकि परिशिष्ट 12 में दर्शाया गया। इसके अलावा, परिशिष्ट 13 में दर्शाए अनुसार 7,167 लंबित शिकायतों के समय-वार विश्लेषण से पता चला कि 26 सीसीआईटी/सीआईटी

में, शिकायतें 31 मार्च 2012 तक 60 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक 2 दिनों से लेकर 10 दिनों से अधिक तक निपटान के लिए लंबित थी। तालिका 5.2 वि.व. 2011-12 के दौरान निर्धारित अवधि से अधिक तक लंबित शिकायतों का वर्णन दर्शाती है।

तालिका 5.2: निर्धारित अवधि से अधिक लंबित शिकायतों का वर्णन

सीसीआईटी	संबंधित एओज द्वारा दो माह से अधिक के लिए निपटान हेतु लंबित शिकायतों के मामलें				
	याचिकाकर्ता, नि.व.	शिकायत का प्रकार	सेल में शिकायत प्राप्ति तिथि	संबंधित एओज द्वारा शिकायत की प्राप्ति की तिथि	31 मार्च 2012 तक दो माह की निर्धारित अवधि से अधिक विलम्ब माह में
सीसीआईटी, ओड़िसा	गौरंग बैनर्जी, नि.व. 1999-2000 तथा नि.व. 2002-03	प्रतिदाय की प्राप्ति न होना	06 मई 2009	12 मई 2009	33
सीसीआईटी-I, कोलकाता	श्रुति खैतान, नि.व. 2005-06	प्रतिदाय	31 जनवरी 2007	07 फरवरी 2007	60
सीसीआईटी-I, पटना	ब्रहमानंद पांडे	प्रतिदाय	01 अप्रैल 2011	उ.न.	10
सीसीआईटी, इलाहाबाद	बीशप जार्ज स्कूल	उ.न.	उ.न.	20 अप्रैल 2007	57
सीआईटी-I चैन्नई	प्रदीप दद्या एंजेसी, नि.व. 1997-98	उ.न.	06 जनवरी 2005	दिसम्बर 2011	84
सीसीआईटी, हिमाचल प्रदेश	रोशन लाल शर्मा, नि.व. 2006-07	प्रतिदाय	01 अप्रैल 2011	27 अप्रैल 2011	10

एक वर्ष से अधिक तथा दो वर्षों तक के लिए 1,948 शिकायतें लंबित थी जबकि दो वर्षों से अधिक समय के लिए 1,784 शिकायतें लंबित थी। इसलिए मामलें जो एक वर्ष से अधिक के लिए लंबित थे, की संख्या कुल लंबित मामलों के आधे से अधिक थी। आईटीडी को पुराने लंबित मामलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

सीबीडीटी ने कहा (फरवरी 2014) कि सीसीआईटी जयपुर में दर्शाया गया लंबन सही है। सीसीआईटी पंचकुला में, निर्धारित अवधि से अधिक शिकायत याचिका के लंबन के कारण का केवल क्षेत्रीय अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात् ही पता लगाया जा सकता है।

सीबीडीटी सुनिश्चित कर सकता है कि शिकायतों का प्रभावी प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा समय पर निपटान किया जाता है।

5.6.3 जनता से प्राप्त प्रतिक्रिया की उपयोगिता

एमओपी के अध्याय 14 के पैरा 2.1 के अनुसार, शिकायत निवारण तंत्र के उद्देश्यों में से एक प्रणाली में उपयुक्त परिवर्तनों को प्रभावित करने के विचार से जनता से प्राप्त प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रणाली की कार्यपद्धति की जानकारी प्राप्त करना है।

लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में, सीबीडीटी ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि जनता से प्राप्त प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रणाली की कार्यपद्धति की जानकारी प्राप्त करने के लिए शिकायत सेल द्वारा कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा का मत है कि इसके उद्देश्यों के अनुसार सीबीडीटी को निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए जनता से प्राप्त प्रतिक्रिया के उपयोग के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

5.6.4 सतर्कता कार्रवाई के लिए शिकायतों का उपयोग

एमओपी के अध्याय 14 के पैरा 2.1 के अनुसार, शिकायत निवारण के उद्देश्यों में से एक विभाग के सर्तकता तंत्र की कार्यप्रणाली के लिए एक इनपुट के रूप में जन शिकायत का उपयोग करना है।

लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में, सीबीडटी ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि सतर्कता दृष्टिकोण सहित शिकायत सेल में प्राप्त शिकायतों को विचार/उचितआवश्यक कार्रवाई के लिए सतर्कता डिविजन को अग्रेषित किया जाता है। ऐसी शिकायतों पर शिकायत सेल द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जाती। शिकायत सेल को सतर्कता कार्रवाई के उद्देश्य तथा ऐसी कार्रवाई के

परिणाम के लिए सतर्कता डिविजन को अग्रेषित जन शिकायतों से प्राप्त सूचना के उपयोग की जानकारी नहीं है।

लेखापरीक्षा का मत है कि सतर्कता के साथ सूचना के अनुसरण के बिना, सतर्कता को ऐसी सूचना के अग्रेषण का कोई उपयोग नहीं है। सीबीडीटी इस संदर्भ में उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

5.7 निष्कर्ष

हमने देखा कि आईटीडी ने वि.व. 2011-12 के दौरान निर्धारित अवधि के अन्दर 59 *प्रतिशत* औसत शिकायतों का निपटान किया। केवल 18 शिकायत सेलों में, निर्धारित अवधि के अन्दर शिकायतों का निपटान 60 *प्रतिशत* से अधिक था। आठ शिकायत सेलो में, निपटान की प्रतिशतता केवल 3.8 से 22.5 के बीच थी। वि.व. 2010-11 तथा वि.व. 2011-12 के दौरान निर्धारित अवधि के अन्दर शिकायतों के निपटान की औसत दर क्रमश: 55 तथा 59 *प्रतिशत* थी। हमने शिकायत के 7,167 मामलें देखे जो 31 मार्च 2012 तक संबंधित एओज द्वारा निपटान हेतु लंबित थे। इन शिकायतों का लंबन 31 मार्च 2012 तक 60 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक दो दिनों से लेकर 10 वर्षों से अधिक के बीच था।

आईटीडी में शिकायतों के निवारण की मॉनीटरिंग के लिए आन्तरिक नियंत्रण उचित नहीं था क्योंकि निर्धारित रजिस्टर/मासिक रिपोर्टिंग प्रणाली में कमी थी। शिकायत रजिस्टर के अनुपयुक्त रख-रखाव के कारण, शिकायत के प्रकार, शिकायत कोड आदि जैसी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त नहीं की जाती है जिसके परिणामस्वरूप निवारण में विलम्ब हुआ।

सीबीडीटी ने कहा (फरवरी 2014) कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में निपटान की प्रतिशतता में वृद्धि होगी।

शिकायत निवारण आईटीडी कार्यप्रणाली के अति महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। इस संदर्भ में शीघ्रता तथा सवेंदनशीलता जनता में विभाग के समग्र प्रभाव को व्यक्त करती है। इसलिए, शिकायतों के निपटान को केवल संख्यात्मक तरीके से ही वृद्धि नहीं करनी चाहिए, अपितु इसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि याचिकाकर्ता की संतुष्टि, गरिमा तथा अधिकार को उचित महत्व तथा प्राथमिकता दी जाए। कुछ दिनों से 11 वर्षों तक के बीच शिकायतों का लंबन दर्शाता है कि प्रणाली में तथा प्रशासनिक तंत्र में विभिन्न कमियाँ हैं, जिन पर तुरन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(स्वरूप नन्दक्योल्यार)
महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर)

नई दिल्ली
दिनांक: 30 मई 2014

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 30 मई 2014

परिशिष्ट 1 (संदर्भ: पैराग्राफ 1.2.3)

कर प्रशासन का विवरण

					(₹ करोड़ में)
1. संग्रहण[44]	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
i) निगम कर	2,13,395	2,44,725	2,98,688	3,22,816	3,56,326
ii) आयकर	1,06,075	1,22,417	1,39,102	1,64,525	1,96,843
iii) अन्य प्रत्यक्ष कर	14,387	10,452	8,205	6,646	5,820
iv) कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण	3,33,857	3,77,594	4,45,995	4,93,987	5,58,989
2. निर्धारिती प्रोफाईल[45]					**(सं. लाख में)**
i) गैर-निगम निर्धारिती	323.2	337.2	332.0	357.61	367.87
ii) निगम निर्धारिती	3.3	3.7	3.8	5.85	5.90
कुल निर्धारिती	**326.5**	**340.9**	**335.8**	**363.46**	**373.77**
3. संग्रहण के स्तर[46]					
a. पूर्व निर्धारण संग्रहण					**(₹ करोड़ में)**
i) स्रोत पर कर कटौती	1,28,230	1,45,736	1,68,669	1,98,680	2,10,654
ii) अग्रिम कर	1,43,332	1,73,417	2,12,538	2,51,526	2,75,794
iii) स्व-निर्धारण कर	30,779	32,507	36,887	27,648	39,470
कुल पूर्व निर्धारण संग्रहण	**3,02,341**	**3,51,660**	**4,18,094**	**4,77,853**	**5,25,918**
b. पश्च-निर्धारण संग्रहण					
i) नियमित निर्धारण	21,337	33,274	51,838	51,512	62,418
ii) अन्य प्राप्तियाँ[47]	34,851	39,779	43,966	50,134	48,596
कुल पश्च- निर्धारण संग्रहण	**56,188**	**73,053**	**95,804**	**1,01,646**	**1,11,014**
निवल संग्रहण (घटाव-अन्य कर) की प्रतिशतता के अनुसार पूर्व निर्धारण संग्रहण	84.3	82.8	81.4	82.5	82.6
4. निर्धारणों की स्थिति [45]					**(संख्या)**
i) निपटान हेतु बकाया संवीक्षा निर्धारण	9,53,767	8,70,620	8,47,196	7,74,807	5,93,761
ii) निपटाये गये संवीक्षा निर्धारण (*प्रतिशत*)	5,38,505 (56.5)	4,29,585 (49.3)	4,55,213 (53.7)	3,69,320 (47.67)	3,08,398 (51.94)
iii) प्रक्रिया के लिए बकाया गैर-संवीक्षा निर्धारण	4,74,18,334	5,12,97,750	5,22,76,829	3,92,32,628	2,90,37,299
iv) संसाधित गैर-संवीक्षा निर्धारण (*प्रतिशत*)	2,30,18,693 (48.5)	2,78,16,036 (54.2)	3,06,36,718 (58.6)	2,77,21,088 (70.66)	1,70,47,634 (58.71)
v) निर्धारण कार्य[45] हेतु तैनात अधिकारियों की संख्या	3,106	3,605	3,687	3,737	3,657

44 स्रोत:संबंधित वर्ष के केन्द्रीय वित्तीय लेखे।

45 स्रोत: महानिदेशक, आयकर (लॉजिसिटिक्स), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

46 स्रोत: कर संग्रहण आँकडे -प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी, नई दिल्ली

47 अन्य प्राप्तियों के आँकड़ों में अधिभार और उपकर शामिल हैं।

5. प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले[45]					(संख्या लाखों में)
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
i) निपटान हेतु बकाया दावे	42.2	48.0	59.9	52.83	38.84
ii) निपटाए गए दावे (*प्रतिशत*)	26.7 (63.3)	28.6 (59.6)	40.4 (67.4)	40.33 (76.33)	27.65 (71.2)
iii) लंबित दावों की संख्या	15.5	19.4	19.5	12.50	11.2
6. प्रतिदाय और प्रतिदायों पर ब्याज					**(₹ करोड़ में)**
i) प्रतिदाय[48]	**39,097**	**57,101**	**75,169**	**93,814**	**83,766**
ii) प्रतिदायों पर ब्याज[45]	5,778	6,876	10,499	6,486	6,666
iii) प्रतिदायों की *प्रतिशत* के रूप में ब्याज	14.8	12.0	13.9	6.9	8.0
7. संग्रहण की दक्षता[49]					**(₹ करोड़ में)**
i) पूर्व वर्ष के लंबित संग्रहण की माँग	93,344	1,81,612	2,02,859	2,65,040	4,09,456
ii)चालू वर्ष के लंबित संग्रहण की माँग	1,07,932	47,420	88,770	1,43,378	76,724
कुल लंबित मांग	**2,01,276**	**2,29,032**	**2,91,629**	**4,08,418**	**4,86,180**
8. सीआईटी (ए) स्तरों[45] पर अपीलों की स्थिति					**(संख्या)**
i) निपटान हेतु लंबित अपीलें	2,24,382	2,60,700	2,57,656	3,06,134	2,84,439
ii) निपटायी गई अपीलें (*प्रतिशत*)	66,351 (29.6)	79,709 (30.6)	70,474 (27.4)	75,518 (24.67)	85,049 (29.90)
iii) लंबित अपीलें	1,58,031	1,80,991	1,87,182	2,30,616	1,99,390
iv) अपीलों में अवरूद्ध राशि	1,99,101	2,20,148	1,98,088[50]	2,42,182	2,59,556
9. कर वसूली अधिकारी[45]					**(₹ करोड़ में)**
i) कुल प्रमाणित मांग	31,496.8	98,444.6	1,11,065.4	1,23,288.08	1,60,582.32
ii) वसूली गई प्रमाणित माँग (*प्रतिशत*)	4,035.8 (12.8)	3,322.3 (3.4)	4,074.6 (3.7)	9,756.39 (7.91)	6,764.65 (4.21)
iii) लंबित प्रमाणित माँग (*प्रतिशत*)	27,461.0 (87.2)	95,122.4 (96.6)	1,06,990.8 (96.3)	1,13,531.7 (92.09)	1,53,817.7 (95.79)
10. संग्रहण की कुल लागत[48]					**(₹ करोड़ में)**
संग्रहण की कुल लागत	2,286	2,774	2,698	2,976	3,283

48 स्रोत: कर संग्रहण आँकडे -प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी, नई दिल्ली

49 स्रोत: मार्च 2013 के विश्लेषण सहित सीएपी-I माँग एवं संग्रहण विवरण

50 विभाग ने शुरू में ₹ 2,93,548 करोड़ का आँकड़ा सूचित किया था। संसद में प्रस्तुत 2011-12 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 27 के उपरान्त सीबीडीटी ने यह आँकडा ₹ 198,088 करोड़ बताया (मार्च 2014)।

परिशिष्ट 2 (संदर्भ: पैराग्राफ 1.3)

कराधान में महत्वपूर्ण प्रक्रियायें	
रिटर्न्स की प्राप्ति	सभी निर्धारिती, जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक हो, को प्रतिवर्ष आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरना होता है। निर्धारिती (व्यक्तिगत, एचयूएफ, फर्म, निगमित निकाय आदि) आयकर का भुगतान करने और आयकर रिटर्न भरने का उत्तरदायी है। सीबीडीटी ने निर्धारितियों की विभिन्न श्रेणी के लिए आयकर रिटर्न के विभिन्न प्रपत्र निर्धारित किये हैं और बिना अनुलग्नक रिटर्नों और आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरने को सक्षम करने के लिए पुर्नरचना की है। टीडीएस रिटर्नों का इलैक्ट्रॉनिक फार्मेट में भरना अनिवार्य कर दिया गया है।
संक्षिप्त कर निर्धारण	पदनामित एओ अंकगणितीय सटीकता, आंतरिक स्थिरता आदि के लिए आईटीआर की जाँच करते हैं। संक्षिप्त कर निर्धारण, आईटीआर में उपलब्ध आँकड़ों और निर्धारिती से किसी अभिलेख और सूचना मंगाये बिना, किया जाता है। इस प्रकार संक्षिप्त कर निर्धारण की प्रकृति हस्तक्षेप नहीं करने वाली है। संसाधन के पश्चात, यदि निर्धारिती से कोई मांग देय है, वह मांग नोटिस के माध्यम से सूचित की जाती है। कर के अधिक भुगतान के मामले में, धन वापसी मैन्युअल रूप से या रिफंड बैंकर स्कीम के माध्यम से की जाती है।
संवीक्षा कर निर्धारण	एओ, आईटीडी के पास उपलब्ध निर्धारिती से संबंधित सभी रिकार्ड और जानकारी प्राप्त करते हैं और स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि कोई भी आय बिना हिसाब के न हो और कर सही तरह से अभिकलित हुआ हो, निर्धारिती से अतिरिक्त रिकॉर्ड और जानकारी की मांग करते हैं। अधिनियम सूचनाओं को जारी करने एवं मूल्याकन कार्यवाही पूरी करने के लिए समय सीमा निर्धारित करता है। एओ निर्धारण कार्यवाही को अंतिम रूप देते हैं। अधिनियम पुर्ननिर्धारण, विवेकानुसार निर्धारण एवं पूर्व निर्धारण के अवतरण के माध्यम से स्वत: या निर्धारिती के अनुरोध पर निर्धारण आदेशों के परवर्ती सुधार की भी व्यवस्था करता है।
पूर्वनिर्धारण संग्रहण	प्रत्येक निर्धारिती से उसकी आयकर देयता के आँकलन करने की और अग्रिम कर एवं स्व-निर्धारण कर के माध्यम से भुगतान की कानूनी तौर पर अपेक्षा की जाती है। कानून सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र (टीडीएस कटौती) में कुछ भुगतान करने वाले प्राधिकारियों से व्यक्तियों और निगमित इत्यादि को किये गये भुगतान का कुछ *प्रतिशत* काटने और उसे सरकारी खाते में डालने की भी अपेक्षा करता है। कर एकत्रित करने का एक दूसरा तरीका नामित टीसीएस प्राधिकारियों के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से जो सार्वजनिक प्राधिकारियों से कतिपय अनुबंध या पट्टे अधिकार को प्राप्त करते हुए कतिपय व्यक्तिगत/निगमित से संग्रहित करते है। इन चार प्रक्रिया से अग्रिम आयकर, स्व निर्धारण कर, टीडीएस और टीसीएस एकत्रित करना, कर एकत्रित करने का पूर्व निर्धारण विधि कहलाता है।

निर्धारण पश्चात संग्रहण	कर रिटर्नों के प्रक्रमण और निर्धारण के आधार पर विभाग द्वारा उठाई गई मांग पर एकत्रित किया जाता है। यदि कर की मांग का नोटिस जारी होने की निर्धारित तिथि के अंदर भुगतान नहीं किया जाता, निर्धारिती को दोषी माना जाता है और मांग का संग्रहण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत् कर वसूली प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।
अपील प्रक्रिया	एक असंतुष्ट निर्धारिती एओ के आदेश के विरूद्ध आयकर आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। एओ अपीलीय आदेश में दिये गये निदेर्शों का पालन करेगा। इसके अतिरिक्त, अपील में अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के प्रति आयकर अपीलीय प्राधिकरण को किए जाने वाले तथ्य और विधि के प्रश्नों के लिए भी अनुमति दी जाती है। यदि किसी मामले पर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाता अथवा गलती से विचार कर लिया जाता है तो धारा 260ए के अन्तर्गत अपील उच्च न्यायालय को तथा यदि उच्च न्यायालय किसी मामले को अपील के लिए उपयुक्त नहीं समझता तो धारा 261 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुति की जा सकती है।
प्रतिदाय	जहॉ भुगतान किये गये कर की राशि देय कर की राशि से अधिक हो जाती है, वहां निर्धारिती अतिरिक्त राशि की प्रतिदाय का हकदार है, ऐसे प्रतिदाय की राशि पर निर्धारित दर से साधारण ब्याज देय है। किसी भी अपील में पारित आदेश या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप भी प्रतिदाय (ब्याज सहित) देय है।
समझौता आयोग	समझौता आयोग अधिनियम के अध्याय XIXए से प्राप्त अधिदेश आईटीडी और मुकदमा चलाने वाले कर दाता के बीच भारतीय आयकर और धनकर कानून के संबंध में कर संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान संस्था (एडीआर) है। समझौता आयोग करदाताओं को आईटीडी के समक्ष पहले ही बताई जा चुकी आय के अतिरिक्त आय बताने की अनुमति देता है। आवेदक को आवेदन करने से पूर्व,आयोग के समक्ष बताई गई अतिरिक्त आय पर कर की पूर्ण राशि और ब्याज का भुगतान करना होता है। आयोग स्वीकार्यता पर निर्णय लेते हुए, दोनों पक्षकारों को अवसर देने के पश्चात प्रवर्तन प्रक्रिया की तिथि से 18 महीनों के अंदर निपटान के आदेश प्राप्त करता है। 01 जून 2007 को या इसके बाद, निपटान प्रक्रिया का लाभ करदाता द्वारा जीवन काल में केवल एक बार उठाया जा सकता है।
बकाया कर की वसूली	एओ से मांग प्राप्त करने पर, निर्धारिती को 30 दिनों या एओ द्वारा निर्धारित कोई अन्य समय सीमा के अंदर भुगतान करना अनिवार्य है, यदि वसूली मांग उठाने के एक वर्ष के अन्दर प्रभावित नहीं होती, एओ द्वारा मांग की वसूली के लिए सभी संभावित उपाय कर लिए गये है को सुनिश्चित करने के बाद कर वसूली प्रमाणपत्र (टीआरसी) तैयार करने के लिए कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) को बकाया कर के मामलों के ब्यौरे भेजने अपेछित हैं।

जुर्माना एवं अभियोजन पक्ष	अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए और उल्लंघन के लिए निवारक प्रभावों के लिए अधिनियम अभियोजन पक्ष के प्रवर्तन और जुर्माना लगाने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया प्रदान करता है। कई जुर्मानों के प्रावधानों की उगाही की प्रकृति विवेकाधीन है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ की जा सकती हैं।
लेखापरीक्षा	आईटीडी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र है जो एओ द्वारा किये गये निर्धारण की जाँच के लिए उत्तरदायी है।
डीओआर की भूमिका और जिम्मेदारियाँ	डीओआर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत पांच विभागों में से एक है। डीओआर, सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशों एवं नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। डीओआर दो सांविधिक बोर्ड अर्थात केन्द्रीय बोर्ड प्रत्यक्षकर (सीबीडीटी) और केन्द्रीय बोर्ड उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क (सीबीईसी) के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित कराधान मामलों में नियंत्रण रखता है।
	दोनों बोर्डों के अतिरिक्त, डीओआर के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 18 संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय हैं। प्रत्यक्ष करों के प्रशासन के सुसंगत कुछ संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय प्रवर्तन निदेशालय, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी), वित्तीय आसूचना यूनिट, भारत (एफआईयू-आईएनडी), आयकर समझौता आयोग (आईटीएससी), आयकर के लिए एडवांन्स रूलिंस प्राधिकरण (एएआर), आयकर ओम्बडसमैन आदि हैं।
	डीओआर प्रत्यक्ष कर से संबंधित अधिनियमों सहित करीब 20 अधिनियमों का संचालन करता है, जिसमें प्रत्यक्ष कर नामत: आयकर अधिनियम 1961, धनकर अधिनियम 1957, वित्त संख्या - 2 अधिनियम का अध्याय VII, 2004 (प्रतिभूति लेनदेन के संबंधित) आदि को प्रशासित करता है। प्रत्यक्ष करों के प्रभावी प्रशासन के लिए अन्य अधिनियम जैसे तस्कर एवं विदेशी मुद्रा मैनिप्युलेटर (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम 1976 {एसएएफईएम (एफओपी) ए}, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन अधिनियम 1999 (एफईएमए) धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए), विदेशीमुद्रा का संरक्षण एवं तस्करी की गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 (सीओएफईपीओएसए) आदि भी डीओआर द्वारा प्रशासित किये जाते हैं।
	प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दो अधिनियमों एफईएमए और पीएमएलए को लागू करता है। डीओआर के अधीन केन्द्रीय राष्ट्रीय एजेंसी वित्तीय आसूचना यूनिट इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) संदिग्ध वित्तीय लेनदेनों से संबंधित सूवना को प्राप्त करने, प्रक्रमण करने विश्लेषण कार्य और प्रसार करने के लिए जिम्मेदार है। यह उचित मामलों में और वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं से निर्धारित सूचना प्राप्त करता है। संबद्ध आसूचना/कानून प्रवर्तन एजेंसियों जिसमें सीबीडीटी, सीबीईसी और प्रवर्तन निदेशालय आदि शामिल हैं को सूचना का प्रचार करता है।
	केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) को आर्थिक आसूचना एवं प्रवर्तन गतिविधियों को सशक्त करने और समन्वय करने के लिए आर्थिक आसूचना परिषद (ईआईसी) और आर्थिक आसूचना के कोष

	(ईसीओआईएनटी) के लिए सचिवालय के रखरखाव का कार्य सौंपा गया है।
	वित्तीय कार्यवाही कार्यदल (एफएटीएफ) धनशोधन विरोध और आंतकवादी वित्तीयन के लिए मानकों के विकास हेतु समर्पित अंतर सरकारी निकाय है।
सीबीडीटी और उसका क्षेत्रीय गठन	राजस्व अधिनियम, 1963 के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा बना सीबीडीटी, एपेक्स निकाय है जिसे भारत में प्रत्यक्षकर पर नीति और योजना के लिए आवश्यक इनपुटों को उपलब्ध करने के साथ-साथ प्रत्यक्ष कर कानूनों को प्रशासित करने के जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह आईटीडी के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है।
	सीबीडीटी के सदस्य उनको नियत जिम्मेदारियों के अतिरिक्त नीतिगत मुद्दों, आईटीडी की स्थापना और संरचना, कार्य की विधि और प्रक्रिया, निर्धारण के निपटान हेतु उपाय, कर संग्रहण, कर अपवंचन का पता लगाने, भर्ती, प्रशिक्षण और अन्य सेवा संबंधी मामलों पर सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं।
	सीबीडीटी, अध्यक्ष एवं छह सदस्यों से मिलकर बना होता है जो निर्दिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों (विधान, कंप्यूटरीकरण, राजस्व, कार्मिक और सतर्कता, लेखापरीक्षा, न्यायिक) और आंचलिक क्षेत्रगठन का पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।
	सीबीडीटी के सात संबद्ध कार्यालय (डीजीजआईटी-प्रशासन, प्रणाली, सतर्कता, प्रशिक्षण , विधि एवं अनुसंधान, संचालन एवं एचआरडी) है। सीबीडीटी का क्षेत्रीय गठन चार निदेशालयों (डीजीजआईटी-अन्वेषण, छूट, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) और मुख्य आयकर आयुक्त (सीजीआईटी) के स्तर पर अधिकारी की अध्यक्षता वाले क्षेत्रों को मिला कर होता है। आंचलिक सीसीआईटी की विशिष्ट संगठनात्मक संरचना परिशिष्ट 3 में है।
आईटीआर भरना	सीबीडीटी ने निर्धारितियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) अधिसूचित किये हैं और संलग्नक रहित रिटर्नों और आईटीआर को ऑन लाइन भरना सुनिश्चित करने के लिए पुनर्रचना की है। निर्धारितियों की सभी श्रेणियों के लिए आईटीआर भरने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है। मैनुअल आईटीआर का प्रक्रिया से पूर्व अंकीकरण किया जाता है। टीडीएस रिटर्नों को इलैक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भरना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार, कम्पनियों के लिए ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई है और इसे अन्य निर्धारितियों जिनकी आय ₹ पाँच लाख से अधिक हो गई है, के लिए भी लागू कर दी गयी है।

परिशिष्ट 3 (संदर्भ: पैराग्राफ 1.3)

सीबीडीटी, इसके संबद्ध कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालय का संगठनात्मक ढाँचा

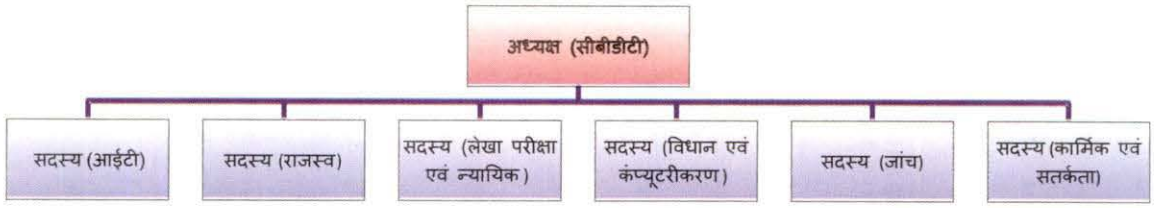

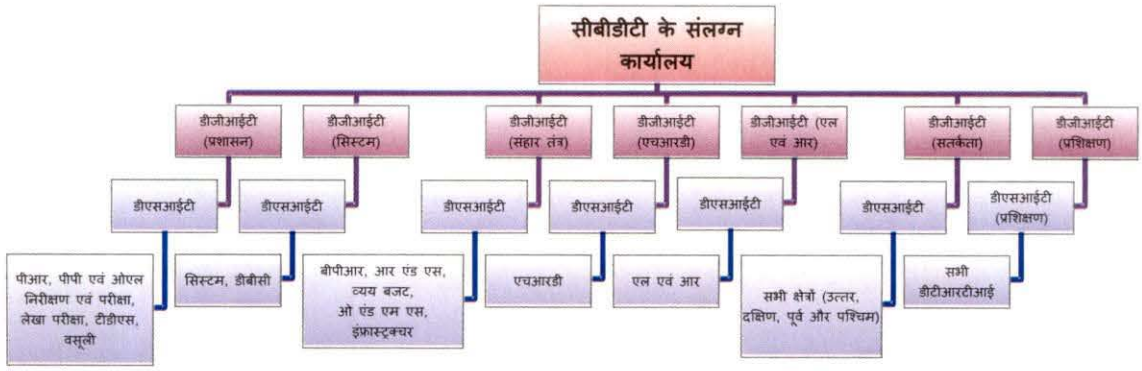

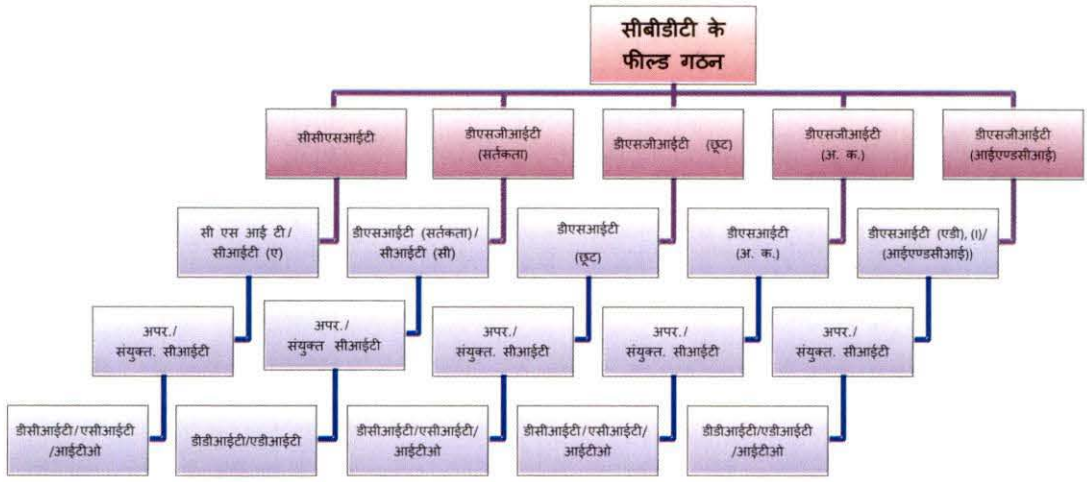

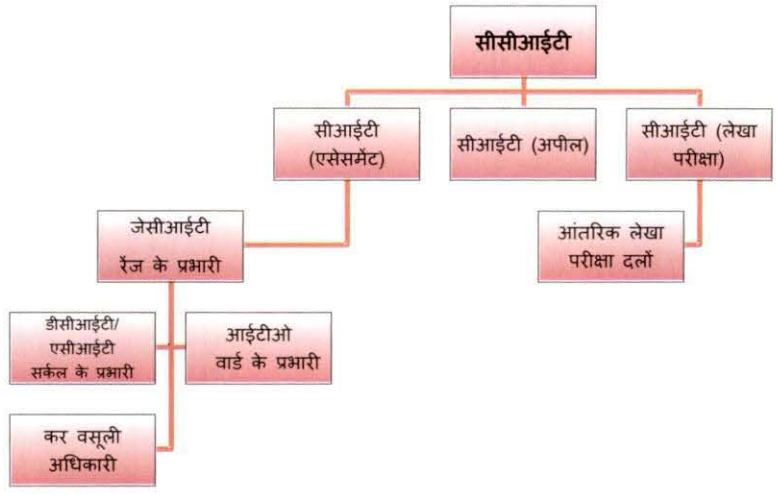

परिशिष्ट 4 (संदर्भ: पैराग्राफ 1.4.2)

निगम और गैर निगम निर्धारितियों के लिए कर की दरें

A. व्यक्ति, एचयूएफज, एओपीज़ एवं बीओआईज़ के लिए आयकर दरें[51]

करयोग्य आय	निर्धारण वर्ष 2008-09 (*प्रतिशत* में दरें)		
	निवासी महिला	निवासी वरिष्ठ नागरिक[52]	कोई अन्य
पहला ₹ 1,10,000	शून्य	शून्य	शून्य
अगला ₹ 35000	शून्य	शून्य	10
अगला ₹ 5,000	10	शून्य	10
अगला ₹ 45,000	20	शून्य	20
अगला ₹ 55,000	20	20	20
₹ 2,50,000 से अधिक	30	30	30

करयोग्य आय	निर्धारण वर्ष 2009-10 (*प्रतिशत* में दरें)		
	निवासी महिला	निवासी वरिष्ठ नागरिक[52]	कोई अन्य
पहला ₹ 1,50,000	शून्य	शून्य	शून्य
अगला ₹ 30000	शून्य	शून्य	10
अगला ₹ 45,000	10	शून्य	10
अगला ₹ 75,000	10	10	10
अगला ₹ 2,00,000	20	20	20
₹ 5,00,000 से अधिक	30	30	30

करयोग्य आय	निर्धारण वर्ष 2010-11 (*प्रतिशत* में दरें)		
	निवासी महिला	निवासी वरिष्ठ नागरिक[52]	कोई अन्य
पहला ₹ 1,60,000	शून्य	शून्य	शून्य
अगला ₹ 30000	शून्य	शून्य	10
अगला ₹ 50,000	10	शून्य	10
अगला ₹ 60,000	10	10	10
अगला ₹ 2,00,000	20	20	20
₹ 5,00,000 से अधिक	30	30	30

51 अनिवासी भारतीयों की कतिपय आय 20 प्रतिशत की फ्लैट दर से करयोग्य है (विवरण हेतु आयकर अधिनियम,1961 देखें)

52 पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 65 वर्ष या अधिक

करयोग्य आय	निर्धारण वर्ष 2011-12 (*प्रतिशत* में दरें)		
	निवासी महिला	निवासी वरिष्ठ नागरिक[52]	कोई अन्य
पहला ₹ 1,60,000	शून्य	शून्य	शून्य
अगला ₹ 30,000	शून्य	शून्य	10
अगला ₹ 50,000	10	शून्य	10
अगला ₹ 2,60,000	10	10	10
अगला ₹ 3,00,000	20	20	20
₹ 8,00,000 से अधिक	30	30	30

कर योग्य आय	निर्धारण वर्ष 2012-13 (*प्रतिशत* में दरें)			
	निवासी महिला	निवासी वरिष्ठ नागरिक[53]	निवासी वरिष्ठतम नागरिक[54]	अन्य
प्रथम ₹ 1,80,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आगे ₹ 10,000	शून्य	शून्य	शून्य	10
आगे ₹ 60,000	10	शून्य	शून्य	10
आगे ₹ 2,50,000	10	10	शून्य	10
आगे ₹ 3,00,000	20	20	20	20
अधिक ₹ 8,00,000	30	30	30	30

ख. आयकर पर संघ अधिप्रभार

क) निर्धारण वर्ष 2008-09 और 2009-10 हेतु: आयकर का 10 *प्रतिशत* यदि कर योग्य आय ₹ 10 लाख से अधिक होती है (अधिप्रभार देय है चाहे करदाता निवासी या अनिवासी है).

ख) निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2012-13 हेतु: शून्य

ग. शिक्षा उपकर

निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लिए आय-कर और अधिप्रभार का दो *प्रतिशत* ।.

घ. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर

निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2012-13 हेतु आयकर और अधिप्रभार का एक *प्रतिशत* ।

53 विगत वर्ष के दौरान किसी समय पर 60 वर्ष या अधिक परंतु विगत वर्ष अंतिम दिन पर 80 वर्ष से कम।

54 विगत वर्षों के दौरान 80 वर्ष या अधिक।

ङ. फर्मों के लिए आय-कर दरें (पीएफएएस)

	निर्धारण वर्ष (दर *प्रतिशत* में)	
	2008-09 और 2009-10	2010-11 से 2012-13
आयकर	30	30
अधिप्रभार (आयकर की प्रतिशतता के रूप में)	10[55]	शून्य
कुल	33	30
शिक्षा उपकर (आयकर और अधिप्रभार की प्रतिशतता के रूप में)	3	0.9
कुल कर	**33.99**	**30.9**

- **सीमित देयता साझेदारी मामले में वैकल्पिक न्यूनतम कर:** निर्धारण वर्ष 2012-13 हेतु, किसी सीमित देयता साझेदारी द्वारा देय कर धारा 115जेसी के अनुसार 'समायोजित कुल आय' के (शिक्षा उपकर सहित माध्यमिक उच्चतर शिक्षा उपकर, प्रभावी दर 19.055 *प्रतिशत*) 18.5 *प्रतिशत* से कम नहीं हो सकता।

च. कंपनियों हेतु आयकर दरें

	निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2012-13
क. किसी घरेलू कंपनी के मामले में	30
ख. किसी विदेशी कंपनी के मामले में	
i. 31 मार्च, 1961 के बाद भारतीय कंसर्न के साथ किये गये करार के अनुसरण में किसी भारतीय कंसर्न से प्राप्त रायल्टीज़; या 29 फरवरी 1964 के बाद परंतु 1 अप्रैल 1976 से पहले और जहां करार है भारतीय कंसर्न के साथ किये गये करार के अनुसरण में किसी भारतीय कंसर्न से प्राप्त तकनीकी सेवाओं को पाने हेतु फीस, किसी भी मामले में केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन लिया गया है।	50
ii. अन्य आय	40

आयकर पर संघ अधिप्रभार

नि.व. 2008-09 से 2010-11 (यदि निवल आय ₹ एक करोड़ से अधिक है) के लिए: घरेलू कंपनी के मामले में आयकर का 10 *प्रतिशत* और विदेशी कंपनी के मामले में आयकर का ढाई *प्रतिशत*;

55 निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए और 2009-10 के लिए, यदि निवल आय ₹ एक करोड़ से अधिक होती है तो ही अधिप्रभार लागू होगा।

नि.व. 2011-12 (यदि निवल आय ₹ एक करोड़ के अधिक है) के लिए: घरेलू कंपनी के मामले में आयकर का साढ़े सात *प्रतिशत* और विदेशी कंपनी के मामले में आयकर का ढाई *प्रतिशत* ।

नि.व. 2012-13 (यदि निवल आय ₹ एक करोड़ के अधिक है) घरेलू कंपनी के मामले में आयकर का पांच *प्रतिशत* और विदेशी कंपनी के मामले में आयकर का ढाई *प्रतिशत* ।

शिक्षा उपकर: नि.व. 2008-09 से 2012-13 हेतु आयकर और अधिप्रभार का दो *प्रतिशत*।

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर: निर्धारण वर्षों 2008 09 से 2012-13 के लिए आयकर और अधिप्रभार का एक *प्रतिशत*।

छ. को-ऑपरेटिव सोसाईटीज़ हेतु आयकर दरें

निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लिए- प्रथम ₹ 10,000: 10 *प्रतिशत* अगले ₹ 10,000: 20 *प्रतिशत* और शेष: 35 *प्रतिशत* ।

आयकर पर संघ अधिप्रभार

निर्धारण वर्ष	अधिप्रभार (आयकर के *प्रतिशत* के रूप में)
2008-09 से 2012-13	शून्य

शिक्षा उपकर: निर्धारण वर्षों 2008-09 से 2011-12 हेतु आयकर और अधिप्रभार का दो *प्रतिशत*; निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए 'शून्य'।

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर: निर्धारण वर्षों 2008-09 से 2011-12 हेतु आयकर और अधिप्रभार का एक *प्रतिशत*; निर्धारण वर्ष 2012-13 हेतु 'शून्य'।

परिशिष्ट 5 (संदर्भ पैराग्राफ: 2.3.2)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि. व.	मुख्य श्रेणी	उप-श्रेणियाँ	कुल कर प्रभाव	मंत्रालय/आईटीडी के उत्तर की स्थिति
1.	02-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-I, बैंगलोर	मै. केयर इंवेस्टमैंट (प्रा.) लिमिटेड	2009-10	निर्धारणों की गुणवत्ता	आय एवं कर के गणना में अंक गणित त्रुटि	157.51	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
2.	20-सीटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-II, आगरा	मै. चित्त वैलशाह जूट मिल्स लिमिटेड	2009-10			27.37	-वही-
3.	26-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, कोल्हापुर	मै. दि सांगली बैंक लिमिटेड	2007-08			8725.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
4.	27-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VII, मुम्बई	मै. सिमन्स इंफार्मेशन सिस्टमस लिमिटेड	2007-08			6574.00	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
5.	31-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VII, मुम्बई	मै. श्री स्वामी समर्थ ट्रेडिंग इंटरप्राईजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	2009-10			159.00	-वही-
6.	37-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-III, मुम्बई	मै. स्माल इंडस्ट्रीज़ डेवलेपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी)	2007-08			2165.72	-वही-
7.	43-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-II (अर्तरा. कराधान), दिल्ली	मै. रेथियोन कंपनी	2002-03			417.00	-वही-
8.	44-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-V, दिल्ली	मै. आर.पी. मिल्क मेड प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड	2008-09			95.13	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
9.	45-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-V, दिल्ली	मै. राजीव पेपर मिल्स लिमिटेड	2007-08			60.20	-वही-
10.	47-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I, दिल्ली	मै. कोका-कोला इंडिया इंक.	2004-05			183.47	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई

11.	57-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I, दिल्ली	मै. एल्कैमिस्ट हॉस्पिटल्स लिमिटेड	2008-09			244.76	-वही-
12.	60-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I (अर्तरा. करधान), दिल्ली	मै. कोका-कोला इंडिया इंक.	2007-08			557.84	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
13.	63-सीटी	दिल्ली	-वही-	मै. अमैड्स आई.टी. ग्रुप एस.ए.	2008-09			1159.36	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
14.	72-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-V ,दिल्ली	मै. नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड	2003-04			79.39	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
15.	75-सीटी	गुजरात	सीआईटी-II, बड़ौदा	मै. उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड	2008-09			1052.52	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
16.	77-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I, अहमदाबाद	मै. अडानी प्रावर लिमिटेड	2009-10			30.09	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
17.	83-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-III, चैन्नै	मै. ओलिंपस ऐलीवेटर प्राइवेट लिमिटेड	2009-10			131.68	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
18.	84-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VI, मुम्बई	मै. डेपू मैडिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	2008-09			56.15	-वही-
19.	85-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VI, मुम्बई	मै. एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2008-09			482.00	-वही-
20.	92-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VII, मुम्बई	मै. स्पाईकर लाईफ स्टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	2009-10			84.14	-वही-
21.	93-सीटी	महाराष्ट्र	सेंट्रल-I, मुम्बई	मै. रूफिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी	2008-09			134.00	-वही-
22.	94-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-V, मुम्बई	मै. नेशनल एविएशन कं. ऑफ इंडिया लिमिटेड	2007-08			2032.15	स्वीकृत
23.	96-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई	मै. एसीसी लिमिटेड	2007-08			114.00	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई

24.	98-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VII, मुम्बई	मै. टाटा टेली सर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लिमिटेड	2007-08			6735.0	-वही-
25.	102-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, पुणे	मै. बी.एफ. यूटीलिटिज़ लिमिटेड	2008-09			846.00	-वही-
26.	109-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-III, मुम्बई	मै. एल्प्रो इंटरनेशनल लिमिटेड	2009-10			428.92	स्वीकृत
27.	113-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-III, बैंगलोर	मै. मैनी प्रेसीजन प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड	2009-10			306.26	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
28.	120-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I (अर्तरा. करधान), दिल्ली	मै. बैंटले नेवाडा एलएलसी	2005-06			74.02	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
29.	126-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IV, सेंट्रल, मुम्बई	मै. फाईव स्टार शिपिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड	2009-10			137.29	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
30.	127-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, मुम्बई	मै. गणेश बेन्जोप्लास्ट लिमिटेड	2008-09			69.08	-वही-
31.	131-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी- सेंट्रल IV, मुम्बई	मै. बरमैको एनर्जी सिस्टम लिमिटेड	2010-11			339.90	-वही-
32.	151-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-III, बैंगलोर	मै. उन्नति प्रोजेक्टस लिमिटेड	2006-07			359.35	-वही-
33.	157-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-VI, दिल्ली	मै. ताज मिल्क फूडस लिमिटेड	2009-10			117.65	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
34.	164-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II कोलकाता	मै. द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	2004-05			433.90	उपचारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई
35.	169-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	मै. कोल इंडिया लिमिटेड	2004-05			60.27	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
36.	173-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	मै. कंडू डेवलेपर्स एंड रियलटर्स (प्रा.) लिमिटेड	2009-10			114.61	उपचारात्मक कार्रवाई की गई

37.	187-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-I, चैन्नै	मै. चोलामंडलम ईंवेस्टमेंट्स और फाइनैंस कंपनी लिमिटेड	2009-10			51.32	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
38.	199-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-III ,चैन्नै	मै. मिडास कम्यूनीकेशन टेक्नोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड	2008-09			172.36	स्वीकृत एवं उपचारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई
39.	202-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-IV, हैदराबाद	मै. नेशनल मिनरल डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	2006-07			424.04	-वही-
40.	204-सीटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी-II, इंदौर	मै. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2009-10			130.00	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
41.	207-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-V, दिल्ली	मै. क्वात्रों बिजनेस सपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	2008-09			218.73	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
42.	211-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I (अर्तरा. करधान), दिल्ली	मै. ल्यूमस टेक्नोलॉजी हीट ट्रांसफर बी.वी.	2007-08			140.48	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
43.	212-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I, दिल्ली	मै. बैंटले नेवाडा एलएलसी	2003-04 to 06-07			343.96	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
44.	218-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	मै. हिंदूस्तान कॉपर लिमिटेड	2002-03			259.67	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
45.	219-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	मै. मोहिमा डेवलेपर्स (प्रा.) पावर लिमिटेड	2009-10			71.05	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
46.	221-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	मै. शकाम्भरी इस्पात और पावर लिमिटेड	2009-10			570.45	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
47.	222-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	मै. वेस्ट बंगाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड	2009-10			598.38	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
48.	225-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	मै. एसडीवी इंटरनेशनल लॉजीस्टिक्स लिमिटेड	2008-09			267.90	-वही-

49.	230-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	मै. जेसीटी लिमिटेड	2009-10			87.72	-वही-
50.	232-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-सेंट्रल-I, दिल्ली	मै. इंडिया लीज़ डेवलेपमैंट लिमिटेड	2002-03			52.06	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
51.	237-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-V, दिल्ली	मै. पेप्सीको इंडिया हॉल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	2008-09			185.75	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
52.	239-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-V, दिल्ली	मै. एनटीपीसी लिमिटेड	2009-10			17975.88	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
53.	254-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VIII, मुम्बई	मै. होम सोल्यूशन्स रिटेल (I) लिमिटेड	2008-09			516.12	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
54.	269-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-सेंट्रल, हैदराबाद	मै. बी.एस. ट्रांसकोम लिमिटेड	2004-05			207.33	-वही-
55.	273-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-सेंट्रल, हैदराबाद	मै. इंजीनियर्स सिंडीकेट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	2004-05			56.89	-वही-
56.	278-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-तिरूपति	मै. जुअरी सीमेंटस लिमिटेड	2007-08			890.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
57.	293-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV, दिल्ली	मै. आईबीएन 18 प्राइकॉस्ट लिमिटेड	2009-10			199.62	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
58.	295-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-III, दिल्ली	मै. एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2002-03			185.99	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
59.	299-सीटी	जम्मू और कश्मिर	सीआईटी-जम्मु और कश्मीर	मै. जे एंड के हैंडीक्राफ्टस (एस एंड ई) कार्पोरेशन लिमिटेड	2008-09			101.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
60.	314-सीटी	गोवा	सीआईटी-I, पणजी	मै. सलगावकर माइनिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	2009-10			78.44	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
61.	321-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-III, चैन्नै	मै. वी.एस. नेट लिमिटेड	2007-08			57.90	उपचारात्मक कार्रवाई की गई

62.	04-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-III बैंगलोर	मै. टेलको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड	2008-09		**ब्याज की उगाही में गलतियाँ**	57.75	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
63.	06-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-सेंट्रल, बैंगलोर	मै. ओबुलापुरम माइनिंग कं. प्रा. लिमिटेड	2010-11			333.57	-वही-
64.	18-सीटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी, मेरठ	मै. सेजई इंटरनेशनल लिमिटेड	1999-2000			55.81	-वही-
65.	19-सीटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-II, कानपुर	मै. श्री लक्ष्मी कोटसिन लिमिटेड	2009-10			33.14	-वही-
66.	24-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-सेंट्रल-II, मुम्बई	मै. ग्रोमोर लीजिंग एंड इंवेस्टमेंट प्रा. लिमिटेड	2006-07			53.30	-वही-
67.	28-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-सेंट्रल-II, मुम्बई	मै. ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट्स मेनेजमेंट लिमिटेड	2006-07			78.86	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
68.	30-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IV, सेंट्रल मुम्बई	मै. आर्बिट कंस्ट्रक्शनस एंड रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	2007-08			207.00	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
69.	40-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुम्बई	मै. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड	2007-08			82.94	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
70.	42-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IX, मुम्बई	मै. ओटिस एलिवेटर कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	2008-09			62.57	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
71.	48-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I, दिल्ली	मै. बंगाल यूनीटेक यूनीवर्सल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	2009-10			92.07	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
72.	56-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I (अर्तरा. कराधान), दिल्ली	मै. जीई न्योवो पिगनोन एसपीए	2007-08			67.59	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
73.	59-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I (अर्तरा. कराधान), दिल्ली	मै. एडोब सिस्टमस सॉफ्टवेयर आयरलैंड लिमिटेड	2008-09			149.23	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
74.	62-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I (अर्तरा. कराधान), दिल्ली	मै. हवाई टैक्नोलॉजीस कं. लिमिटेड	2008-09			423.63	उपचारात्मक कार्रवाई की गई

75.	65-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I (अर्तरा. कराधान), दिल्ली	मै. एडोब सिस्टमस सॉफ्टवेयर आयरलैंड लिमिटेड	2008-09			348.19	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
76.	67-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I, दिल्ली	मै. निर्माण ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड	2006-07			480.72	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
77.	81-सीटी	गुजरात	सीआईटी-वल्सद	मै. बिलाग इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	2005-06			25.34	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
78.	88-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-XI, मुम्बई	मै. स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2007-08			143.92	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
79.	105-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-III, पूणे	मै. रूनवाल मल्टी हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड	2003-04			114.00	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
80.	119-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-II (अर्तरा. कराधान), दिल्ली	मै. मोटोरोला इंक. (मिंक)	1997-98			59.38	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
81.	124-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-V, पूणे	मै. एटलस कॉपको इंडिया लिमिटेड	2006-07			96.07	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
82.	138-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I (अर्तरा. कराधान), दिल्ली	मै. बीबीसी वर्ल्ड न्यूज लिमिटेड	2008-09			88.89	-वही-
83.	144-सीटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी-I, इंदौर	मै. जूम डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	2003-04 to 09-10			455.88	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
84.	155-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-II, दिल्ली	मै. महाजन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	2009-10			51.81	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
85.	159-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I (अर्तरा. कराधान), दिल्ली	मै. एरिकसन एबी	2007-08			516.00	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
86.	172-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-I, कोलकाता	मै. जैनटिस टैक्नोलैब (प्रा.) लिमिटेड	2007-08			134.59	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
87.	181-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-सेंट्रल हैदराबाद	मै. मधुकॉन प्रोजैक्ट लिमिटेड	2007-08			157.92	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई

88.	192-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, पूणे	मै. बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2009-10			292.24	स्वीकृत
89.	194-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IV, मुम्बई	मै. सीएलएसए इंडिया लिमिटेड	2008-09			361.75	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
90.	236-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-III, दिल्ली	मै. एचबीएन डेरीज तथा एलाइड लिमिटेड	2009-10			117.27	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
91.	279-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-एलटीयू, चेन्नई	मै. यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस को. लिमिटेड	2009-10			74.88	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
92.	290-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-एलटीयू, चेन्नई	मै. चोलमनडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2008-09			242.94	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
93.	292-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I, दिल्ली	मै. एस्पेक्ट सॉफ्टवेयर ई.	2008-09			91.69	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
94.	296-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV, दिल्ली	मै. ड्यूश पोस्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	2007-08			118.97	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
95.	303-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-VI, चेन्नई	मै. स्टर्लिंग इनफोटेक लिमिटेड	2007-08			110.66	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
96.	35-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-V, मुम्बई	मै. जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड	2005-06		**अधिक अथवा अनियमित प्रतिदाय/ प्रतिदाय पर ब्याज**	93.41	स्वीकृत
97.	73-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-III	मै. सीमनस प्रोडक्ट लाइफसाइकिल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2007-08			61.06	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
98.	87-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IX, मुम्बई	मै. ओटीस इलेवेटर कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड	2008-09			82.16	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई

99.	99-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-III, मुम्बई	मै. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	2002-03			1164.00	-वही-
100.	108-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VIII, मुम्बई	मै. बिरला सनलाईफ एस्सेट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड	2009-10			59.80	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
101.	178-सीटी	गुजरात	सीआईटी-II, अहमदाबाद	मै. गुजरात पागुथान एनर्जी कॉपरेशन प्राइवेट लिमिटेड	1999-2000			152.32	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
102.	180-सीटी	केरल	सीआईटी-I, कोच्चि	मै. दि फैडरल बैंक लिमिटेड	2009-10			1266.00	स्वीकृत
103.	213-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I, दिल्ली	मै. इरिक्सन ए बी	2006-07 & 07-08			550.53	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
104.	214-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	मै. बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड	2007-08			70.00	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
105.	281-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-एलटीयू, चेन्नई	मै. नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड	1999-2000			235.87	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
106.	07-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-III बैंगलोर	मै. नेटवर्क सोल्यूशनस (प्रा.) लिमिटेड	2009-10		**कर तथा अधिक शुल्क का गलत दर लगाना**	80.87	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
107.	33-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-V, मुम्बई	मै. जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड	2005-06			90.04	स्वीकृत
108.	54-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I, दिल्ली	मै. गेलीलियों नीदरलैंड बीवी (अब मै. ट्रेवलपोर्ट ग्लोबल ड्रिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बीवी)	2008-09			94.27	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
109.	68-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-III, दिल्ली	मै. सलोरा इनटरनेशनल लिमिटेड	2008-09			220.25	उपचारात्मक कार्रवाई की गई

110.	69-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-II, दिल्ली	मै. एम वी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी	2003-04			178.03	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
111.	229-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	मै. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2003-04			156.09	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
112.	264-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-II, हैदराबाद	मै. ईपी इंडस्ट्रियल एवं एग्रो केमिकल्स (प्रा.) लिमिटेड	2007-08			120.29	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
113.	38-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई	मै. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड	2008-09		**अपीलीय आदेश को लागू करते समय निर्धारण में गलतियाँ**	6102.45	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
114.	39-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुम्बई	मै. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	2009-2010			792.22	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
115.	76-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I, अहमदाबाद	मै. गुजरात पगुथान एनर्जी कॉपरेशन प्राइवेट लिमिटेड (अब सीएलपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)	2000-2001			655.45	-वही-
116.	79-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I, बड़ौदा	मै. गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स तथा केमिकल्स लिमिटेड	2008-09			102.04	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
117.	100-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VII, मुम्बई	मै. टाटा टेली सर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड	2005-06 & 06-07			151.00	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई

118.	142-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, मुम्बई	मै. कोक्स एवं किंग्स (इंडिया) लिमिटेड	2005-06			130.64	-वही-
119.	176-सीटी	गुजरात	सीआईटी-II, अहमदाबाद	मै. अतुल लिमिटेड	2003-04			26.22	-वही-
120.	195-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, नासिक	मै. तुलसी एक्सट्रूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	2007-08			180.20	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
121.	255-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुम्बई	मै. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	2004-05			231.49	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
122.	308-सीटी	उत्तराखंड	सीआईटी-हल्द्वानी	मै. कुमाऊ मंडल विकास निगम लिमिटेड	2008-09			25.50	-वही-
123.	01-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-III बैंगलोर	मै. माइक्रो लैंड लिमिटेड	2008-09	**कर की छूट/ रियायत/ कटौती का प्रशासन**	**ह्रास/ व्यवसायिक हानि/ पूँजीगत हानि की मंजूरी में अनियमितताएं**	63.73	-वही-
124.	09-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-III बैंगलोर	मै. सिगमा एल्डरीच केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	2008-09			50.67	-वही-
125.	10-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-III, चेन्नई	मै. वीएसएल इंडिया लिमिटेड	2008-09			97.69	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
126.	12-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-I, चेन्नई	मै. बॉस प्रोफाइलस प्राइवेट लिमिटेड	2007-08			171.10	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
127.	13-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-I, चेन्नई	मै. गंगाधरम एप्लायएंसिस लिमिटेड	2007-08			117.00	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
128.	14-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-I, कोयम्बटूर	मै. मद्रास स्पिनर्स लिमिटेड	2007-08			87.77	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
129.	16-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I, अहमदाबाद	मै. अदानी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	2006-07			3125.66	उपचारात्मक कार्रवाई की गई

130.	32-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-X, मुम्बई	मै. कोंकण रेलवे कॉरपरेशन लिमिटेड	2009-10			90.20	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
131.	34-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VI, मुम्बई	मै. कार्बेल एस्टेट तथा इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी	2009-10			928.00	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
132.	41-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-V, मुम्बई	मै. गगन ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	2009-10			1578.32	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
133.	49-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I, दिल्ली	मै. साइबरसेज इनफोटेक लिमिटेड	2009-10			96.10	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
134.	50-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-III, दिल्ली	मै. सेमसंग टेलीकम्युनिकेशनस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2007-08			55.97	-वही-
135.	61-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I, दिल्ली	मै. भारती इनफ्राटेल लिमिटेड	2009-10			5345.64	-वही-
136.	80-सीटी	गुजरात	सीआईटी-सेंट्रल-I, अहमदाबाद	मै. एनसीपी एन्टप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	2010-11			163.75	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
137.	91-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी(सेंट्रल)-IV, मुम्बई	मै. फाइल स्टार शिपिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2009-10			147.93	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
138.	103-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी सेंट्रल-III, मुम्बई	मै. प्रिसम सिमेंट लिमिटेड	2008-09			57.07	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
139.	107-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VI, मुम्बई	मै. डेस्टीमनी एन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	2008-09			321.00	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
140.	116-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-III, हैदराबाद	मै. रेमी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड	2007-08			109.28	-वही-

141.	118-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-II, दिल्ली	मै. लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड	2009-10			557.55	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
142.	121-सीटी	पंजाब	सीआईटी-II, जलंधर	मै. पटेल हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड	2008-09			25.14	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
143.	128-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VIII, मुम्बई	मै. ओसिएनीक ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	2007-08			138.98	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
144.	129-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VIII, मुम्बई	मै. हाटेल लीला वेंचर लिमिटेड	2007-08			195.85	-वही-
145.	130-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VII, मुम्बई	मै. सबेरो आर्गेनिक्स गुजरात लिमिटेड	2009-10			132.10	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
146.	134-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-III, कोलकाता	मै. तिरूमाला आयरन (प्रा.) लिमिटेड	2009-10			100.00	-वही-
147.	135-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	मै. वेनटेज एडवरटाइजिंग (प्रा.) लिमिटेड	2008-09			86.62	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
148.	141-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी सेंट्रल-II, मुम्बई	मै. राधाकृष्णा शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	2006-07			68.36	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
149.	147-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-II, जयपुर	मै. राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल्स लिमिटेड	2008-09			36.57	-वही-
150.	152-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-II, हैदराबाद	मै. गोलकोंडा फाइनेंस एवं ट्रेडिंग (प्रा.) लिमिटेड	2006-07			85.38	-वही-
151.	153-सीटी	असम	सीआईटी-II, गुवाहाटी	मै. आसाम रूफिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	2008-09			122.51	उपचारात्मक कार्रवाई की गई

152.	154-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-III, दिल्ली	मै. श्रीराम पिसटन्स तथा रिंग्स लिमिटेड	2006-07			393.18	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
153.	162-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	मै. कलकत्ता स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन	2009-10			814.35	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
154.	163-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-I, कोलकाता	मै. वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसीटी ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2008-09			654.94	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
155.	165-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	मै. ईआर टेक्सटाइल लिमिटेड	2007-08			89.31	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
156.	168-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	मै. कलकत्ता स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन	2009-10			93.72	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
157.	179-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I, वडोदरा	मै. बेल ग्रेनिटों सेरामिका लिमिटेड	2006-07			70.32	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
158.	183-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-एलटीयू, चेन्नई	मै. व्हील्स इंडिया लिमिटेड	2009-10			236.27	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
159.	184-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-II, चेन्नई	मै. इमपी ब्रेवरीज लिमिटेड	2006-07			136.00	-वही-
160.	186-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-II, चेन्नई	मै. कस्तुरी एंड सन्स लिमिटेड	2006-07			597.53	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
161.	200-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-II, हैदराबाद	मै. एचसीजी इंवेस्टमेंटस तथा इमपेक्स लिमिटेड	2006-07			78.80	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
162.	216-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-I, कोलकाता	मै. बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड	2009-10			301.02	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
163.	220-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-I, कोलकाता	दी टीनप्लेट कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	2006-07			283.77	उपचारात्मक कार्रवाई की गई

164.	223-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	मै. जेसीटी लिमिटेड	2009-10			1428.14	-वही-
165.	227-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	मै. डब्ल्यू.बी. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	2009-10			865.04	-वही-
166.	234-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-V, दिल्ली	मै. रस्स इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	2007-08			58.69	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
167.	244-सीटी	गुजरात	सीआईटी-गांधीनगर	मै. सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड	2006-07			1140.57	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
168.	246-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I, वडोदरा	मै. गुजरात अलकालीज एवं केमिकल्स लिमिटेड	2008-09			42.95	-वही-
169.	249-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, नासिक	मै. खंदेश बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	2008-09			104.08	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
170.	250-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-III, मुम्बई	मै. भूमिका ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	2009-10			159.73	-वही-
171.	259-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	मै. देसकन लिमिटेड	2009-10			78.10	-वही-
172.	265-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-IV, हैदराबाद	मै. पोकरना लिमिटेड	2006-07			141.41	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
173.	270-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-सेंट्रल, हैदराबाद	मै. बोल्लीनेनी कास्टिंग तथा स्टील लिमिटेड	2007-08 to 09-10			184.29	-वही-
174.	276-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-सेंट्रल, हैदराबाद	मै. एनसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2003-04			162.73	-वही-
175.	277-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-तिरूपति	मै. सुदलगुन्टा शुगरस लिमिटेड	2006-07			1315.51	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

176.	280-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-V, चेन्नई	मै. पूमपुहर शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड	2007-08			275.77	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
177.	282-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-IV, चेन्नई	मै. मस्कन ग्लोबल लिमिटेड	2005-06			62.00	-वही-
178.	286-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-III, चेन्नई	मै. तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2009-10			634.34	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
179.	288-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-II, चेन्नई	मै. थंजवूर शिपिंग मिलस लिमिटेड	2008-09			117.60	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
180.	291-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-II, दिल्ली	मै. मेटजेलर ऑटोमोटिव प्रोफाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2008-09			106.58	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
181.	294-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-सेंट्रल-I, दिल्ली	मै. मोन्नेट इस्पात एवं एनर्जी लिमिटेड	2005-06			137.62	-वही-
182.	297-सीटी	चंडीगढ़-यूटी	चंड़ीगढ़-I	मै. एस.आर. इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2006-07			43.40	-वही-
183.	298-सीटी	चंडीगढ़-यूटी	चंड़ीगढ़-I	मै. एस.आर. इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2007-08			62.23	-वही-
184.	310-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-III, कोलकाता	मै. आरकेबीके फिस्कल सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड	2009-10			186.77	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
185.	315-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VI, मुम्बई	मै. गंजम ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2007-08			146.05	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
186.	316-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-V, पुणे	मै. काइनेटीक इंजीनियरिंग लिमिटेड	2007-08			936.40	-वही-
187.	317-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-I, विशाखापटनम	मै. एलू फ्लूरैड़ लिमिटेड	2007-08			69.92	उपचारात्मक कार्रवाई की गई

188.	328-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-III, चेन्नई	मै. तमिलनाडु सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2009-10			440.00	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
189.	03-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-III बैंगलोर	मै. सुभाष कबीनी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2009-10		**अनियमित छूट/कटौती/ रियायत/ राहत**	173.47	स्वीकृत एवं उपचारात्मक कार्रवाई की गई
190.	11-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-II, मुम्बई	मै. इन्टरनेशनल एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड	2007-08			60.09	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
191.	22-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VI, मुम्बई	मै. सेन्चुरी टेक्सटाईल एवं इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2007-08			211.70	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
192.	82-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-V, चेन्नई	मै. पीपीएन पावर जेनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2008-09			216.11	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
193.	89-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुम्बई	मै. बैंक ऑफ इंडिया	2003-04			1961.00	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
194.	95-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VII, मुम्बई	मै. विग्नेश्वर एक्सपोर्ट लिमिटेड	2006-07			415.00	-वही-
195.	117-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-II, दिल्ली	मै. मल्टीस्पीड गियर्स प्राइवेट लिमिटेड	2008-09			60.76	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
196.	125-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-V, पुणे	मै. कल्याणी हेयज लेम्मर्ज लिमिटेड	2007-08			215.12	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
197.	133-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	मै. मकींतोष बर्न लिमिटेड	2009-10			67.57	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
198.	137-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-II, जयपुर	मै. राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल्स लिमिटेड कम्पनी	2008-09			246.00	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई

199.	171-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	मै. आर.पी. इन्फोसिस्टम (प्रा.) लिमिटेड	2009-10			1177.00	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
200.	188-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-सेलम	मै. समर इंडिया टेक्सटाइल मिल्स (प्रा.) लिमिटेड	2006-07 and 2007-08			361.77	नि.व. 2006-07 के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की गई तथा नि.व. 2007-08 के लिए आरम्भ की गई
201.	190-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुम्बई	मै. टेक महिन्द्रा लिमिटेड	2007-08			15394.90	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
202.	215-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	मै. इलाहाबाद बैंक	2008-09			1692.96	-वही-
203.	226-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-I, कोलकाता	मै. तिरूपति बिल्ड-कन्सट्रक्शन (प्रा.) लिमिटेड	2007-08			91.91	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
204.	228-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी सेंट्रल-III, कोलकाता	मै. टूडेज राइटिंग प्रोडक्टस लिमिटेड	2007-08			212.98	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
205.	233-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV, दिल्ली	मै. इलीमर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	2007-08			80.91	अस्वीकृत
206.	240-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VIII, मुम्बई	मै. कार्डकोन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	2006-07			237.05	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई
207.	241-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VII, मुम्बई	मै. नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड	2009-10			1988.06	स्वीकृत
208.	253-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुम्बई	मै. इंडस इंड बैंक लिमिटेड	2006-07 & 07-08			670.37	स्वीकार किया गया तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई

209.	257-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-III, मुम्बई	मै. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड	2007-08			261.79	-वही-
210.	271-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-I, हैदराबाद	मै. सिलेशियल बायोलैबस लिमिटेड	2006-07			139.33	-वही-
211.	272-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-III, हैदराबाद	मै. वीएनएस मेक्रो टेक्नोलोजिज लिमिटेड	2006-07			97.26	-वही-
212.	285-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-VI, चेन्नई	मै. एसएसएल टीटीके लिमिटेड	2008-09			146.27	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
213.	304-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-III, मुम्बई	मै. एशियन इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड	2007-08			242.53	स्वीकृत
214.	305-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VI, मुम्बई	मै. क्लासिक स्ट्राइप्स प्राइवेट लिमिटेड	2004-05			67.21	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
215.	312-सीटी	हरियाणा	सीआईटी-हिसार	मै. वेगन कोलोइडस लिमिटेड सिवानी (भिवानी)	2008-09			29.99	अस्वीकृत
216.	313-सीटी	गोवा	सीआईटी-पणजी	मै. बोरकर पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	2003-04			59.51	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
217.	318-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-IV, हैदराबाद	मै. नवभारत वेंचर्स लिमिटेड	2006-07			1137.24	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
218.	319-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-III, हैदराबाद	मै. विशु इंटरनेशनल लिमिटेड	2006-07			241.62	-वही-
219.	321-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-I, मदुरै	मै. पीकाक एपेरलस प्राइवेट लिमिटेड	2007-08 से 08-09			131.00	अस्वीकृत
220.	323-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-V, चैन्नई	मै. पोलिहोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2007-08			539.57	अस्वीकृत

221.	324-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-III, चैन्नई	मै. ज़ाइलोग सिस्टम्स लिमिटेड	2008-09			2846.72	अस्वीकृत
222.	330-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-IV, चैन्नई	मै. मेगा साफ्ट लिमिटेड	2006-07, से 08-09			1718.00	अस्वीकृत किन्तु उपचारात्मक कार्रवाई की गई
223.	332-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-एलटीयू, चैन्नई	मै. यूनाईटेड इंडिया इन्शयोरेंस कंपनी लिमिटेड	2006-07 से 08-09			600.07	-वही-
224.	333-सीटी	गुजरात	सीआईटी-II, अहमदाबाद	मै. कदम एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	2006-07			49.23	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
225.	08-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-मैंगलोर	मै. कॉरपोरेशन बैंक	2010-11		कारबार व्यय की गलत अनुमति	1680.67	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई
226.	52-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV, दिल्ली	मै. इन्टरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड	2007-08			60.69	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
227.	55-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I, दिल्ली	मै. भारती इंफ्राटेल लिमिटेड.	2008-09			102.29	-वही-
228.	64-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV, दिल्ली सेन्ट्रल	मै. दिल्ली ट्रांसपोरेशन कॉरपोरेशन	2006-07			183.26	-वही-
229.	74-सीटी	गुजरात	सीआईटी-गांधीनगर	मै. गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	2007-08			67.70	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
230.	86-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VI, मुम्बई	मै. एआईजी ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी (आई) प्राइवेट लिमिटेड	2008-09			130.10	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
231.	90-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, मुम्बई,	मै. द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2001-02			146.00	-वही-
232.	101-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IX, मुम्बई	मै. नेस्को लिमिटेड कंपनी.	2008-09			294.00	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई

233.	111-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VII, मुम्बई	मै. पीयुपल इन्फोकोम प्राइवेट लिमिटेड	2007-08			64.69	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
234.	132-सीटी	बिहार	सीआईटी-I, पटना	मै. बिहार स्टेट बेवरिजस कॉरपोरेशन लिमिटेड	2009-10			44.12	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
235.	136-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-II, जयपुर	मै. राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी	2007-08, 2008-09			203.00	-वही-
236.	143-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-X, मुम्बई	मै. जनता ग्लास वर्क्स लिमिटेड	2008-09			113.06	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
237.	145-सीटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी-भोपाल	मै. मध्य प्रदेश क्षेत्रिय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2007-08			1568.00	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
238.	149-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-II, चैन्नई	मै. इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	2007-08			522.14	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
239.	150-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-एलटीयू, चैन्नई	मै. सेंट गोबेन इंडिया लिमिटेड	2007-08			193.62	अस्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
240.	160-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-II, दिल्ली	मै. एलवीएमएच वाच एण्ड ज्यूलरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2006-07			64.93	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
241.	175-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-III, कोलकाता	मै. टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2006-07			66.96	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
242.	177-सीटी	गुजरात	सीआईटी-II, अहमदाबाद	मै. जे.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (अब जे.पी. इस्कान लि. के नाम से ज्ञात)	2007-08			96.32	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
243.	191-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-III, मुम्बई	मै. एसआईसीओएम लिमिटेड	2009-10			86.98	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
244.	193-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-सेन्ट्रल II, मुम्बई	मै. ओरिकान एंटरप्राइजस लिमिटेड	2007-08			54.99	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई

245.	198-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-V, चैन्नई	मै. सदरन पेट्रोकेमिकल्स इन्डस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड	2005-06			213.40	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
246.	201-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-III, हैदराबाद	मै. रिजेंसी सिरामिक्स लिमिटेड	2009-10			225.56	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
247.	203-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-IV, हैदराबाद	मै. मोसचिप सेमी कंडक्टर टेक्नोलोजी लिमिटेड	2007-08 एवं 08-09			634.00	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
248.	205-सीटी	गुजरात	सीआईटी-II, सूरत	मै. टाहा वायर्स प्राइवेट लिमिटेड	2006-07			63.07	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
249.	206-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-भुवनेश्वर	मै. उडिसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन	2008-09			681.00	स्वीकृत
250.	224-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	मै. हिन्दुस्तान गम एवं केमिकल्स लिमिटेड	2008-09			65.38	स्वीकृत एवं उपचारात्मक कार्रवाई की गई
251.	248-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-भुवनेश्वर	मै. टाटा स्पोंज आयरन	2009-10			49.41	स्वीकृत
252.	251-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-भुवनेश्वर	मै. उडिशा फोरेस्ट डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन	2009-10			42.97	उत्तर प्राप्त नही हुआ
253.	260-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी(सी)-II, कोलकाता	मै. हिन्दुस्तान स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन क. लिमिटेड	2006-07 एवं 07-08			244.10	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
254.	262-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-III, कोलकाता	मै. आईटीसी लिमिटेड	2006-07			295.78	अस्वीकृत
255.	263-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-उदयपुर	मै. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	2008-09			2419.47	अस्वीकृत
256.	266-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-III, हैदराबाद	मै. वीएसटी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	2006-07			1935.00	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
257.	267-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-III, हैदराबाद	मै. सरिथा स्टील एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2008-09			67.48	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई

258.	275-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-I, विशाखापट्नम	मै. भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसलस लिमिटेड	2006-07			75.79	-वही-
259.	283-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-IV, चैन्नई	मै. सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड	2008-09			1131.19	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
260.	289-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-III, चैन्नई	मै. पूमपुहार शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	2007-08 से 08-09			1737.51	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
261.	301-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-III, चैन्नई	मै. मेसकान ग्लोबल लिमिटेड	2003-04, 2005-06 एवं 06-07			7996.63	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
262.	302-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-I, चैन्नई	मै. अम्बादी एटंरप्राइसेस लिमिटेड	2008-09			88.37	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
263.	306-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-सम्बलपुर	मै. महानदी कोल फील्डस	2008-09			285.00	स्वीकृत
264.	307-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-सम्बलपुर	मै. महानदी कोल फील्डस	2008-09			199.00	स्वीकृत
265.	325-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-III, चैन्नई	मै. तमिलनाडु इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	2006-07			1422.00	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
266.	327-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-एलटीयू, चैन्नई	मै. इंडियन ओवरसीज़ बैंक	2006-07			579.97	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
267.	331-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-IV, चैन्नई	मै. मेडटेक प्रोडक्टस लिमिटेड	2007-08			194.85	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
268.	334-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-III कोलकाता	आईटीसी लिमिटेड	2005-06			13511.00	अस्वीकृत किन्तु उपचारात्मक कार्रवाई की गई
269.	05-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-एलटीयू, बैंगलोर	मै. प्राक्सेयर (इंडिया) (प्र.) लि.	2007-08 एवं 08-09	चुकों के कारण	विशेष प्रावधानों के	213.56	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई

270.	15-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I, बड़ोदा	मै. आरव रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	**निर्धारण से बची आय**	**तहत आय का निर्धारण नहीं/कम हुआ**	28.41	-वही-
271.	23-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VI, मुम्बई	मै. चुरू ट्रेडिंग क. प्राइवेट लिमिटेड	2007-08			103.62	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
272.	25-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-X, मुम्बई	मै. सोनू रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	2008-09			196.00	स्वीकृत
273.	29-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई सीआईटी-X,	मै. बीएसईएल इंफ्रास्ट्रक्चर रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	2006-07 एवं 07-08			56.39	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
274.	104-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VI, मुम्बई	मै. गैस्को कॉरपोरेशन लिमिटेड (अब महिन्द्रा गैसको डेवेलपर लिमिटेड)	2003-04			122.47	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
275.	106-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी सेन्ट्रल-III ,मुम्बई	मै. आकृति सिटी लिमिटेड (पूर्व में आकृति निर्माण लिमिटेड)	2009-10			113.22	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
276.	139-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुम्बई	मै. देना बैंक	2007-08			5750.00	स्वीकृत
277.	161-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I, अहमदाबाद	मै. गुजरात पगुथन एनर्जी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (अब सीएलपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)	2001-02			238.86	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
278.	167-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	मै. नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2007-08			1263.79	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
279.	185-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-IV, चैन्नई	मै. मेडटेक प्रोडक्टस लिमिटेड	2007-08			759.18	उत्तर प्राप्त नही हुआ
280.	196-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-V,मुम्बई	मै. रेडिएंट शिपिंग लिमिटेड	2001-02			64.98	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
281.	242-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुम्बई	मै. पिवोटल सिक्यूरिटिज़ प्राइवेट लिमिटेड	2008-09			193.54	उपचारात्मक कार्रवाई की गई

282.	245-सीटी	गुजरात	सीआईटी-IV, अहमदाबाद	मै. सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड	2007-08			29.89	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
283.	256-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VII, मुम्बई	मै. सीमन्स इन्फोरेमेशन सिस्टमस लिमिटेड	2004-05			194.55	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
284.	268-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-IV, हैदराबाद	मै. पीएलआर प्रोजेक्ट (प्रा.) लिमिटेड	2008-09			97.90	-वही-
285.	300-सीटी	गोवा	सीआईटी-पणजी, गोवा	मै. टेराकाम (प्रा.) लिमिटेड	2009-10			52.01	स्वीकृत
286.	70-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-V, दिल्ली	मै. पीएसबी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड	2004-05		**सामान्य प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण नहीं किया गया**	97.67	उत्तर प्राप्त नही हुआ
287.	78-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I, बड़ोदा	मै. गुजरात स्टेट फर्टीलाइज़र एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	2008-09			54.57	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
288.	112-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VIII, मुम्बई	मै. फाइज़र लिमिटेड	2005-06			99.74	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
289.	115-सीटी	केरल	सीआईटी-I कोच्ची	मै. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	2009-10			117.95	उत्तर प्राप्त नही हुआ
290.	146-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-II, जयपुर	मै. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2007-08			2875.00	उत्तर प्राप्त नही हुआ
291.	170-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-I, कोलकाता	मै. निटसन अमित्सु (प्रा.) लिमिटेड	2007-08			59.43	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
292.	231-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	मै. क्राफटेक उद्योग (प्रा.) लिमिटेड	2006-07			62.23	-वही-
293.	247-सीटी	गुजरात	सीआईटी गांधीनगर	मै. गुजरात स्टेट लैंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2008-09			144.46	-वही-
294.	252-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-सम्बलपुर	मै. बोनाई इंडस्ट्रीज कंपनी	2008-09			253.00	स्वीकृत

295.	258-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV,कोलकाता	मै. द स्ट्रक्चरल वाटर प्रूफिंग का. प्राइवेट लिमिटेड	2007-08			78.23	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
296.	287-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-V, चैन्नई	मै. रथ होल्डिंगस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	2009-10			2794.08	अस्वीकृत
297.	311-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-सम्बलपुर	मै. महानदी कोल फील्डस	2009-10			1783.90	उत्तर प्राप्त नही हुआ
298.	320-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-एलटीयू, चैन्नई	मै. नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2007-08			3972.00	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
299.	326-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-V, चैन्नई	मै. सदरन पैट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रिज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड	2005-06 एवं 06-07			900.00	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
300.	329-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-एलटीयू, चैन्नई	मै. इंडियन ओवरसीज़ बैंक	2006-07			387.98	-वही-
301.	36-सीटी	महाराष्ट्र	डीआईटी-2, मुम्बई	मै. टी रोव प्राइस इमर्जिंग मार्केटस स्टाक फंड कंपनी	2007-08		पूँजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	144.00	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
302.	114-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-एलटीयू बैंगलोर	मै. केनरा बैंक	2007-08			724.35	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
303.	189-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, पुणे	मै. गोपीसन्स डेवेलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	2006-07			51.83	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
304.	197-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी सेन्ट्रल-II, मुम्बई	मै. ओरिकान एंटर प्राइसेसे लिमिटेड	2007-08			1101.25	उत्तर प्राप्त नही हुआ
305.	21-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-आसनसोल	मै. इस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड	2008-09	कर/ब्याज का अधिक प्रभार	कर का अधिक प्रभार	4194.00	उत्तर प्राप्त नही हुआ
306.	46-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-II (अन्तर्रा. कराधान), दिल्ली	मै. रोल्स रायस पलेक	2007-08			55.50	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
307.	53-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I, दिल्ली	मै. जीई न्यूवो पेगनोन एसपीए	2008-09			54.85	-वही-

308.	58-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I (अन्तर्रा. कराधान), दिल्ली	मै. जीई एनर्जी मैनेजमेंट सर्विसेस इंक	2008-09			257.10	-वही-
309.	66-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-III, दिल्ली	मै. शनाइडर इलैक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2007-08			243.06	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
310.	97-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-X, मुम्बई	मै. महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनेरेशन कंपनी लिमिटेड	2008-09			1403.00	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
311.	122-सीटी	हरियाणा	सीआईटी- पंचकुला	मै. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2006-07			494.63	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
312.	123-सीटी	हरियाणा	सीआईटी-पंचकुला	मै. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2006-07			69.18	-वही-
313.	148-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-II, जयपुर	मै. हाईलैंड हाऊस प्राइवेट लिमिटेड	2001-02			31.34	उत्तर प्राप्त नही हुआ
314.	156-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I (अन्तर्रा. कराधान), दिल्ली	मै. बैंटले नवादा एलएलसी	2002-03			55.98	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
315.	166-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-आसनसोल	मै. इस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड	2008-09			439.13	उत्तर प्राप्त नही हुआ
316.	182-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-सेन्ट्रल हैदराबाद	मै. गोमेन एग्रो फार्मस (प्रा.) लिमिटेड	2008-09			91.7	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
317.	208-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I (अन्तर्रा कराधान), दिल्ली	मै. चाइना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक कंपनी लिमिटेड	2007-08			51.19	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
318.	209-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I (अन्तर्रा कराधान), दिल्ली	मै. मैनहाडट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड	2002-03			79.87	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
319.	238-सीटी	असम	सीआईटी-II, गुवाहटी	मै. नुमालीगढ रिफाइनरी लिमिटेड	2010-11			177.69	उत्तर प्राप्त नही हुआ

320.	243-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I, सेन्ट्रल, अहमदाबाद	मै. सौम्या कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	2006-07			81.32	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
321.	274-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-IV, हैदराबाद	मै. एम.एस. अग्रवाल फाउंड्रीज़ (प्रा.) लिमिटेड	2009-10			56.04	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
322.	309-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	मै. गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड	2004-05			366.62	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
323.	17-सीटी	गुजरात	सीआईटी, वलसाड	मै. बिलाग इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड	2005-06		**ब्याज का अधिक प्रभार**	54.90	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
324.	51-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-III, दिल्ली	मै. सेमसंग टेलीकोम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2007-08			84.40	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
325.	71-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-V, दिल्ली	मै. रिर्जवेशन डाटा मेन्टेनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2004-05			81.60	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
326.	110-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VII, मुम्बई	मै. यूसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2003-04			56.64	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
327.	158-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-V, दिल्ली	मै. राठी इस्पात लिमिटेड	2005-06			3239.09	-वही-
328.	210-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I, सेन्ट्रल, दिल्ली	मै. यूआरआई सिविल प्राइवेट लिमिटेड	2009-10			51.71	उपचारात्मक कार्रवाई की गई
329.	217-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	मै. जेएचवी शुगर लिमिटेड	2006-07			78.67	-वही-
330.	235-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-एलटीयू, दिल्ली	मै. महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड	2008-09			2280.56	-वही-
331.	261-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-I, कोलकाता	मै. जेनिटीज़ टेक्नोलैब प्राइवेट लिमिटेड	2007-08			319.16	-वही-
332.	284-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-I, चैन्नई	मै. दास लागरवेज़ विंड टरबाइन्स लिमिटेड	1998-99 से 01-02			1757.34	स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई

333.	26-आईटी	गुजरात	सीआईटी-I, सूरत	नटवरलाल पी पटेल	2009-10	**निर्धारण की गुणवत्ता**	**आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ**	21.26	कार्रवाई की गई
334.	87-आईटी	हरियाणा	सीआईटी-फरीदाबाद	श्रीमती छाया सिन्हा	2006-07			26.47	उत्तर प्राप्त नही हुआ
335.	103-आईटी	पंजाब	सीआईटी-पटियाला	मै. दी पटियाला डिस्ट कोरप मिल्कफूड प्रोड. यूनियन लिमिटेड	2008-09			11.03	स्वीकृत और कार्रवाई की गई
336.	06-आईटी	बिहार	सीआईटी I, पटना	बिहार कम्बाइंड एन्ट्रेंस कम्पीटीटीव एक्जेमिनेशन बोर्ड पटना	2005-06		**कर अधिभार इत्यादि की गलत दर लगाना**	13.62	स्वीकृत और कार्रवाई की गई
337.	33-आईटी	छत्तीसगढ़	सीआईटी-टीडीएस, भोपाल	उप. निदेशक खनन, रायपुर	2006-07 एवं 08-09			31.09	स्वीकृत और कार्रवाई की गई
338.	70-आईटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-सेन्ट्रल, हैदराबाद	प्रिया एक्वा फार्मस	2001-02			28.26	-वही-
339.	94-आईटी	महाराष्ट्र	एडीआईटी(आईटी)2 (2) मुम्बई	मै. वरर्जिनिया रिटायरमेंट सिस्टम	2007-08			40.32	-वही-
340.	04-आईटी	कर्नाटक	सीआईटी सेन्ट्रल बैंगलोर	श्री जी. रवि अचर	2004-05, 2006-07 से 09-10		**ब्याज की उगाही में गलतियाँ**	41.39	स्वीकृत और कार्रवाई की गई
341.	08-आईटी	गुजरात	सीआईटी-V, अहमदाबाद	श्री दीपक चौकसी	2006-07			21.31	स्वीकृत और कार्रवाई की गई
342.	09-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-सेन्ट्रल कानपुर	प्रवीन कुमार सिंघल	2004-05			53.44	कार्रवाई की गई
343.	10-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-गाजियाबाद	नवज्योति विकास संस्थान	2006-07			25.61	स्वीकृत और कार्रवाई की गई
344.	14-आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-XIX, कोलकाता	प्राइस वाटर हाऊस	2006-07			22.3	स्वीकृत और कार्रवाई की गई

345.	21-आईटी	गुजरात	सीआईटी-सेन्ट्रल-I, अहमदाबाद	श्री सुनील कुमार पी पटेल	2009-10			46.64	कार्रवाई की गई
346.	22-आईटी	गुजरात	सीआईटी-II, बड़ोदा	गुजरात को ओपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड	2007-08			27.32	कार्रवाई की गई
347.	27-आईटी	गुजरात	सीआईटी-I, अहमदाबाद	श्री सुधीर जे वैद्य	2002-03			63.35	कार्रवाई की गई
348.	32-आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी-ग्वालियर	श्री चिरौंजी लाल शिवहरे प्रोपराइटर मै. सी.पी. इंडस्ट्रिज़	2003-04 एवं 08-09			2154.01	कार्रवाई की गई
349.	37-आईटी	कर्नाटक	सीआईटी-III, बैंगलोर	श्री एच.आर. रविचन्द्र	2009-10			209.57	स्वीकृत और कार्रवाई की गई
350.	39-आईटी	पंजाब	आईटीओ-डब्ल्यू-6(i) मोहाली	दी डिफैंस सर्विसेस कोओपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी	2008-09			364.11	-वही-
351.	42-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-सेन्ट्रल, पुणे	महाराष्ट्र अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग एंड एजूकेशनल रिसर्च	2008-09			38.06	-वही-
352.	45-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-सेन्ट्रल III, मुम्बई	श्री मोहन होटचन्द खानचंदानी	2006-07			69.95	-वही-
353.	49-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-वारानासी	नरेन्द्र एजूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी	2005-06			26.17	-वही-
354.	51-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-I, लखनऊ	यू.पी. कोओपारेटिव बैंक लिमिटेड	2007-08			16.66	-वही-
355.	55-आईटी	बिहार	सीआईटी-I, पटना	मध्य बिहार ग्रामिण बैंक पटना	2008-09			94.96	-वही-
356.	59-आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी-ग्वालियर	द हिन्दुस्तान साख सहकारीता मर्यादित, ग्वालियर	2008-09			341	कार्रवाई की गई
357.	68-आईटी	गुजरात	सीआईटी-II, सूरत	मोहम्मद अल्ताफ एम जारूल्लाह	2008-09			13.14	स्वीकृत और कार्रवाई की गई

358.	69-आईटी	गुजरात	सीआईटी-VI, अहमदाबाद	निलेश एम पारिख	2001-02 से 03-04			10.25	कार्रवाई की गई
359.	72-आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी-भोपाल	एम.पी. राज्य ओपन स्कूल	2007-08			47.16	स्वीकृत और कार्रवाई की गई
360.	74-आईटी	दिल्ली	सीआईटी-सेन्ट्रल-II	श्री मनोज कुमार	2005-06 से 09-10			605.86	-वही-
361.	78-आईटी	गुजरात	सीआईटी -III, अहमदाबाद	श्री प्रकाश भोगीलाल पटेल	2003-04			75.12	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
362.	88-आईटी	हिमाचल प्रदेश	सीआईटी शिमला	दी कांगरा सेन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक लि.	2007-08			16.47	कार्यवाही की गई और राशि वसूल की गई
363.	90-आईटी	पंजाब	सीआईटी -I लुधियाना	मै. एस ई एक्सपोर्टस लुधियाना	2008-09			28.73	कार्यवाही की गई
364.	92-आईटी	पंजाब	सीआईटी (सी) गुडगांव	जवाहर लाल जैन	2008-09			17.64	कार्यवाही की गई
365.	100-आईटी	गुजरात	सीआईटी -III, अहमदाबाद	श्री वसंत कुमार ठाकुर	2003-04			75.12	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
366.	101-आईटी	गुजरात	सीआईटी -I, राजकोट	कांडला पोर्ट ट्रस्ट	2004-05			102.44	कार्यवाही की गई और राशि वसूल की गई
367.	25-आईटी	गुजरात	सीआईटी –सेन्ट्रल I, अहमदाबाद	श्री श्रेयाँस एस शाह	2006-07		**अपीलीय आदेशों को लागू करते समय निर्धारणों में त्रुटियाँ**	55.21	कार्यवाही की गई
368.	67-आईटी	गुजरात	सीआईटी -III, बडोदरा	प्रकाश बी धेबर	1994-95			158.73	कार्यवाही की गई
369.	81-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी – ओरंगाबाद	मै. भाऊराव चव्हाण सहकारी शक्कर कारखाना लि.	1999-2000			56.03	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
370.	82-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी – ओरंगाबाद	मै. ओसमानाबाद जनता सहकारी बैंक लि.	2007-08			28.27	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

371.	29-आईटी	तमिलनाडू	सीआईटी -I, मदुराई	कन्याकुमारी मार्केट कमेटी	2007-08	**कर रियायतों/कर छूटों/कटौतियों का प्रशासन**	**व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियाँ/ राहतें**	51.92	कार्यवाही की गई
372.	58-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -II, थाने	तलोजा सी.इ.टी.पी सोसायटी लि.	2007-08		**ट्रस्टों/ फर्मो /सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूटे/कटौतियाँ/ राहतें**	24.81	स्वीकृत और कार्यवाही आरंभ की गई
373.	95-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -I, पुणे	मै. जनता सहकारी बैंक लि.	2005-06			157.64	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
374.	107-आईटी	पंजाब	सीआईटी – अमृतसर	मै. बिशन स्टील इन्डट्रीज, अमृतसर	2009-10			13.3	कार्यवाही की गई
375.	05-आईटी	कर्नाटक	सीआईटी हुबली	मै. दी कर्नाटक सेन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक लि.	2008-09		**व्यापार व्यय की गलत अनुमति**	58.16	स्वीकृत और कार्यवाही आरंभ की गई
376.	28-आईटी	तमिलनाडू	सीआईटी -I, सेलम	सेलम डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक लि.	2007-08 एवं 08-09			557	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
377.	41-आईटी	असम	सीआईटी -II, गुवाहटी	असम ग्रामीण विकास बैंक	2009-10			164	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
378.	46-आईटी	महाराष्ट्र	डीसीआईटी-स. -1(2) पुणे	संत तुकाराम सहकारी शक्कर कारखाना लि.	2006-07			25.29	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
379.	47-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी – ओरंगाबाद	तेराना शेत्कारी एसएसके लि.	2009-10			93.54	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
380.	48-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -I,थाने	श्री मंगातुरम कान्डोई	2006-07			23.26	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
381.	54-आईटी	बिहार	सीआईटी – भागलपुर	दी भागलपुर सेन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक लि.	2008-09			140.68	स्वीकृत और राशि वसूल की गई
382.	63-आईटी	राजस्थान	सीआईटी –जयपुर	मनोज कुमार जोहरी	2009-10			12.21	कार्यवाही की गई

383.	64-आईटी	राजस्थान	सीआईटी –अजमेर	अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि. अजमेर (को-ओपरेटिव सोसायटी)	2008-09			14.67	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
384.	85-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -V पुणे	श्री सदगुरू जंगली महाराज सहकारी बैंक लि.	2005-06 एवं 06-07			221	आंशिक रूप से स्वीकृत और कार्यवाही की गई
385.	93-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -III/पुणे	मै. यशवंत राव मोहित कृष्णा सहकारी कारखाना लि.	2007-08			83.29	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
386.	105-आईटी	पंजाब	सीआईटी – लुधियाना	श्री धर्मेंद्र शर्मा	2007-08			91.47	कार्यवाही की गई
387.	108-आईटी	तमिलनाडू	सीआईटी -II मदुराई	मै. तिरूनेलवेली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ओपरेटिव बैंक लि.	2008-09			264	कार्यवाही आरंभ की गई
388.	02-आईटी	कर्नाटक	सीआईटी सेन्ट्रल	पी. विजय कुमार	2009-10		**मूल्यह्रास/कारोंबारी/हानियाँ /पूँजीगत हानियाँ अनुमत करने मे अनियमितताएं**	68.98	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
389.	03-आईटी	कर्नाटक	सीआईटी बेलगाम	मै. दी हुकेरी रूआल इलैक्ट्रिक को-ओपरेटिव सोसायटी लि.	2007-08			28.61	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
390.	07-आईटी	केरल	सीआईटी – तिरूवेन्द्रम	केरल स्टेट को-ओपरेटिव बैंक लि.	2009-10			643	आंशिक रूप से स्वीकृत और कार्यवाही की गई
391.	11-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी – इलाहाबाद	इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ओपरेटिव बैंक	2005-06			110.9	कार्यवाही की गई
392.	16-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -II, कोल्हापुर	यशवंत को-ओपरेटिव प्रोसेसर लि.	2006-07			41.62	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
393.	17-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -I, पुणे	दी मुला प्रवारा इलैक्ट्रिक को-ओपरेटिव सोसायटी लि.	2007-08			54.3	कार्यवाही की गई
394.	20-आईटी	गुजरात	सीआईटी –वल्साद	वल्सद सहकारी खांड उद्योग मन्डोली लि.	2008-09, एवं 09-10			447.07	कार्यवाही की गई

395.	23-आईटी	गुजरात	सीआईटी -IV, अहमदाबाद	शरद एस गुप्ता	2006-07			19.77	कार्यवाही की गई
396.	24-आईटी	गुजरात	सीआईटी -III, अहमदाबाद	इन्डो जर्मन टूल रूम	2007-08 एवं 08-09			143.92	कार्यवाही की गई
397.	34-आईटी	बिहार	सीआईटी –I भागलपुर	कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2008-09			1056	कार्यवाही की गई
398.	40-आईटी	हरियाणा	सीआईटी –पंचकुला	चमन वाटिका एजुकेशन सोसायटी	2007-08			18.04	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
399.	56-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी – ओरंगाबाद	श्री विट्ठल सहकारी शक्कर कारखाना लि.	2009-10			445.97	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
400.	62-आईटी	राजस्थान	सीआईटी -II-जयपुर	सेंट्रल को-ओपरेटिव बैंक लि.	2009-10			10.56	स्वीकृत
401.	76-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -I, कोल्हापुर	मै. सर्वोदय सहकारी शक्कर कारखाना लि.	2006-07			39.99	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
402.	83-आईटी	महाराष्ट्र	डीआईटी (आईटी) मुम्बई	मै. ओपनहेमर डेवलपिंग मार्केट्स फंड	2007-08			386	कार्यवाही की गई
403.	96-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -II-कोल्हापुर	दी इचलकरनजी को-ओपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि.	2009-10			173.78	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
404.	98-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी – ओरंगाबाद	श्री रामेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि.	2007-08			103.03	स्वीकृत और आंशिक कार्यवाही की गई
405.	102-आईटी	गुजरात	सीआईटी -I, बड़ोदा	पेट्रोफिल्स को-ओपरेटिव लि.	2006-07			2218.2	कार्यवाही की गई
406.	35-आईटी	तमिलनाडू	सीआईटी -II, मदुराई	श्रीमती के. राजम	2007-08	**त्रुटियों के कारण निर्धारण से बचने वाली**	**पूँजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना**	31.24	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
407.	43-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -IV, मुम्बई	श्रीमती अनायता नलिन शाह	2008-09			35.01	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

408.	53-आईटी	दिल्ली	सीआईटी -II, सेन्ट्रल	श्रीमती इन्दु सेठ	2008-09	**आय**		30.51	कार्यवाही की गई
409.	57-आईटी	महाराष्ट्र	डीआईटी(आईटी) मुम्बई	मै. ओपनहेमर डेवलपिंग मार्केट्स फंड	2007-08			52.05	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
410.	79-आईटी	गुजरात	सीआईटी -I, अहमदाबाद	दी भाग्योदय को-ओपरेटिव बैंक लि.	2009-10			13.85	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
411.	109-आईटी	तमिलनाडू	सीआईटी -IV, चेन्नई	श्री अर्जुन पार्थसारथी और राजीव पार्थसारथी	2009-10			586	कार्यवाही की गई
412.	110-आईटी	गुजरात	सीआईटी -VI, अहमदाबाद	श्रीमती मल्लिका चिराग पटेल	2006-07			14	कार्यवाही की गई
413.	01-आईटी	कर्नाटक	सीआईटी देवंगिरि	श्री एसएस बक्श	2007-08		**आय की गलत गणना**	28.5	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
414.	12-आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी - III,कोलकाता	संजय बुधिया	2006-07			85.5	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
415.	13-आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी –सेन्ट्रल-III, कोलकाता	श्रीमती मिनू बुधिया	2008-09			55.23	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
416.	18-आईटी	दिल्ली	सीआईटी –सेन्ट्रल –I	श्री देवी दास गर्ग	2004-05 से 06-07			191	कार्यवाही की गई
417.	19-आईटी	दिल्ली	सीआईटी –सेन्ट्रल-I	अमिता गर्ग	2004-05 एवं 06-07			71.19	कार्यवाही की गई
418.	36-आईटी	तमिलनाडू	सीआईटी -I, कोयम्बटूर	दी कोयम्बटूर सिटी को-ओपरेटिव बैंक लि.	2008-09			75.92	कार्यवाही आंरभ की गई
419.	38-आईटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी – विजयवाड़ा	श्री पोपुरी एन्कीनीडू	2007-08			126.13	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
420.	44-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी – ओरंगाबाद	नर सिंह सहकारी शक्कर कारखाना लि.	2008-09			187.9	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

421.	52-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी – मुज्जफर नगर	मुज्फ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को-ओपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन लि.	2007-08			18.18	कार्यवाही की गई
422.	65-आईटी	राजस्थान	सीआईटी -II- जोधपुर	दी जेलोर सेन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक लि. जेलोर	2007-08			12.69	आंशिक रूप से स्वीकृत और कार्यवाही की गई
423.	71-आईटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी – राजाहमुंदरी	सुमा एस्टेट्स एण्ड बिल्डर्स	2007-08			27.71	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
424.	73-आईटी	राजस्थान	सीआईटी -II, जयपुर	पुष्प एन्टरप्राइजेज, जयपुर	2008-09			46.4	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
425.	77-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -19, मुम्बई	श्री मोहन नाथूमल करनानी	2008-09			45.32	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
426.	80-आईटी	गुजरात	सीआईटी – सूरत	श्री तुलसीधरन भास्करन	2007-08			17.9	कार्यवाही की गई
427.	84-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -I पुणे	मै. गणेश सहकारी शक्कर कारखाना लि.	2007-08			456	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
428.	86-आईटी	हरियाणा	सीआईटी –हिसार	हरि सिंह	2007-08			16.35	कार्यवाही की गई
429.	89-आईटी	पंजाब	सीआईटी -II अमृतसर	परविंदर कौर छाबड़ा	2009-10			52.15	कार्यवाही आरंभ की गई
430.	97-आईटी	महाराष्ट्र	डीआईटी (आईटी) मुम्बई	मै. ट्रस्टीज ऑफ माइन वर्कर्स पेन्शन स्कीम (एमपीएस) लि.	2006-07			131.37	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
431.	99-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -12, मुम्बई	एल एण्ड टी होकटेफ सीबर्ड	2006-07			185.6	कार्यवाही की गई
432.	15-आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी – आसनसोल	अतिंद्र नाथ चौबे	2006-07		**टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानो के कार्यान्वयन**	26.12	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
433.	50-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी – गाजियाबाद	एबीआर एजूकेशनल फाऊण्डेशन	2008-09			16.42	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

434.	61-आईटी	छत्तीसगढ़	सीआईटी –रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास और विपानन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर	2005-06		**में चूक**	27.31	कार्यवाही की गई
435.	75-आईटी	दिल्ली	सीआईटी –IX	आशीष कोहली	2006-07			58.81	कार्यवाही की गई
436.	01-डब्ल्यूटी	बिहार	सीआईटी -1 पटना	मै. सिक्योरिटी एण्ड इंटेलिजेंस सिर्विसेज (इंडिया) लि.	2008-09		**धनकर का उदग्रहण न करना और कम उदग्रहण करना**	2.67	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
437.	02-डब्ल्यूटी	पश्चिम बंगाल	सेन्ट्रल -III, कोलकाता	एलएनओपी प्रोडक्ट्स (पी) लि.	2008-09			8.38	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
438.	03-डब्ल्यूटी	पश्चिम बंगाल	सेन्ट्रल -III, कोलकाता	रामजीलाल बथवाल	2007-08 एवं 08-09			2.55	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
439.	04-डब्ल्यूटी	पश्चिम बंगाल	सेन्ट्रल -III, कोलकाता	दिनेश एन ठक्कर	2006-07 एवं 07-08			2.66	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
440.	05-डब्ल्यूटी	महाराष्ट्र	सीआईटी –सेन्ट्रल-III, मुम्बई	दिनशा ट्रापिनेक्स बिल्डर्स प्रा. लि.	2005-06 एवं 06-07			2.21	कार्यवाही की गई
441.	06-डब्ल्यूटी	गुजरात	सीआईटी -IV, अहमदाबाद	दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इन्फ्राकोन प्राइवेट लिमिटेड	2006-07			1.39	कार्यवाही की गई और राशि वसूल की गई
442.	07-डब्ल्यूटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी -III, हैदराबाद	विशू ग्रुप सर्विसेज प्राईवेट लि.	2007-08			3.43	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
443.	08-डब्ल्यूटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी -III, हैदराबाद	श्री एस. श्रीनिवास रेड्डी	2007-08 एवं 08-09			11.42	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
444.	09-डब्ल्यूटी	तमिलनाडू	सीआईटी -II, मदुराई	मै. रेमको सिस्ट्म्स लि.	2007-08			7.65	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
445.	10-डब्ल्यूटी	तमिलनाडू	सीआईटी -II, मदुराई	श्री कंगासभापती	2009-10			7.95	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
446.	11-डब्ल्यूटी	महाराष्ट्र	सीआईटी –XII मुम्बई	श्रीमती सुनिता कान्तिलाल वर्धान	2007-08 एवं 08-09			7.41	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

447.	12-डब्ल्यूटी	महाराष्ट्र	सीआईटी –सेन्ट्रल - IV मुम्बई	श्री कृष्णा स्ट्रक्चर्स पी. लि.	2007-08			2.42	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
448.	13-डब्ल्यूटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी -I हैदराबाद	श्री एम रविन्द्र	2008-09 एवं 09-10			87.97	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
449.	14-डब्ल्यूटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी - सेन्ट्रल हैदराबाद	श्री भास्कर राव	2006-07 से 10-11			6.86	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
450.	15-डब्ल्यूटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी -III, कोलकाता	वीरप्रभु मार्केटिंग लि.	2006-07			4.13	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
451.	16-डब्ल्यूटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी –सेन्ट्रल हैदराबाद	श्री के. बाबू राव	2005-06 से 09-10			22.71	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
452.	17-डब्ल्यूटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी -I, इन्दोर	श्री दिनेश चंद देव प्रोप. मै. कारगिल बुलियन, इंदौर	2007-08			6.33	कार्यवाही की गई
453.	30-आईटी	दिल्ली	सीआईटी –सेन्ट्रल-II	श्री सुबोघ कुमार गुप्ता	2010-11	**अन्य**	**कर/ब्याज का अधिक प्रभार**	32.49	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
454.	31-आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी – ग्वालियर	श्री नवीन शिवहरे	2008-09			897.88	कार्यवाही की गई
455.	60-आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी – ग्वालियर	दी ग्वालियर सिटीजन सहकारिता मर्यादित, ग्वालियर	2005-06			329	कार्यवाही की गई
456.	66-आईटी	दिल्ली	सीआईटी -VIII, दिल्ली	श्री अमरजीत सिंह पुरी	2007-08			21.48	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
457.	91-आईटी	चंडीगढ़	सीआईटी –सेंट्रल सर्कल-I	प्रीतम सिंह	2007-08			29.29	कार्यवाही की गई
458.	104-आईटी	पंजाब	सीआईटी – पटियाला	श्री राजकुमार वाधवा	2007-08			28.35	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
459.	106-आईटी	पंजाब	सीआईटी –चंडीगढ़	मै. महा प्रभु राम मुल्ख हाई टैक. एजूकेशन सोसायटी	2007-08 से 09-10			42.48	कार्रवाई की गई

परिशिष्ट 6 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.3.2)

मंत्रालय को भेजे गए ड्राफ्ट पैराग्राफों के संबंध में निष्कर्षों के श्रेणीवार ब्यौरें		
उप श्रेणी	**मामले**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	**160**	**825.19**
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	64	586.47
ख. कर अधिभार इत्यादि की गलत दर लगाना	11	10.53
ग. विवरणियों की प्रस्तुती ,कर के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज/शास्ति नहीं/कम लगाना	61	103.89
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	10	37.35
ङ. अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारणों में त्रुटियाँ	14	86.95
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	**181**	**1,085.54**
क. निगमों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियाँ/राहत	36	338.42
ख. ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियाँ/राहत	3	1.96
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियों/राहत	1	0.52
घ. कारोबारी व्यय की गलत अनुमति	57	416.49
ङ. मूल्यह्रास/ कारोबारी हानियाँ/पूँजीगत हानियाँ अनुमत करने में अनियमितताएं	84	328.15
ग. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटी आय	**83**	**280.90**
क. एमएटी/टनेज कर इत्यादि सहित विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत	17	94.78
ख. पूँजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	11	27.84
ग. आय की गलत गणना	34	155.11
घ. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक	4	1.29
ङ. धनकर का गैर/कम उदग्रहण	17	1.88
घ. अन्य	**35**	**175.87**
कर/ब्याज का अधिक प्रभार	**35**	**175.87**
जोड़	**459**	**2,367.50**

परिशिष्ठ 7 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.5.1)

राज्य	वर्ष 2011-12 के दौरान पूर्ण किए गए निर्धारण	वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारण	त्रुटियों वाले निर्धारण	संवीक्षा निर्धारणों में की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)	त्रुटियों वाले निर्धारणों की प्रतिशतता (कॉ. 4/ कॉ. 3x100)
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	21,537	19,398	1,618	567.79	8
असम	1,122	1,100	125	10.12	11
बिहार	927	794	167	12.89	21
छत्तीसगढ़	2,862	2,589	212	19.46	8
गोवा	885	871	75	15.07	9
गुजरात	23,061	21,966	1,870	643.49	9
हरियाणा	3,845	3,839	521	49.98	14
हिमाचल प्रदेश	780	563	147	1.87	26
जम्मू एवं कश्मीर	65	51	20	36.93	39
झारखण्ड	770	758	86	5.10	11
कर्नाटक	16,517	15,781	848	878.12	5
केरल	5,441	4,898	583	298.24	12
मध्य प्रदेश	6,134	5,889	279	272.50	5
ओडिशा	3,480	3,213	411	884.14	13
पंजाब	8,260	7,672	552	46.55	7
यूटी चंडीगढ़	1,716	1,594	161	39.42	10
राजस्थान	12,844	12,244	869	133.92	7
तमिलनाडु	26,411	20,820	2,808	4,016.50	13
उत्तर प्रदेश	10,732	10,163	783	240.89	8
उत्तरांचल	804	772	48	1.69	6
दिल्ली	29,605	26,977	1,010	11,194.98	4
महाराष्ट्र	32,458	31,312	1,552	2,007.14	5
पश्चिम बंगाल	22,354	21,960	2,283	2,285.72	10
जोड़	**2,32,610**	**2,15,224**	**17,028**	**23,662.51**	**7.9**

परिशिष्ट 8 (पैराग्राफ 2.5.4 देखें)

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए आयकर और निगम कर से संबंधित अवनिर्धारणों का श्रेणीवार विवरण (₹ करोड़ में)

उप श्रेणी	मामले	कर प्रभाव
क. निर्धारणों की गुववत्ता	**4,527**	**2,407.35**
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	1,840	1,453.20
ख. कर, अधिभार इत्यादि की गलत कर लगाना	236	17.43
ग. विवरणियों की प्रस्तुती, कर के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज/शास्ति नहीं/कम लगाना	2,147	685.13
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	227	127.13
ङ. अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारणों में त्रुटियाँ	77	124.46
ख. रियायतों/छूटों/कटौतियों का कर प्रशासन	**6,906**	**7,298.76**
क. निगमों को दी गई अनियमित छूटों/ कटौतियाँ/राहत	567	1,026.34
ख. ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियाँ/राहत	564	677.12
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौतियों/राहत	631	68.70
घ. कारोबारी व्यय का गलत अनुमति	3,901	3,972.55
ङ. मूल्यह्रास/कारोबारी हानियाँ/पूँजीगत हानियाँ अनुमत करने में अनियमितताएं	1,239	1,549.94
च. डीटीएटी राहत की गलत अनुमति	4	4.11
ग. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटी आय	**2,620**	**2,148.37**
क. एमएटी/टनेज कर इत्यादि सहित विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत	187	191.51
ख. अस्पष्ट निवेश/नकद क्रेडिट इत्यादि	490	536.07
ग. पूँजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	560	255.33
घ. आर्म लैन्थ मूल्य का गलत आँकलन	7	0.17
ङ. पति/पत्नी, आवयस्क बच्चे की आय को मिलाने में चूक	79	36.48
च. गृह सम्पत्ति से आय की गलत गणना	150	4.00
छ. वेतन आय की अशुद्ध गणना	44	6.67
ज. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में त्रुटियाँ	1,103	1,118.14
घ. अन्य	**2,812**	**745.15**
जोड़	**16,865**	**12,599.63**

परिशिष्ट 9 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.10.2)

मामले जिन पर उपचारात्मक कार्यवाई वि.व. 12 में समयबाधित हो गई		
स्टेट	**लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जहां उपचारात्मक कार्यवाही समयबाधित हो गई**	
	मामले	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**
आंध्र प्रदेश	62	8.40
असम	16	4.80
बिहार	25	2.80
छत्तीसगढ़	13	0.71
गोवा	0	0
गुजरात	353	170.99
हरियाण	39	0.52
हिमाचल प्रदेश	0	0
जम्मू और कश्मीर	18	0.88
झारखंड	10	0.35
कर्नाटक	16	14.79
केरल	0	0
मध्य प्रदेश	15	2.27
ओडिशा	45	39.35
पंजाब	89	6.73
यूटी चंडीगढ़	9	0.24
राजस्थान	57	0.93
तमिलनाडु	806	404.96
उत्तर प्रदेश	109	26.7
उत्तराचंल	0	0
दिल्ली	0	0
महाराष्ट्र	418	200.14
पश्चिम बंगाल	107	14.31
जोड़	**2,207**	**899.87**

परिशिष्ट 10 (संदर्भ: पैराग्राफ 5.5)

क्षेत्र	शिकायत सेल का चयन					
	लेखापरीक्षा कार्यालय के क्षेत्राधिकार में इकाईयों की कुल संख्या			लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाईयों की कुल संख्या		
	सीसी आईटी	सीआईटी	निर्धारण इकाई	सीसीआई टी	सीआईटी	निर्धारण इकाई
आंध्र प्रदेश	5	22	246	2	12	149
ओडिशा	1	3	39	1	2	0
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर	5	20	301	5	10	110
महाराष्ट्र	20	59	810	15	28	250
कर्नाटक	9	16	249	7	9	90
पश्चिम बंगाल	11	66	613	3	32	32
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2	5	76	2	5	7
दिल्ली	22	60	298	3	3	15
छत्तीसगढ़	1	2	33	0	0	9
ग्वालियर	2	3	33	2	3	33
गुजरात	8	22	317	5	7	97
राजस्थान	4	12	144	4	7	96
उत्तर प्रदेश	5	18	163	5	8	102
उत्तराखण्ड	1	1	14	1	1	12
बिहार	3	14	113	1	2	0
तमिलनाडु एवं केरल	15	33	379	11	20	158
जोड़	**114**	**356**	**3,828**	**67**	**149**	**1,160**

टिप्पणी: ओडिशा एवं बिहार में कोई निर्धारण इकाई चयनित नहीं थी।

परिशिष्ट 11 (संदर्भ पैराग्राफ: 5.6.1)

वि.व. 2010-11 के लिए शिकायत की स्थिति (31.03.2012 को)				
सीसीआईटी प्रभार का नाम	प्राप्त कुल शिकायतें (हस्तलिखित एवं ऑनलाइन)	निपटाई गई कुल शिकायतें (हस्तलिखित एवं ऑनलाइन)	लम्बित मामलों की संख्या	*प्रतिशत* में शिकायतों का निपटान
सीसीआईटी-चंडीगढ़	364	341	23	93.7
सीसीआईटी-अमृतसर	308	66	242	21.4
सीसीआईटी-लुधियाना	3,956	3,699	257	93.5
सीसीआईटी-पंचकुला	171	35	136	20.5
सीसीआईटी-हिमाचल प्रदेश	33	10	23	30.3
सीसीआईटी-I बैंगलोर	740	563	177	76.1
सीसीआईटी-II बैंगलोर	490	330	160	67.3
सीसीआईटी-हुबली	22	5	17	22.7
क्षेत्रीय शिकायत सेल (सीसीआईटी-I), कोलकाता	4,250	1,449	2,801	34.1
आरजीओ/पीजीपी (सीसीआईटी-I), दुर्गापुर	9	0	9	0.0
सीसीआईटी- ग्वाहटी	41	5	36	12.2
सीसीआईटी-शिलोंग	18	10	8	55.6
केन्द्रीय शिकायत सेल (सीबीडीटी) (दिल्ली क्षेत्र)	271	13	258	4.8
सीआईटी (हेल्पलाइन), सीसीआईटी-I, का कार्यालय दिल्ली	548	517	31	94.3
सीसीआईटी-रायपुर	18	18	0	100.0
सीसीआईटी-भोपाल	261	260	1	99.6
सीसीआईटी-इंदोर	35	35	0	100.0
सीसीआईटी-I(सीसीए) अहमदाबाद	290	206	84	71.0
सीसीआईटी-II अहमदाबाद	574	380	194	66.2
सीसीआईटी-III अहमदाबाद	311	227	84	73.0
सीसीआईटी-IV अहमदाबाद	243	152	91	62.6
डीआईटी (छूट) अहमदाबाद	28	13	15	46.4
सीसीआईटी-राजकोट	553	241	312	43.6
सीसीआईटी-बडोदा	163	99	64	60.7
सीसीआईटी-सूरत	895	439	456	49.1

सीसीआईटी-जयपुर	578	391	187	67.6
सीआईटी-I जयपुर	183	108	75	59.0
सीआईटी-II जयपुर	98	39	59	39.8
सीसीआईटी-उदयपुर	12	12	0	100.0
सीआईटी-उदयपुर	6	6	0	100.0
सीआईटी-अजमेर	8	8	0	100.0
सीसीआईटी-जोधपुर	41	16	25	39.0
सीआईटी-I जोधपुर	20	19	1	95.0
सीसीआईटी-अहमदाबाद	226	13	213	5.8
सीसीआईटी-बरेली	57	1	56	1.8
सीसीआईटी-गाजियाबाद	213	69	144	32.4
सीसीआईटी-कानपुर	380	10	370	2.6
सीसीआईटी-लखनऊ	227	40	187	17.6
सीसीआईटी-देहरादुन	39	7	32	17.9
सीसीआईटी-I पटना	165	68	97	41.2
सीसीआईटी चेन्नई	803	185	618	23.0
सीआईटी कोयम्बटूर	88	77	11	87.5
सीआईटी सालेम	40	25	15	62.5
सीसीआईटी मदुरई	62	29	33	46.8
सीसीआईटी VI पुदुचेरी	19	19	0	100.0
सीआईटी कोट्टयम	83	69	14	83.1
सीआईटी कोज्हिकोडे	16	13	3	81.3
जोड़ 47	**17,956**	**10,337**	**7,619**	**55.40**

परिशिष्ट 12 (संदर्भ पैराग्राफ 5.6.1 और 5.6.2.4)

वि.व. 2011-12 के लिए शिकायत की स्थिति (31.03.2012 को)							
सीसीआईटी प्रभार का नाम	सीसीआईटी प्रभार का नाम		सीसीआईटी प्रभार का नाम		सीसीआईटी प्रभार का नाम		सीसीआईटी प्रभार का नाम
सीसीआईटी-ओडिसा	75		52		23		69.3
सीआईटी-सम्बलपुर	32		21		11		65.6
सीसीआईटी-चंडीगढ़	1,029		977		52		94.9
सीसीआईटी-अमृतसर	441		96		345		21.8
सीसीआईटी-लुधियाना	7,325		5,877		1,448		80.2
सीसीआईटी-पंचकुला	339		154		185		45.4
सीसीआईटी-हिमाचल प्रदेश	124		75		49		60.5
सीसीआईटी-3 मुम्बई	68		48		20		70.6
सीसीआईटी-I बैंगलूरू	1,327		929		398		70.0
सीसीआईटी-II बैंगलूरू	404		314		90		77.7
सीसीआईटी-हुबली	66		32		34		48.5
आरजी सैल (सीसीआईटी-I), कोलकाता	3,751		1,070		2,681		28.5
आरजीओ/पीजीपी (सीसीआईटी-I), दुर्गापुर	15		7		8		46.7
आरजीसी/पीजीओ (सीसीआईटी-I), जलपाईगुड़ी	7		6		1		85.7
सीसीआईटी-गुवाहाटी	86		11		75		12.8
सीसीआईटी-शिलांग	15		3		12		20.0
केन्द्रीय शिकायत सैल (सीबीडीटी) (दिल्ली क्षेत्र)	687		423		264		61.6
सीआईटी (हैल्पलाईन नम्बर), सीसीआईटी-I, दिल्ली	1,198		842		356		70.3
सीसीआईटी-रायपुर	410		406		4		99.0
सीसीआईटी-भोपाल	111		111		0		100.0
सीसीआईटी-इन्दोर	113		93		20		82.3
सीसीआईटी-I (सीसीए) अहमदाबाद	459		294		165		64.1
सीसीआईटी-II अहमदाबाद	1,043		641		402		61.5
सीसीआईटी-III अहमदाबाद	561		327		234		58.3
सीसीआईटी-IV अहमदाबाद	548		444		104		81.0
डीआईटी (छूट) अहमदाबाद	47		16		31		34.0
सीसीआईटी-राजकोट	782		362		420		46.3
सीसीआईटी-बडोदरा	302		168		134		55.6
सीसीआईटी-सुरत	910		289		621		31.8
सीसीआईटी-जयपुर	968		614		354		63.4
सीआईटी-I जयपुर	254		131		123		51.6

सीआईटी-II जयपुर	156	48	108	30.8
सीआईटी-III जयपुर	12	12	0	100.0
सीसीआईटी-उदयपुर	90	90	0	100.0
सीआईटी-उदयपुर	21	16	5	76.2
सीआईटी-अजमेर	6	6	0	100.0
सीसीआईटी-जोधपुर	93	65	28	69.9
सीआईटी-I जोधपुर	31	31	0	100.0
सीसीआईटी-अहमदाबाद	292	11	281	3.8
सीसीआईटी-बरेली	111	25	86	22.5
सीसीआईटी-गाजियाबाद	375	52	323	13.9
सीसीआईटी-कानपुर	525	20	505	3.8
सीसीआईटी-लखनऊ	426	61	365	14.3
सीसीआईटी-देहरादून	143	43	100	30.1
सीसीआईटी-I पटना	204	93	111	45.6
सीसीआईटी-चेन्नई	1,066	459	607	43.1
सीआईटी-कोम्यबटूर	139	52	87	37.4
सीआईटी-सेलम	22	11	11	50.0
सीआईटी II मदुरई	73	63	10	86.3
सीसीआईटी V। पुदूचेरी	40	40	0	100.0
सीआईटी-कोट्टायम	62	50	12	80.6
सीआईटी-कोजिकोड़	17	15	2	88.2
जोड़ 52	**27,401**	**16,096**	**11,305**	**58.80**

परिशिष्ट 13 (संदर्भ पैराग्राफ 5.6.2.1 और 5.6.2.4)

31.03.2012 को निपटान के लिए लम्बित शिकायतों का अवधिवार विश्लेषण					
सीसीआईटी प्रभार का नाम	निपटान हेतु लम्बित कुल मामले	लम्बन की सीमा	मामलों की संख्या जहाँ लम्बन एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम था।	मामलों की संख्या जहाँ लम्बन दो वर्ष से अधिक था	टिप्पणी
सीसीआईटी विशाखापतनम	8	2 से 11 वर्ष	0	8	2001 से आठ मामले अभी तक लम्बित है
सीसीआईटी हैदराबाद	4	2 से 11 वर्ष	0	4	
सीसीआईटी उड़ीसा	34	2 से 33 महीने	5	18	
सीसीआईटी-हिमाचल प्रदेश	37	23 दिन से 47 महीने	8	6	दो वर्ष से अधिक से लम्बित मामला फाइलें प्रस्तुत नहीं की गई थी
सीसीआईटी-बैंगलुरू	321	11 महीने से 17 महीने	2	0	डाटा विस्तार से जाँच किए गए तीन मामलों पर आधारित है
आरजी सैल (सीसीआईटी-I), कोलकाता	2,681	2 दिन से 128 महीने	1,529	767	
सीसीआईटी-अहमदाबाद	281	1 से 57 महीने	45	136	
सीसीआईटी-बरेली	86	5 दिन से 100 महीने	0	50	
सीसीआईटी-गाजियाबाद	323	7 दिन से 60 महीने	35	35	
सीसीआईटी-कानपुर	505	13 दिन से 99 महीने	68	256	
सीसीआईटी-लखनऊ	365	4 से 45 महीने	62	87	
सीसीआईटी-देहरादून	100	27 दिन से 22 महीने	21	1	
सीसीआईटी-I पटना	54	13 से 24 महीने	54	0	
सीसीआईटी चेन्नई	607	3 से 124 महीने	119	415	
सीआईटी II मदुरई	1	42 महीने	0	1	
सीआईटी कोट्टायम	12	2 से 8 महीने	0	0	

सीआईटी कोज़िकोड	2	7 से 10 महीने	0	0	
सीसीआईटी रायपुर	4	0	0	0	उपलब्ध कराई गई सूचना अधूरी थी
सीसीआईटी-I, अहमदाबाद	165	0	0	0	-वही-
सीसीआईटी-II, अहमदाबाद	402	0	0	0	- वही -
सीसीआईटी-बड़ोदा	134	0	0	0	- वही -
सीसीआईटी-सुरत	621	0	0	0	-वही-
सीसीआईटी-राजकोट	420	0	0	0	-वही-
सीसीआईटी-अमृतसर	0	0	0	0	विभाग द्वार सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई
सीसीआईटी-लुधियाना	0	0	0	0	- वही-
सीसीआईटी-पंचकुला	0	0	0	0	- वही-
जोड़ 26	**7,167**		**1,948**	**1,784**	

परिशिष्ट 14 (संदर्भ पैराग्राफ 5.6.2.3)

दो माह की निर्धारित अधिक अवधि से				
सीसीआईटी प्रभार का नाम	निर्धारित अवधि में परे निपटाए गए मामले	दूरी की रेंज	निर्धारित अवधि में एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष से कम मामलों की संख्या	निर्धारित अवधि में दो वर्ष से अधिक विलम्ब मामलों की संख्या
सीसीआईटी-हैदराबाद	45	2 दिन से 12 महीने	0	0
सीसीआईटी-उड़ीसा	22	2 से 56 महीने	16	2
सीसीआईटी-अमृतसर	0	0	0	0
सीसीआईटी-लुधियाना	0	0	0	0
सीसीआईटी-पंचकुला	0	0	0	0
सीसीआईटी-हिमाचल प्रदेश	20	20 दिन से 16 महीने	2	0
सीसीआईटी-3 मुम्बई	37	20 महीने से five वर्ष	11	7
सीसीआईटी-बैंगलूरू	321	एक महीने से 21 महीने	0	1
आरजी सैल (सीसीआईटी-I), कोलकाता	1,070	एक दिन से 79 महीने	70	55
आरजीओ/पीजीओ (सीसीआईटी- दुर्गापुर)	4	तीन महीने से 16 महीने	1	0
आरजीओ/पीजीओ (सीसीआईटी- जलपाईगुडी	4	21 दिन से 87 दिन	0	0
सीसीआईटी-I (सीआईटी-XI) वार्ड-33(4), दिल्ली	1	18 दिन से 29 महीने	0	1
सीसीआईटी-I (सीआईटी-XI) वार्ड -32(2), दिल्ली	1			
सीसीआईटी-I (सीआईटी-XIV) सर्कल-42(1), दिल्ली	1			
सीसीआईटी-I (सीआईटी-XI) वार्ड -33(4), दिल्ली	1			
सीसीआईटी-I (सीआईटी-II) वार्ड -6(1), दिल्ली	1			
सीसीआईटी-I (सीआईटी-II) वार्ड -5(1), दिल्ली	1			
सीसीआईटी-I (सीआईटी-XI) सर्कल-33(1), दिल्ली	1			
सीसीआईटी-I (सीआईटी-XIV) सर्कल -42(1),	1			

दिल्ली				
सीसीआईटी-I, अहमदाबाद	294	उपलब्ध नहीं		
सीसीआईटी-II, अहमदाबाद	641	उपलब्ध नहीं		
सीसीआईटी-वड़ोदरा	168	उपलब्ध नहीं		
सीसीआईटी-सुरत	289	उपलब्ध नहीं		
सीसीआईटी-राजकोट	362	उपलब्ध नहीं		
सीआईटी-अहमदाबाद, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, नोएडा एवं मेरठ	136	पांच महीने से 24 महीने	72	0
सीसीआईटी देहरादून	22	डाटा अधूरा		
सीसीआईटी-I पटना	19	चार से 27 महीने	5	2
सीसीआईटी चेन्नई	460	तीन से 43 महीने	190	21
सीआईटी II मदुरई	2	तीन से चार महीने	0	0
सीआईटी कोट्टयाम	12	12 से 34 महीने	9	3
सीआईटी कोज़िकोड़	5	चार से छः महीने	0	0
जोड़ 37	**3,941**		**376**	**92**

नोटः सीसीआईटी अमृतसर सीसीआईटी लुधियाना, सीसीआई पंचकुला, ,के मामले में उन्होंने शून्य जानकारी प्रदान की।

परिशिष्ट 15 (संदर्भ पैराग्राफ 5.6.2.4)

लम्बित शिकायत (31.03.2012 को)					
सीसीआईटी प्रभार का नाम	कुल लम्बित शिकायत	निर्धारित अवधि में पूरे छः महीने से कम लम्बित	निर्धारित अवधि में पूरे छः महीने से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम	निर्धारित अवधि में पूरे एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष से कम	निर्धारित अवधि में पूरे दो वर्ष से अधिक लम्बित
सीसीआईटी-हैदराबाद	129	125	0	4	0
सीसीआईटी-विशाखापट्टनम	23	15	0	0	8
सीसीआईटी-उड़ीसा	23	5	2	5	11
सीआईटी-सम्बलपुर	11	3	1	0	7
सीसीआईटी-अमृतसर	345	69	49	80	147
सीसीआईटी-लुधियाना	1,448	1,448	0	0	0
सीसीआईटी-पंचकुला	321	199	100	10	12
सीसीआईटी-हिमाचल प्रदेश	37	16	7	8	6
सीसीआईटी-3 मुम्बई	121	25	73	19	4
सीसीआईटी-I बैंगलुरू	488	100	388	0	0
सीसीआईटी-हुबली	34	0	34	0	0
आरजीसी (सीसीआईटी-I कोलकाता)	2,681	143	242	1,529	767
आरजीओ/पीजीओ (सीसीआईटी दुर्गापुर)	8	2	1	5	0
आरजीसी/पीजीओ (सीसीआईटी जलपाईगुडी)	1	1	0	0	0
सीसीआईटी-गुवाहाटी	75	34	19	20	2
सीसीआईटी-शिलांग	12	2	2	8	0
सीसीआईटी-रायपुर	4	4	0	0	0
सीसीआईटी-I(सीसीए) अहमदाबाद	33	3	9	18	3
सीसीआईटी-II अहमदाबाद	402	293	48	41	20
सीसीआईटी-III अहमदाबाद	234	177	40	16	1
सीसीआईटी-IV अहमदाबाद	104	82	22	0	0
डीआईटी (छूट) अहमदाबाद	31	12	10	9	0
सीसीआईटी-राजकोट	420	218	134	9	59
सीसीआईटी-बड़ोदा	134	53	53	17	11
सीसीआईटी-सुरत	621	230	118	252	21
सीसीआईटी-जयपुर	354	126	80	70	78

सीआईटी-I जयपुर		123	78	45	0	0
सीआईटी-II जयपुर		108	30	15	33	30
सीआईटी-उदयपुर		5	4	0	1	0
सीसीआईटी-जोधपुर		53	0	0	28	25
सीआईटी-I जोधपुर		1	0	0	0	1
सीसीआईटी-अहमदाबाद		281	70	30	45	136
सीसीआईटी-बरेली		86	27	9	0	50
सीसीआईटी-गाजियाबाद		323	206	47	35	35
सीसीआईटी-कानपुर		505	141	40	68	256
सीसीआईटी-लखनऊ		365	169	47	62	87
सीसीआईटी-देहरादून		100	68	10	21	1
सीसीआईटी चेन्नई		607	56	34	123	394
सीआईटी-कोयम्बटूर		98	0	0	87	11
सीआईटी सेलम		26	7	5	14	0
सीआईटी मदुरई		10	9	0	0	1
सीआईटी कोट्टायम		26	5	10	6	5
सीआईटी कोजिकोड़		5	5	0	0	0
जोड़	**43**	**10,816**	**4,260**	**1,724**	**2,643**	**2,189**